वार्षिक रिपोर्ट
2007-2008

सत्यमेव जयते

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2007-2008

सत्यमेव जयते

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

प्रस्तावना .... I-III

प्रशासन एवं संगठन .... IV-IX

योजनाएं एवं संगठन

1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) 1-5
2. शहरी फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति का संशोधन - 2004 6-7
3. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए इस प्रयोजन हेतु 10% के एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत परियोजनाएं/योजनाएं 7-8
4. जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) 9-17
5. यूनाइटेड किंगडम सरकार के अन्तराष्ट्रीय विकास विभाग की सहायता से लागू की जा रही स्लम सुधार परियोजनाएं 18-19
6. बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006 19-22
7. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 23-24
8. शहरी गरीब को मकान के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) 25
9. निर्माण केन्द्र/निर्मिति केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क 26
10. बीस लाख आवासीय कार्यक्रम (2 एमएचपी) 27-28
11. एकीकृत कम लागत सफाई योजना (आईएलसीएस) 29-31
12. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) 32-37
13. मानव बसाव प्रबंध संस्थान (एचएसएमआई) 37-40
14. राष्ट्रीय भवन संगठन (एनबीओ) 41-53
15 हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) 54-57
16. भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी) 58-72
17. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएफसी) 73-79
18. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) 80

परिशिष्ट - I : संगठन चार्ट 83

परिशिष्ट - II : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के लिए निर्धारित विषय 84

परिशिष्ट - III : सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकाय 85

परिशिष्ट - IV : 31.12.2007 को कुल स्टाफ का विवरण 86

परिशिष्ट - V : सरकारी उपक्रमों 2007 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार की स्थिति 86

परिशिष्ट - VI : सरकारी उपक्रमों (अर्थात हडको तथा एचपीएल) में 1 जनवरी, 2008 को सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण 88

परिशिष्ट - VI : 2007 के दौरान सरकारी कंपनी अर्थात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या 88

परिशिष्ट - VI : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागानुसार विवरण 89

संक्षिप्तियाँ

बीएमटीपीसी	भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद
बीएसयूपी	शहरी निर्धन को मूल सेवाएं
सीजीईडब्ल्यूएचओ	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
डीएफआईडी	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग
डीडब्ल्यूसीयूए	शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास
डीपीजी	सार्वजनिक शिकायत निदेशालय
डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
एचपीएल	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.
हडको	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि
एचयूपीए	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन
आईएचएसडीपी	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम
जेसीएम	संयुक्त परामर्शी मशीनरी
जेओएलआईसी	संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति
जेएनएनयूआरएम	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीकरण अभियान
एलसीएस	कम लागत सफाई
एनबीसीसी	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
एनबीओ	राष्ट्रीय भवन संगठन
एनसीएचएफ	राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ
एनएसडीपी	राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम
पीएमओ	प्रधान मंत्री कार्यालय
एसजेएसआरवाई	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
यूबीएसपी	गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूएसईपी	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम
यूडब्ल्यूईपी	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम
वाम्बे	वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना

प्रस्तावना

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर आवास नीति एवं कार्यक्रम को बनाने, प्लान योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, आवास एवं भवन सामग्रियों/तकनीकों के आँकड़ों के एकत्रीकरण एवं प्रसारण तथा भवन निर्माण की लागतों को कम करने के लिए सामान्य उपायों को अंगीकृत करने हेतु भारत-सरकार का शीर्षस्थ प्राधिकरण है । इसके अलावा, इसे शहरी रोजगार एवं शहरी गरीबी उपशमन के विशेष कार्यक्रमों को चलाने का काम सौंपा गया है । भारतीय शासन के संघीय ढाँचे में भारतीय संविधान ने आवास एवं शहरी विकास का मामला राज्य सरकारों को सौंपा है तथा भारत सरकार इसमें एक समन्वयकारी एवं निगरानीकर्ता की भूमिका अदा करती है और विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की मदद करती है ।

2. यह मंत्रालय नीतियों को बनाते हुए, विधायी दिशा-निर्देश देते हुए तथा क्षेत्रवार कार्यक्रमों की मार्फत शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन जैसे विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में भी अहम भूमिका अदा करता है । यह मंत्रालय राष्ट्रीय नीति के मुद्दे तय करता है, जो केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की मार्फत राज्य-सरकारों को संसाधन आवंटित करता है । इसके अलावा, यह मंत्रालय संपूर्ण देश भर में आवासीय, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन के कार्य के लिए बाहरी सहायता देते हुए विविध कार्यक्रमों को मदद भी दे रहा है ।

3. 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवासीय कमी अनुमानतः 24.7 मिलियन आवासीय यूनिट थी और इस आवासीय कमी 99% ऐसे परिवारों का था जो आर्थिक रुप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) से संबंधित था । इसके अलावा, हमारे देश में शहरी क्षेत्रों की पहचान बुनियादी सेवाओं जैसे पीने के पानी, गन्दे पानी की निकासी, सीवरेज नेटवर्क, सफाई सुविधाओं, बिजली, सड़कों तथा प्रभावी ठोस कचरे के प्रबंधन की दुष्कर समस्याओं के रुप में की गई है ।

4. आवासीय कमीं को दूर करने तथा बदलते नीति परिवेश के अनुरुप बुनियादी सेवाओं में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2007 की घोषणा की थी । समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों जैसे अनु. जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व., अल्प संख्यक, महिला-मुख्य परिवार तथा अपंगों पर विशेष बल देने के साथ यह नीति 'सभी के लिये वहनीय आवास' पर ध्यान देती है । यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र कर्मचारी कल्याण आवास क्षेत्र, औद्योगिक व श्रम आवास क्षेत्र के साथ सहयोग कर पब्लिक सेक्टर पर बल देती है ।

5. केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति के तत्वाधान में 'समर्थवान' तथा 'सुविधादाता' की भूमिका निभाना चाहती है ।

6. हाल ही में, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर देश के रूझान और विकेन्द्रीकरण की भावना जिसे संविधान (74वां संशोधन अधिनियम,1992) में सुनिश्चित किया गया है के कारण शहरी क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं । इसके अलावा तीव्र शहरी विकास के परिणामस्वरूप पैदा हुई जटिल समस्याओं से निपटने के लिए, अभियान के रूप में चुने हुए शहरों में परियोजनाएं चलाने के लिए कार्यनीति को बनाना जरूरी हो जाता है ।

7. शहरी गरीबों, स्लम सुधार, सामुदायिक शौचालयों/स्नानघरों इत्यादि विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए चुने गए 63 शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकृत विकास एवं सेवाओं पर विशेष बल देने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री ने 03 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया था । इस अभियान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर/सेवाओं के वितरण-तंत्र में दक्षता, सामुदायिक भागीदारी एवं नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जवाबदेही पर ध्यान देते हुए चुने गए शहरों के सुधारों, तुरन्त कार्रवाई एवं योजनाबद्ध विकास का प्रस्ताव है ।

8. भारत में शहरीकरण को राष्ट्रीय आर्थिक विकास

एवं गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है, अतः जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान के तहत "शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं" (बीएसयूपी) नामक उप-अभियान की जरूरत महसूस की गई । 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 285.35 मिलियन आबादी (कुल आबादी का 27.8%) रहती थी । इस बढ़ोत्तरी की वर्तमान दर को देखते हुए 2030 तक भारत की शहरी आबादी 575 मिलियन तक पहुँच जाएगी। 2001 के अनुमानों के अनुसार स्लम आबादी के 61.8 मिलियन हो जाने का अनुमान है । स्लमवासी आबादी में सदैव बढ़ोत्तरी के कारण शहरी बुनियादी सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है । बढ़ती शहरी आबादी को मकान देने के लिए भूमि की आपूर्ति में असफलता के परिणामस्वरूप परिवारों का एक बड़ा भाग बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति से वंचित है, घटिया मकानों में रहने पर मजबूर है तथा स्लम क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी हुई है और गरीबी का व्यापक प्रसार हुआ है ।

9. इस मिशन (जेएनएनयूआरएम) का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक चुने गए शहर की फंड जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों एवं कार्यनीतियों का उल्लेख करते हुए 20-25 वर्षों की अवधि (प्रत्येक 5 वर्ष बाद अद्यतन सहित) योजनाबद्ध शहरी परिप्रेक्ष्य रुपरेखा को प्राप्त करना है । यह शहरी गरीब आबादी के लिए आश्रय एवं बुनियादी नागरिक सुविधाएं देने के लिए अपेक्षित राजकोषीय, वित्तीय एवं सांस्थानिक परिवर्तन लाने में राज्यों/शहरों को आमंत्रित करता है ।

10. मंत्रालय उपरोक्त मिशन के क्रियान्वयन में उच्च स्तरीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है । मिशन की 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रतिपूरक बुनियादी सेवाओं के साथ 10 लाख से भी अधिक आवास स्वीकृत किए हैं । बीएसयूपी और आईएचएसडीपी योजना के अन्तर्गत केन्द्र के 8761.03 करोड़ रुपये तथा 2847.64 करोड़ रुपये के साथ क्रमशः 200 तथा 300 से भी अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन किया गया है ।

11. कुमारी सैलजा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की प्रभारी मंत्री हैं । डा. एच.एस.आनन्द, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सचिव, डॉ पी के मोहन्ती, मिशन निदेशक, (संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी) एवं श्री एस के सिंह, संयुक्त सचिव (आवास) इनकी सहायता करते हैं । शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को राष्ट्रपति अधिसूचना सं.सीडी-160/2004, दिनांक 27.05.04 के द्वारा दो मंत्रालयों अर्थात् शहरी विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय में बाँटा गया था । मंत्रालय का पुनः केबिनेट सचिवालय अधिसूचना सं. 1/22/1/2006-केबि.वाल्यूम –II (I), दिनांक 2.6.2006 के द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का नाम रखा गया था । तथापि, दोनों मंत्रालयों के प्रशासन, संसद, वित्त, हिन्दी एवं सतर्कता से जुड़े कार्य उभयनिष्ठ है ।

12. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सम्बद्ध कार्यालय, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा तीन स्वायत निकाय हैं ।

13. राष्ट्रीय भवन संगठन (एनबीओ), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए) के अंतर्गत एक सम्बद्ध कार्यालय है । इसे वर्ष 1954 में 'निर्माण एवं आवास मंत्रालय' के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था : -

(क) आवास के क्षेत्र में नवीनतम विकास की सूचनाओं को एकत्रित करना, उनके दस्तावेज तैयार करना और उन्हें प्रसारित करना ;

(ख) आवास/भवनों की सांख्यिकी का विकास करना तथा आवास के सामाजिक-आर्थिक, वित्तीय एवं निवेश पहलुओं से संबंधित अध्ययन करना ।

राष्ट्रीय आवास नीति तथा आवास एवं भवन गतिविधियों से जुड़े विभिन्न सामाजिक - आर्थिक एवं सांख्यिकी क्रियाकलापों के अंतर्गत मौजूदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष

1992 में राष्ट्रीय भवन संगठन के ढाँचे में परिवर्तन किया गया और उसे सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के प्लान/योजनाओं की समुचित ढंग से निगरानी की जाती है । राष्ट्रीय भवन संगठन के ढाँचे में वर्ष 2005 में पुनः एक बार परिवर्तन किया गया ।

14. हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. (हडको) की स्थापना संपूर्ण सरकारी स्वामित्व में विभिन्न आवासीय गतिविधियों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए राज्यों एवं शहरी स्तर की एजेन्सियों तथा अन्य पात्र संगठनों को ऋण और तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य से अप्रैल 1970 में एक कंपनी के रूप में की गई थी ।

15. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि. (एचपीएल) मंत्रालय के अन्तर्गत एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ।

16. भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बीएमटीपीसी) अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित नवीन प्रौद्योगिकियों तथा औद्योगिक व कृषि कचरों पर आधारित सस्ती भवन सामग्रियों के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन का कार्य करता है । यह नई सामग्रियों के समुचित मानक विकसित करने तथा सार्वजनिक आवास एवं निर्माण एजेंसियों द्वारा अपनी अनुसूची एवं विनिर्देशों में उन्हें शामिल करने को भी प्रोत्साहित करता है ।

17. 1969 में स्थापित, राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ) भारत में सम्पूर्ण सहकारी आवास आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा है और यह राष्ट्रीय स्तर का संगठन (पंजीकृत समिति) है । देश में सहकारी आवास समिति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों के एक भाग के रूप में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय इसकी सहायता करता है ।

18. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तत्वावधान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) स्थापित किया गया है ।

*****

I प्रशासन एवं संगठन

कुमारी सैलजा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), इस मंत्रालय के कार्य देखती हैं। सचिव एचयूपीए, संयुक्त सचिव तथा एक मिशन निदेशक (संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी) उनकी इस कार्य में मदद करते हैं। इस मंत्रालय का कार्य-विभाजन परिशिष्ट-I में देखा जा सकता है।

इस मंत्रालय को दिए गए मामले परिशिष्ट-II में दर्शाए गए हैं । मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों एवं अन्य कार्यालयों के नाम परिशिष्ट-III में दिए गए हैं ।

इस मंत्रालय के सचिवालय की वर्ग-वार स्टाफ संख्या परिशिष्ट-IV में देखी जा सकती है ।

मॉंग-वार बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान 2007-08 (योजनागत) व (गैर-योजनागत) तथा गैर-योजनागत के लिए बजट-अनुमान 2008-09 नीचे दिए गए हैं : -

(रुपये करोड़ में)

मांग सं. एवं नाम	बजट अनुमान 2007-08			संशोधित अनुमान 2007-08		
	योजना	गैर योजनागत	योग	योजना	गैर योजनागत	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
मॉंग सं.-55, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय						
(क) राजस्व	500.00	4.14	504.14	500.00	4.14	504.15
(ख) पूंजी	0.00	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61
योग	**500.00**	**9.75**	**509.75**	**509.75**	**9.75**	**509.75**

मांग सं.56 - आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

	बजट अनुमान 2008-09		
	योजना	गैर योजनागत	योग
(क) राजस्व	850.00	5.00	855.00
(ख) पूंजी	0.00	1.50	1.50
योग	**850.00**	**6.50**	**856.50**

II बजट

बजट अनुभाग मंत्रालय के अनुदानों एवं बजट-नि-पादन की मॉंगों को तैयार करने, छपाई कार्य और इन दस्तावेजों को सदन के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है । इसके अलावा यह अनुभाग लोक लेखा समिति (पीएसी) तथा लेखा पारस एवं संसदीय स्थायी समिति से सम्बन्धित कार्यो को भी देखता है । यह अनुभाग मुख्य लेखा-नियंत्रक व संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के संपूर्ण नियंत्रण में कार्य करता है ।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित योजनागत व गैर-योजनागत फंडों का आबंटन, अनुदान-मॉंगों में दिया जाता है । आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदान-मॉंगों में से एक मॉंग अर्थात् मॉंग संख्या-56 - आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है ।

मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) लेखा-परीक्षा करता है मंत्रालय और इसके सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों सहित व्यापक रूप में लेखा, आंतरिक लेखा और निगरानी कार्य-कलापों को देखता है । सीसीए राजस्व रसीदें, ब्याज रसीदें/वसूलियॉं तथा उधार व पूंजी रसीदें तैयार करता है । दो लेखापाल नियंत्रकों, दो उप लेखापाल नियंत्रकों, वेतन व लेखा अधिकारियों तथा सहायक स्टाफ का एक दल उनकी मदद करता है ।

III हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं । सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा दोनों मंत्रालयों अर्थात् आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा

शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त रूप से हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास सितम्बर, 2007 मनाया गया । माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई । दोनों मंत्रालयों में अवर सचिव, अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों के लिए हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के अलावा उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए भी हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई ।

यह मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग की सेवाएं भी ले रहा है । इस प्रकार राजभाषा प्रभाग दोनों मंत्रालयों अर्थात् शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की संपूर्ण अनुवाद जरूरतों को पूरा करता है । इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में पर्याप्त अनुवाद व्यवस्था है ।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की 9 फरवरी, 2007 को आयोजित दूसरी बैठक में दिए गए सुझावों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई ।

संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के अलावा, दोनों मंत्रालयों में सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए संयुक्त सचिव (शहरी विकास और प्रशासन)/विशेष सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अन्य समिति 'संयुक्त राजभाषा क्रियान्वयन समिति (ओएलआईसी)' भी कार्य कर रही है । इस समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं । आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत संगठनों की राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठकें भी नियमित अन्तराल पर आयोजित की जाती हैं और राजभाषा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस मंत्रालय के प्रतिनिधि इन बैठकों में भाग लेते हैं ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निष्पादन संतोषजनक रहा है ।

यह मंत्रालय हिन्दी नहीं जानने वाले कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से हिन्दी प्रशिक्षण दिलवाने के सभी प्रयास कर रहा है और टंककों एवं आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है ।

अपनी भाषा - अपना देश विषय पर एक दिवसीय राजभा-II क्षेत्रीय सम्मेलन शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रुप से 14 फरवरी, 2008 को श्रुति ऑडिटोरियम, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बंगलौर में आयोजित किया गया । सम्मेलन का उद्देश्य भारत की राजभाषा हिन्दी को प्रोन्नत करने के अलावा हिन्दी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच पहले से ही विद्यमान सदियों पुराने एवं सुदृढ़ अंतःसंबंधों को और मजबूत बनाना तथा विकसित करना था । सम्मेलन में दोनों मंत्रालयों के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिल्ली, एडीजी, दक्षिण क्षेत्र, सीपीडब्ल्यूडी; डीडीजी, डीजी (डब्ल्यू), सीपीडब्ल्यूडी; नई दिल्ली, प्रमुख इंजीनियर (एसजेड-3), बंगलौर; जीएम और आंचलिक प्रमुख, आंचलिक कार्यालय एनबीसीसी, बंगलौर, क्षेत्रीय प्रमुख, हडको क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पूरे दक्षिणी क्षेत्र से 300 से भी अधिक सहभागियों ने हिस्सा लिया ।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया ।

हिन्दी प्रभाग के अधिकारियों ने राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देने तथा सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए निरीक्षण-सह-सम्पर्क कार्यक्रम के तहत मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का दौरा किया ।

IV संसदीय मामले

मंत्रालय का संसद अनुभाग आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित सभी संसदीय मामले देखता है । वर्ष

2007 के दौरान आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने आवास, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी), शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम, वाम्बे, स्लम विकास इत्यादि से संबंधित विभिन्न विषयों पर 220 (26 तारांकित तथा 194 अतारांकित) प्रश्नों का जवाब दिया ।

वर्ष 2007 के लिए वार्षिक रिपोर्टे तथा परीक्षित-लेखे निम्नलिखित प्रत्येक संगठन के आगे दर्शाए अनुसार लोक/ राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किए गए : -

- I केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) (2006-07)
- II भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी) (2006-07)
- III राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ) (2006-07)
- IV लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (एलबीडीबी) (2005-06)
- V हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) (2006-07)
- VI हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (हडको) (2005-06)

V कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न शिकायत समिति

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए मंत्रालय में एक शिकायत समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है : -

1.	श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, निदेशक (डीडी)	अध्यक्ष
2.	सुश्री राधा रानी, अवर सचिव	सदस्य
3.	श्रीमती गुलवीना बधान, सहायक निदेशक	सदस्य
4.	श्री मेहर सिंह, उप सचिव	सदस्य
5.	सुश्री ललिता सेन जोसूवा (वाईडब्ल्यूसीए की प्रतिनिधि)	सदस्य

यह समिति आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व करती है ।

जहाँ तक शहरी विकास/आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि समिति को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

VI कल्याण

मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में स्टाफ कल्याण गतिविधियों पर निरन्तर सजग ध्यान एवं प्रोत्साहन दिया जाता रहा है । इसके लिए आठ मनोरंजन क्लब कार्य कर रहे हैं । इन मनोरंजन क्लबों के तत्वावधान में मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध व सहायक कार्यालयों के खिलाड़ियों ने केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक व खेल बोर्ड तथा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों में भाग लिया ।

मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों से चुनी गई टीम ने वर्ष 2007-2008 के दौरान सीसीएससीएसबी द्वारा आयोजित एथलेटिक्स, कैरम, चैस, क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, कबड्डी, संगीत एवं नृत्य तथा लघु नाटिका, पावर लिफ्टिंग, टेबल-टेनिस, वॉली-बॉल तथा भारत्तोलन एवं बैस्ट फिज़िक में अन्तः मंत्रालयी टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप/प्रतियोगिताओं में भाग लिया । विभिन्न खिलाड़ियों जिन्होंने व्यक्तिगत क्षमता में अंतः मंत्रालयी भारत्तोलन एवं श्रेष्ठ शरीर तथा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, 2007-08 में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के खिलाड़ियों ने संगीत, नृत्य, लघु नाटिका प्रतियोगिताओं में पश्चिमी संगीत, लोक संगीत तथा पश्चिमी नृत्य में क्रमशः

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया । आशा है कि मंत्रालय की प्रतिनिधि टीम भावी खेलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी ।

शहरी विकास मंत्रालय की विभागीय कैन्टीन में इस समय मरम्मत का कार्य चल रहा है जैसे ही कैन्टीन की मरम्मत का कार्य पूरा हो जायेगा कैन्टीन मंत्रालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़िया ढंग से कार्य करने लगेगी ।

VII संयुक्त परामर्श समिति (जे.सी.एम.)

संयुक्त परामर्श समिति द्वारा संतोषजनक ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई होती रही हैं । शहरी विकास मंत्रालय की विभागीय परिषद पुनरीक्षण करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । मामला प्रक्रियाधीन है ।

VIII 2007-2008 के दौरान सतर्कता गतिविधियाँ

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का प्रशासनिक सतर्कता यूनिट, मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), जो प्रमुख सतर्कता अधिकारी भी होता है, के प्रभार में कार्य करता है । निदेशक रैंक का एक उप प्रमुख सतर्कता अधिकारी, तीन अवर सचिव (सतर्कता) तथा मंत्रालय के संबंद्ध कार्यालय का एक सतर्कता अधिकारी और मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों का प्रमुख सतर्कता अधिकारी उनके इस कार्य में सहायता करते हैं । सतर्कता यूनिट आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों/समितियों आदि में सतर्कता से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है ।

2. सतर्कता कार्य में निवारण, निगरानी व खोज तथा दण्डात्मक कार्रवाई आती हैं । निवारण कार्रवाई के तहत यह मंत्रालय समय-समय पर नियमों व प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है और संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक नियमित निरीक्षण किये जाते हैं । निगरानी व खोज का जहाँ तक संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के परामर्श से राजपत्रित स्तर के ऐसे अधिकारियों की सूचियाँ तैयार की जाती हैं, जिनका आचरण ध्यान रखे जाने की जरूरत होती है । दण्डात्मक कार्रवाई के अन्तर्गत जो दोषी पाये जाते हैं उन अपराधियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत नियमों के अन्तर्गत दण्ड लगाए जाते हैं ।

3. शिकायतों व रिपोर्टों की जाँच की विभागीय पड़ताल के अलावा यह मंत्रालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से भी अधिकारियों के विषय में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोग चलाने के लिए मंजूरी देने की रिपोर्टें भी प्राप्त करता है ।

4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में यह मंत्रालय केवल बोर्ड स्तर के अधिकारियों के खिलाफ मामले चलाता है । स्वायत्त निकाय अपने अधिकारियों के खिलाफ स्वयं कार्रवाई करते हैं । तथापि, यदि केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी इन निकायों में प्रतिनियुक्ति पर होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई यह मंत्रालय करता है ।

IX जन शिकायत निपटान से संबंधित सूचना

मंत्रालय में नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करने एवं उनके तुरन्त निपटान के लिए जन-शिकायत प्रकोष्ठ (पीजी) की स्थापना की गई है । यह प्रकोष्ठ उप-सचिव (जन-शिकायत) के प्रभार तथा संयुक्त सचिव (शहरी विकास), जो शहरी विकास तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, इसके संबद्ध एवं उप-कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का 'निदेशक-शिकायत' भी होता है, के पर्यवेक्षण में कार्य करता है ।

2. शिकायतें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं । विगत एक वर्ष में (1.1.07 से 31.12.07) की शिकायतों के स्रोत

सहित प्राप्त शिकायतों एवं उनके निपटान का संक्षिप्त चार्ट नीचे दिया गया है :

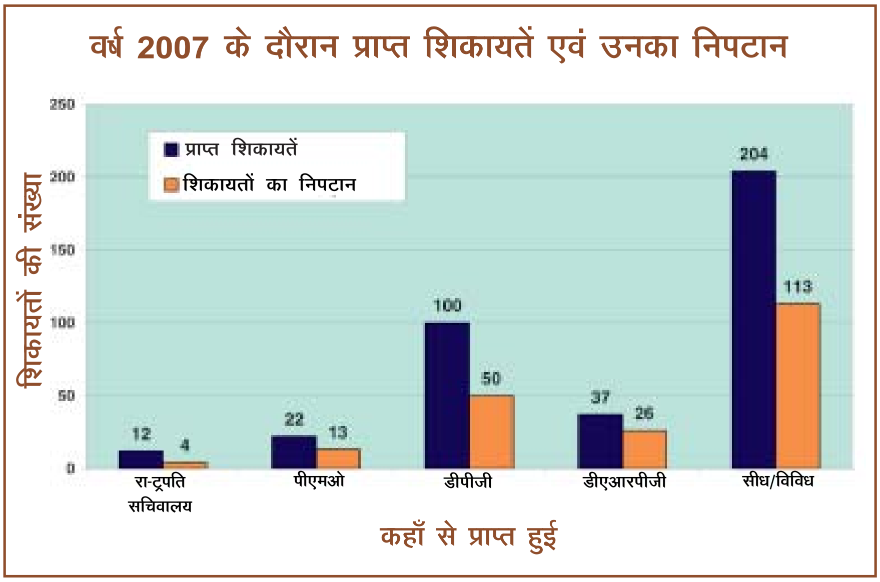

3. विभिन्न स्तरों पर सरकार के साथ जनता के साथ सम्पर्क/आदान-प्रदान की वजह से सामान्यतः शिकायतें पैदा होती हैं और आधारभूत स्तर पर कार्यकर्त्ता एजेन्सियों से शिकायतों के वास्तविक निवारण का फीड बैक जरूरी हो जाता है, क्योंकि वे अपने से संबंधित कार्य-क्षेत्र से जुड़ी शिकायत की समस्या से भली-भाँति परिचित होते हैं। जनता की शिकायतों के शीघ्रता से निवारण के उद्देश्य से शिकायतों पर तय समय में आगामी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायतों को संबंधित कार्यालयों को फौरन भेज दिया जाता है। शिकायत याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता के आधार पर यह मंत्रालय संबंधित संगठन के मौखिक उत्तर एवं मुद्दे के उत्तर सहित उसके अंतिम निपटान तक उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

4. 31.12.2007 तक प्राप्त एवं निपटाई गई कुल जन शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई हैं :-

वर्ष के प्रारंभ अर्थात् 01.01.2007 में लम्बित शिकायतों की संख्या	502
31.12.2007 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	375
निपटाई गई शिकायतों की संख्या	206
31.12.2007 को लम्बित शिकायतों की संख्या	671

5. मंत्रालय शिकायतों के वास्तव में प्रभावी, तीव्र एवं शीघ्र निपटान को सुनिश्चित कर रहा है।

II. 31.12.2007 को मंत्रालय तथा इसके विभिन्न संगठनों के अंतर्गत जन शिकायत अधिकारी

संगठन का नाम
मंत्रालय (सचिवालय)

जन शिकायत अधिकारी, दूरभा-ा सं. तथा ईमेल पता
संयुक्त सचिव (यूडी) मंत्रालय में निदेशक शिकायत हैं
कमरा नं. 140 'सी' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली
टेली. नं. 23062309
ई-मेल : uae@nb.nic.in

श्री पी. के. कैलाश बाबू, उप सचिव (पीजी)
कमरा नं. 140 'सी' विंग
निर्माण भवन,
नई दिल्ली
टेली. नं. 23061425

X. भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के संबंध में आंकड़े परिशिष्ट-V में दिए गए हैं।

XI. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण

मंत्रालय सरकार द्वारा निर्धारित सावधि रिपोर्टों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा में

आरक्षण के संबंध में सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है । मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्गो को दिए गए आरक्षण को संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिचालित निर्देशों के सख्ती से अनुपालन हेतु अपने नियंत्रणाधीन संगठनों को निर्देश जारी कर चुका है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जैसे हडको एवं एचपीएल) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के संबंध में आंकड़े परिशिष्ट VI-VII में दिए गए हैं ।

XII बकाया लेखा परीक्षा आपत्तियाँ एवं निरीक्षण रिपोर्ट

मंत्रालय तथा उसके संबद्ध कार्यालयों के संबंध में मार्च 2007 को बकाया निरीक्षण रिपोर्टो/लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण परिशिष्ट-VIII में दिया गया है ।

कुमारी सैलजा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी गरीबी उपशमन को यूएन हैबीटैट की नैरोबी, कीनिया में 16-20 अप्रैल, 2007 को हुई गवर्निंग काउंसिल की 21वीं बैठक के दौरान मानव बसावों (कॉम हैबीटेट) पर राष्ट्र मंडल परामर्शदाता समूह का अध्यक्ष चुना गया ।

योजनाएँ एवं संगठन

1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के प्रोत्साहन अथवा मज़दूरी रोजगार की व्यवस्था की मार्फत शहरी बेरोजगारों व अल्प बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार दिलाने के उद्देश्य से गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यूबीएसपी), नेहरू रोज़गार योजना (एनआरवाई) तथा प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) नामक पिछली तीन शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को मिलाने के उपरान्त 01.12.1997 को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई) की शुरूआत की गई थी ।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना राज्य/संघ शासित सरकारों की मार्फत कार्यान्वित की जा रही है तथा केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75ः 25 आधार पर फंड देती है ।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के निम्नलिखित दो मुख्य भाग हैं अर्थात् : -

(i) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

(ii) शहरी मज़दूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

1.1 शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी):

एसजेएसआरवाई के इस भाग की निम्नलिखित तीन विशिष्टताएं हैं : -

(i) वैयक्तिक शहरी "गरीब लाभप्राप्तकर्त्ताओं को" लाभकारी स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए मदद देना ।

(ii) शहरी गरीब महिला वर्ग को लाभकारी स्व - रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए मदद देना । इस उप योजना को "शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास योजना (डीडब्ल्यूसीयूए)" का नाम दिया गया है ।

(iii) व्यावसायिक व उद्यमी दक्षताओं को प्राप्त करने व उनके उत्थान के लिए लाभार्थियों, संभावित लाभार्थियों तथा शहरी रोजगार कार्यक्रम से जुड़े अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना ।

कार्यक्रम कवरेज

- यह कार्यक्रम भारत में सभी कस्बों/नगरों के लिए लागू है ।
- यह कार्यक्रम शहरी गरीबों के कलस्टर पर विशेष जोर देते हुए पूरे नगर के लिए क्रियान्वित किया गया है।
- यह कार्यक्रम शहरी गरीब, जो योजना आयोग द्वारा समय समय पर परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, के लिए हैं ।
- 10वीं योजना में, बजट आबंटन के प्रारंभ में, योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत/समूह माइक्रो उद्यम स्थापित करने तथा दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए शहरी गरीबों को सहायता देने का वार्षिक लक्ष्य नियत किया गया है (राज्यवार के साथ-साथ केन्द्रीय स्तर पर) ।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी अन्य श्रेणियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।
- इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी महिलाओं का प्रतिशत 30% से कम नहीं होना चाहिए । महिला मुखिया गृहस्थों अर्थात् विधवाओं, तलाकशुदाओं, एकल महिलाओं अथवा जहाँ महिला की कमाई का एकमात्र साधन है, ऐसे लाभार्थी महिलाओं को प्राथमिकता में उच्च रैंक दिया जाता है ।
- स्थानीय आबादी में ज्यादा से ज्यादा एससी व एसटी को उनकी संख्या के अनुपात में लाभ मिलना चाहिए ।
- विकलांगों के लिए 3% की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, एसजेएसआरवाई के अन्तर्गत माइक्रो-उद्यमों तथा दक्षता प्रशिक्षण के लिए सहायता के संबंध में 15% का वास्तविक तथा वित्तीय

लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चिन्हित किया जाना है ।

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। तथापि, स्व-रोजगार घटकों के लिए 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' (पीएमआरवाई) के प्रभाव से बचने के लिए यह योजना IX वीं कक्षा से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए लागू नहीं है ।
- वास्तविक लाभार्थी की पहचान के लिए घर-घर का सर्वेक्षण निर्धारित किया गया है । गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वालों की प्राथमिकता तय करने के उद्देश्य के लिए आर्थिक मानदण्डों के अलावा शहरी गरीब पर आर्थिक पैरामीटर भी लागू किये जाते हैं ।

क छोटे - उपक्रम (व्यक्तिगत) स्थापित करना

पात्रता

- 1991-92 मूल्यों पर 11850/- रुपये से कम की वार्षिक पारिवारिक आय ।
- कम से कम पिछले तीन वर्षों से उस नगर में रहने वाला होना चाहिए ।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए ।

परियोजना विवरण

अधिकतम यूनिट लागत	:	50,000/-रुपये
इमदाद	:	7500/-रुपये की अधिकतम लागत की शर्त पर परियोजना लागत का 15%
लाभार्थियों द्वारा दी जाने वाली मार्जिन राशि	:	परियोजना लागत का 5%

ख दक्षता प्रशिक्षण

प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण लागत	:	2000/-रुपये
प्रशिक्षण अवधि	:	न्यूनतम 300 घंटों की शर्त पर दो से छह महीने
टूल किट कीमत	:	600/-रुपये

ग शहरी क्षेत्रों में महिला व बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए):

- डीडब्ल्यूसीयूए का उद्देश्य स्व-रोजगार उद्यम लगाने में शहरी गरीब महिला समूहों की मदद करना है ।
- इस समूह में 10 महिलाएं हो सकती हैं ।
- इस योजना के तहत अधिकतम इमदाद 1.25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 50%, दोनों में से जो भी कम है ।

घ थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसायटी (टीएंडसीएस)

अपना स्व-रोजगार उद्यम खोलने के अलावा यदि कोई समूह **उधार समिति** खोलता है, तो वह अधिकतम 1,000/-रुपये प्रति सदस्य की दर पर परिक्रामी निधि के रूप में 25,000/-रुपये का अतिरिक्त अनुदान पाने का हकदार होगा । यह निधि कच्चे माल की खरीद, बिक्री, इंफ्रास्ट्रक्चर मदद, बाल-देखभाल पर एक-बारगी खर्च, समूह सदस्यों के बैंक तक जाने का 500/-रुपये तक खर्च, किसी सदस्य द्वारा विभिन्न समय अवधियों के लिए बचतें/रखरखाव करते हुए स्वयं/विवाहिती/बच्चे के लिए बीमा प्रीमियम की अदायगी तथा समूह के हित में राज्य द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य खर्च के लिए है । कोई भी दल अपनी स्थापना के एक वर्ष के उपरान्त ही परिक्रामी का लाभ उठा सकता है ।

ङ. इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता

सामुदायिक सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए विशेष सहायता दी जायेगी जिसे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभग्राहियों के लिए कार्य स्थान/विपणन केन्द्रों आदि जैसी बहुमुखी गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ।

1.2 शहरी मज़दूरी रोज़गार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

(i) इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक संपदाओं के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों की सीमा में उनके मज़दूरों का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाभग्राहियों को मज़दूरी रोज़गार उपलब्ध करवाना है ।

(ii) इस कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता का कोई

प्रतिबंध नहीं हैं ।

(iii) यह कार्यक्रम 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से कम की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होता है ।

(iv) इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए सामग्री : मज़दूरी का अनुपात 60: 40 होगा ।

(v) इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभग्राहियों को प्रत्येक क्षेत्र के लिए समय-समय पर यथा अधिसूचित मौजूदा - न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान किया जाएगा ।

की दृष्टि से आईईसी को एसजेएसआरवाई के अंतर्गत रखा गया है । यह कार्यक्रम प्रशिक्षुओं, चुने हुए प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों के प्रसारणों और परियोजना अधिकारियों व समुदाय आयोजनकर्त्ताओं इत्यादि जैसे फील्ड कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए देशभर में शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों व चुने हुए राज्य प्रशिक्षण/फील्ड प्रशिक्षण संस्थानों को मार्फत प्रशिक्षण का समरूप व समन्वित स्तर उपलब्ध कराता है ।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अंतर्गत वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति (समग्र देश)

वित्तीय प्रगति

(रुपये करोड़ में)

एसजेएसआरवाई के अन्तर्गत राज्यों/संघशासित प्रदेशों को जारी केन्द्रीय फंड											
1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-08 29.2.08 को	कुल
98.63	**158.47**	**118.77**	**85.13**	**38.31**	**100.92**	**100.74**	**122.01**	**155.88**	**248.68**	**328.46**	**1556.00**

1.3 सामुदायिक ढ़ाँचे के लिए सहायता (सीएस)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से स्थानीय विकास के लिए सहायता देने तथा सुविधाकारी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक संगठनों तथा ढ़ाँचे की स्थापना तथा प्रोन्नत करने पर आधारित है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नैबरहुड ग्रुप (एनएचजी) नैबरहुड कमेटी (एनएचसी) तथा सामुदायिक विकास समितियाँ (सीडीएस) लक्षित क्षेत्रों में स्थापित की जायेगी । कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन सामुदायिक ढ़ाँचों तथा सामुदायिक सशक्तिकरण की उनकी सामाजिक गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।

1.4 सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आईईसी)

योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, निगरानी को सुविधाजनक बनाने,, मूल्यांकन सम्प्रेषण और सूचना के प्रचार-प्रसार इत्यादि को सहायता प्रदान करने

उपरोक्त से यह उपयुक्त है कि इसके प्रारंभ से लेकर 2007-2008 तक एसजेएसआरवाई के अन्तर्गत जारी कुल केन्द्रीय निधियाँ 1556.00 करोड़ रुपये हैं । एनआरवाई के पुराने यूपीए कार्यक्रमों, यूबीएसपी तथा पीएमआईयूपीईपी से प्राप्त 251.73 करोड़ की खर्च न की गई बकाया राशि (केन्द्रीय शेयर) को शामिल करने के बाद कुल राशि 1807.73 करोड़ रुपये की हो जायेगी ।

चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 344.00 करोड़ रुपये की राशि स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई) के लिए आबंटित की गई है । इसमें से 29.2.2008 तक 328.46 करोड़ रुपये योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को जारी किये गये हैं ।

वास्तविक प्रगति

29.2.2008 तक प्राप्त राज्यों/संघशासित प्रदेशों से तिमाही प्रगति रिपोर्टों में बताए गए अनुसार एसजेएसआरवाई के विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत वास्तविक संचयी प्रगति निम्नानुसार है :-

1. शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

(क)	लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	839622
(ख)	लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या (डीडब्ल्यूसीयूए समूह उद्यम)	270322
(ग)	लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की कुल संख्या (क)+(ख)	1109944
(घ)	दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	1230177
(ड.)	गठित डीडब्ल्यूसीयूए समूहों की संख्या	70582
(च)	गठित थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट समितियों की संख्या	280014

2. शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

सृजित कार्य के श्रम दिवसों की संख्या	673.63 लाख

3. सामुदायिक ढांचे के लिए सहायता (सीएस)

सामुदायिक ढांचे के अन्तर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या	359.41 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई) को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहत रूप से पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, एक मूल्यांकन अध्यन किया गया था। अध्ययन के तथ्यों के आधार पर "पुनर्गठित एसजेएसआरवाई" पर विचार नोट तैयार किया गया था तथा जिसका योजना आयोग द्वारा सिद्धान्ततः अनुमोदन कर दिया गया है। स्व-रोजगार उद्यमों को सहायता देने वाले माइक्रो-बिजनेस केन्द्रों के अनुरूप एसजेएसआरवाई की संशोधित मार्गनिर्देशिकाओं को तैयार करने का प्रस्ताव है तथा जो बाजार के साथ निकटस्थ संबंध विकसित करना चाहेंगे।

1.5 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान

स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई) के भाग 'शहरी स्व-रोज़गार कार्यक्रम (यूएसईपी)' में विकलांग श्रेणी के लिए 3% का विशेष प्रावधान किया गया है। यूएसईपी के अन्तर्गत (व्यक्तिगत ऋण एवं इमदाद) कुल 839622लाभार्थियों में से 22105 विकलांग श्रेणी से संबंधित हैं, जोकि कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल लाभार्थियों का लगभग 2.6% है।

विकलांगों के लिए बजट आवंटन के मामले में यह उल्लेखनीय है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अन्तर्गत विकलांगों के लिए बजट का कोई अलग निर्धारण नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अन्तर्गत आवंटन इसके विभिन्न घटकों के अन्तर्गत अर्थात् शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी), शहरी मज़दूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी), सामुदायिक ढांचों को सहायता, आईईसी गतिविधियों, प्रशासनिक एवं अन्य खर्च (एएक्सआई) आदि के अन्तर्गत उपयोग हेतु बनाई गई निधियों का माध्यम (पुल) है।

एसजेएसआरवाई के यूएसईपी (व्यक्तिगत ऋण एवं इमदाद) घटक के अन्तर्गत विकलांग शहरी गरीबों को प्रदत्त कुल संचयी इमदाद 1091.60 लाख रुपये है जिससे 22105 शहरी गरीबों को लाभ पहुंचा है। अतः प्रति व्यक्ति किया गया खर्च लगभग 4938/- रुपये है।

1.6 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय देश में शहरी गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित 'स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना' (एसजेएसआरवाई) कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों, अपंगों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा उल्लिखित ऐसे अन्य वर्गो पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एसजेएसआरवाई मार्गनिर्देशों में यह निर्धारित है कि इस कार्यक्रम के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 30% से कम नहीं होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों

को कम से कम स्थानीय आबादी में उनकी शक्ति के अनुपात में लाभान्वित अवश्य किया जाना चाहिए । इस कार्यक्रम के तहत अपंगों के लिए 3% की विशेष व्यवस्था आरक्षित रखी जाएगी । तथापि, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही शहरी गरीब महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यूएसईपी में शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) नामक एक विशेष उप-कार्यक्रम है । डीडब्ल्यूसीयूए के तहत शहरी गरीब महिला वर्गों को उनकी दक्षताओं, प्रशिक्षण, रुचि एवं स्थानीय हालातों के अनुरूप आर्थिक गतिविधियाँ चलाने के लिए सहायता दी जाती है । आय कमाने के अवसर पैदा करने के अलावा यह कार्यक्रम स्व-रोजगार का सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाकर उन्हें आत्म-निर्भर बनाते हुए शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता है । केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में सब्सिडी वहन की जाती है । छोटे उद्यम स्थापित करने की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है :

अधिकतम यूनिट लागत	: 50,000/-रुपये
इमदाद	: अधिकतम 7500/-रुपये की शर्त पर परियोजना लागत का 15%, कम से कम 10 शहरी गरीब महिलाओं का डीडब्ल्यूसीयूए समूह 1,25,000 रुपये अथवा परियोजना लागत का 50% दोनों में से जो भी कम हो, की इमदाद का हकदार है ।
लाभार्थियों द्वारा दी जाने वाली मार्जिन मनी	: परियोजना लागत का 5%

यदि डीडब्ल्यूसीयूए समूह अपनी अन्य उद्यमी गतिविधि के अलावा अपनी उधार समिति को खोलता है, तो यह समूह/ उधार समिति प्रति सदस्य 1000/- रुपये के अधिकतम परिक्रामी निधि फंड के रूप में 25,000/- रुपये का एक-मुश्त अनुदान प्राप्त करने का हकदार भी होता है । यह परिक्रामी निधि कच्चे माल की खरीद व बिक्री ; आय कमाने व अन्य समूह गतिविधियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता; बाल देखभाल गतिविधि पर एक बारगी खर्च; सदस्य के स्वास्थ्य/जीवन/दुर्घटना/अन्य किसी बीमा योजना के प्रति समिति सदस्य की ओर से प्रोत्साहन इमदाद, उधार समिति के पास 12 महीनों के लिए न्यूनतम 500 रुपये की बचत की सावधि जमा की शर्त पर खर्च करने के लिए है ।

यूएसईपी के तहत लाभार्थियों को स्थानीय दक्षताओं तथा उनकी रूचि व स्थानीय हालातों के अनुरूप स्थानीय कुटीर धन्धों के साथ-साथ अनेक प्रकार की उत्पादन सेवाओं व धन्धों में प्रशिक्षण दिलाया जाता है, ताकि वे अपना स्व-रोजगार उद्यम लगा सके अथवा वेतन रोजगार प्राप्त कर अपना पारिश्रमिक बढ़ा सकें । प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है : -

प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण लागत	: 2000/-रुपये
प्रशिक्षण अवधि	: न्यूनतम 300 घन्टों की शर्त पर दो से छह महीने
टूल किट की कीमत	: 600/-रुपये

अपेक्षित प्रशिक्षण दिलवाने वाले संस्थानों तथा धन्धों का चयन राज्य में राज्य नोडल एजेंसी/शहरी स्थानीय निकाय करता है। प्रशिक्षण संस्थानों में आईआईटी, पोलिटेकनिक, श्रमिक विद्यापीठ, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा राज्यों में स्थित निर्मिति केन्द्र और सरकार, निजी अथवा स्वयं-सेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अन्य उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थान हो सकते हैं ।

एसजेएसआरवाई के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय फंड राज्य सरकार/राज्य नोडल एजेन्सियों को जारी किया जाता है, जो धन को शहरी विकास एजेन्सियों/स्थानीय निकायों को देते हैं। एसजेएसआरवाई के तहत सामानों का वितरण शहरी स्थानीय निकायों तथा समुदाय विकास समितियों जैसे सामुदायिक ढाँचों के माध्यम से किया जाता है । 29.2.2008 तक 5,16,372 महिलाओं की स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए मदद की गई है (यूएसईपी उप कार्यक्रम की इमदाद के तहत 2,46,050 तथा डीडब्ल्यूसीयूए उप कार्यक्रम की इमदाद के तहत 2,70,322) इसके अलावा 5,36,922 महिलाओं को दक्षता प्रशिक्षण भी दिया गया है ।

2. शहरी फेरी वालों पर राष्ट्रीय नीति का संशोधन - 2004

2.1 फेरी वाले हमारी शहरी अर्थव्यवस्था के एकीकृत भाग हैं। वे ग्राहकों को आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं, वे अपना स्व-रोजगार करते हैं तथा साथ ही साथ शहर की आर्थिक वृद्धि के लिए योगदान करते हैं परन्तु फिर भी वे असुरक्षित तथा गरीब हैं। इसके बावजूद सिस्टम के भाग के रूप में उनकी कोई मान्यता नहीं है तथा उन्हें नगर प्लान तथा नगर पालिका नीतियों में शामिल नहीं किया गया है। अतः इसलिए वे गरीबी तथा बेरोजगारी को बढ़ाने में प्रमुख रूप से असुरक्षित है। शहरों में असमानता तथा अव्यवस्था बढ़ने के कारण कानून तथा व्यवस्था भी बिगड़ी है।

2.2 विस्तार से फेरी वालों से संबंधित समस्याओं/मामलों पर चर्चा करने के लिए फेरी वालों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला 29-30 मई, 2001 को नई दिल्ली में स्व रोजगार महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) के सहयोग से शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत सरकार के सदस्यों, राज्य सरकार, म्युनिसिपल निकायों, फेरीवालों की यूनियन तथा विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक कार्यदल की स्थापना के लिए सिफारिश की। यह दल क्रमबद्ध तरीके से फेरीवालों के नियमन के लिए राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए मार्गनिर्देशिका सुझाने तथा फेरीवालों के विभिन्न मामलों को देखेंगे।

2.3 तद्नुसार, राज्य मंत्री (यूडीपीए) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल की पहली बैठक 10 सितम्बर, 2001 को नई दिल्ली में हुई थी। बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में देश के सभी प्रमुख सचिवों/प्रशासकों से फेरीवालों के लिए नोडल अधिकारी सुनिश्चित करने तथा फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति को बनाने के मुद्दों पर राज्य सरकार की टिप्पणियाँ/ सुझावों को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

2.4 कार्यदल की दूसरी बैठक अहमदाबाद में 19 फरवरी, 2002 को शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। कार्यदल की दूसरी बैठक की सिफारिशों के आधार पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग समिति का फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित की गई थी। ड्राफ्टिंग समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट राष्ट्रीय नीति पर कार्यदल की 30.09.2002 को हुई तीसरी बैठक में विचार विमर्श किया गया था।

2.5 फेरीवालों पर बनी ड्राफ्ट राष्ट्रीय नीति को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को उनकी टिप्पणियों को मांगने के लिए परिचालित की गई थी। राज्यों आदि से प्राप्त प्रतिउत्तरों के आधार पर अन्तिम ड्राफ्ट नीति तैयार की गई तथा 20.01.2004 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई। राज्य सरकारों से शहरी फेरीवालों समस्त हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्थानीय स्थिति के अनुरूप उसमें परिवर्तन सहित या परिवर्तन किये बिना तथा इस मुद्दे पर अतिक्रमण करने वाले कोर्ट के किसी भी निर्णय को मानते हुए उचित तथा समुचित रूप से अपनाने का अनुरोध किया गया।

2.6 शहरी फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर 19 अक्टूबर, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नीति के क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से किया गया था। प्राप्त विभिन्न सुझावों तथा प्रतिभागियों द्वारा भेजे गए दृष्टिकोणों के आधार पर राज्यों/संघशासित प्रदेशों से कार्यसूची पर अनुवर्ती कार्यवाही करने का अनुरोध किया था जिसे कार्यशाला के अन्त में बनाया तथा घोषित किया गया था विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों तथा फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति के वास्तविक कार्यान्वयन पर व्यापक रूप से विचार किये जाने के लिए नियमित रिपोर्टों के माध्यम से की गई कार्रवाई/स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

2.7 पीएमओ के अनुरोध पर नेशनल कमीशन फॉर एन्टरप्राईज इन दि अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर (एनसीईयूएस) ने नीति के कार्यान्वयन के तंत्र में कुछ परिवर्तनों को सुझाते हुए राष्ट्रीय नीति पर अपनी रिपोर्ट एवं सिफारिशें प्रस्तुत की। एनसीईयूएस की रिपोर्ट तथा सिफारिशों को राज्य/संघ शासित प्रदेशों तथा कुछ एनजीओ को सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियाँ/विचारों को देने के लिए भेजी गई थी ।

2.8 एनसीईयूएस की रिपोर्ट एवं सिफारिश पर व्यापक रूप से विचार करने की दृष्टि से 12.07.2006 को नई दिल्ली में शहरी फेरी वालों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। विचार विमर्श से उठे कार्यसूची मुद्दों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों को भेजा गया था।

2.9 सेमिनार तथा एनसीईयूएस की रिपोर्ट एवं सिफारिशों पर विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त विचारों के आधार पर विद्यमान नीति को अधिक उचित तथा अमल में लाने योग्य बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है ।

2.10 मंत्रालय का राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के लिए मार्गनिर्देश के रूप में काम करने के लिए शहरी फेरीवालों पर ड्राफ्ट मॉडल कानून बनाये जाने का प्रस्ताव है जिसके आधार पर वे फेरीवालों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य कानून बनाया जा सके ।

3. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए इस प्रयोजन हेतु 10% के एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत परियोजनाएं/योजनाएं

तत्कालीन शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी राज्यों व सिक्किम की स्थानीय शासन इकाइयों शहरी विकास/आवास निर्माण मंत्रियों की 19-20 मई, 2001 को एक कॉन्फ्रेंस की थी। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य इन राज्यों में इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केन्द्रीय रुप से प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना तथा 8 राज्यों की विशेष विकास शर्तों के लिए यथोचित कार्य नीति विकसित करना था । कॉन्फ्रेंस की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई, जो इन राज्यों के लिए अनवरत सेन्ट्रल पूल फंड से धन जुटाने हेतु सिक्किम सहित इन राज्यों के परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए थी । उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने निर्णय किया था कि सभी मंत्रालयों/विभागों के कुल बजट प्रावधान की 10% राशि उत्तर-पूर्वी राज्यों व सिक्किम की विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। वित्तीय वर्ष में इस प्रावधान में राशि सतत आधार पर बनी रहेगी तथा प्रावधान में शेष बची राशि उन राज्यों के अगले वर्षों की विकास निधि में डाली जाएगी और उसकी देखभाल पूर्वोत्तर राज्य विकास विभाग द्वारा की जाएगी ।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का सरोकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए निम्नलिखित निर्धारित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों से है :

i) आवास परियोजनाएं (मुख्यतः शहरी गरीबों के लिए)

ii) गरीबी उपशमन परियोजनाएं

iii) स्लम सुधार/उन्नयन परियोजनाएं

तद्नुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम की सरकारों से परियोजना प्रस्ताव लेकर इस मंत्रालय के बजट के 10% के एकमुश्त प्रावधान के तहत आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा विचार किए जाते हैं जिन्हें उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के पक्ष में अलग परियोजना/योजनाओं के लिए रखा जाता है ।

वर्ष 2001-2002 के दौरान 38 करोड़ रुपये (पूंजी शीर्ष में 19 करोड़ रुपये तथा राजस्व शीर्ष में 19 करोड़ रुपये) का बजट प्रावधान था । चूंकि उत्तर-पूर्वी परियोजना हेतु धन की माँग केवल इस पूंजी शीर्ष से पूरी होनी थी, लेकिन आर.ई. चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजी शीर्ष बढ़ाकर 33 करोड़ रुपये कर दिया गया तथा यह पूरी राशि वर्ष 2001-02 में जारी कर दी गई थी । वर्ष 2002-03 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए कुल 62.50 करोड़ रुपये के धन का नियतन किया गया जिसमें से 44.17 करोड़ रुपये की राशि 2002-03 में जारी कर दी गई थी शेष 18.33 करोड़ की राशि उत्तर-पूर्वी राज्य विकास विभाग के सतत पूंजी फंड में अंतरित कर दी गई थी । वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र सिक्किम में परियोजनाओं के हित लाभ के लिए बजट में 62.50 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था । (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत एक करोड़ रूपये और पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 61.50 करोड़ रूपये) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग के द्वितीय बैच 2003-04 में एनईआर राज्यों के उपयोग के लिए 61.50 करोड़ रूपये में से 10.50 करोड़ रूपये की राशि एसजेएसआरवाई को प्रदान कर दी गयी । अतः आर.ई. चरण में पूंजी शीर्ष के अंतर्गत कुल आवंटित राशि केवल 51 करोड़ रूपये रह गये । राजस्व शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध एक करोड़ रूपये की राशि का उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लिए वाम्बे योजना के लिए उपयोग किया गया । पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 2003-04 के दौरान एनबीसीसी को 51 करोड रूपये की राशि जारी गयी । इस 51 करोड़ रूपये की राशि में से मणिपुर में एक नई परियोजना के लिए केवल 103.67 लाख रूपये की राशि जारी गयी । शेष राशि पूर्व के वर्षों के दौरान एनबीसीसी को स्वीकृत परियोजनाओं की द्वितीय किश्त के रूप में जारी की गयी ।

वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम की परियोजनाओं के हित लाभ के लिए वार्षिक आयोजना में 83.00 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 1.00 करोड़ रूपये और पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 82 करोड़ रूपये) । वर्ष 2004-05 के दौरान 82 करोड़ रूपये विविध नवीन और चालू परियोजनाओं के लिए बीएमटीपीसी, एनबीसीसी और एचपीएल के लिए जारी किए गए । वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान सिक्किम सहित एनईआर के लिए बजट में 50 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया । चूंकि आर.ई. चरण में मंत्रालय का कुल आयोजना बजट को घटाकर 400 करोड़ रूपये कर दिया गया था, 10 प्रतिशत एक मुश्त प्रावधान के अंतर्गत आवंटन को भी घटाकर 40 करोड़ रूपये कर दिया गया था । तथा 2005-06 के दौरान इस समय तक मंत्रालय द्वारा 45.06 करोड़ रूपये का उपयोग पहले ही कर लिया गया था । वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान इस योजना हेतु 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जो पूरी तरह नई/चालू परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया था ।

चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान चालू परियोजना की इस योजना के लिए 50.00 करोड़ रूपये का आबंटन कर दिया गया है तथा 29.2.2008 तक विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए 46.15 करोड़ रुपये निष्पादन एजेंसियों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं ।

4. जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

4.1 जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

भारत के नगर एवं शहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है । देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इनका योगदान 50 प्रतिशत से अधिक होता है तथा ये आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । इन शहरों की पूर्ण क्षमता के दोहन के लिए ताकि ये वृद्धि में वास्तविक तौर पर अपना योगदान दे सकें, यह आवश्यक है कि यहां स्थित बुनियादी ढांचों में सुधार पर ध्यान केन्द्रीय किया जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक मिशन मोड दृष्टिकोण की आवश्यकता है । इस के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) नाम से एक मिशन को प्रारंभ किया गया है । इस मिशन के अंतर्गत दो उप-मिशन है - पहला शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और दूसरा बुनियादी ढांचा और शासन है । उप-मिशन को चयनित 63 नगरों (अनुलग्नक-1) में लागू किया जाना है । अन्य कस्बों और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रावधान छोटे और मध्यम नगरों (यूआईडीएसएसएमटी) में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास द्वारा पूरा किया जाता है । एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) गैर-मिशन वाले कस्बों और नगरों में आश्रय और बुनियादी सुविधाओं की जरुरतों को पूरा करने हेतु बनाया गया है । इस मिशन की अवधि वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होकर 7 वर्ष है ।

4.2 शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

बीएसयूपी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

- सब मिशन का क्रियान्वयन 2005-2012 के बीच 63 चुनिंदा शहरों में किया जाएगा ।
- पूर्ण अनुदान के रुप में एसीए के रूप में केन्द्रीय सहायता ।
- एक मिलियन या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों के संबंध में परियोजना लागत का 50% भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर में शहरों/कस्बों की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90% भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।
- शेष शहरों/कस्बों की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 80% भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।
- अनु.जाति/अनु.ज.जा./पि.व./अ.पि.व./शा.वि. के मकानों के लिए कम से कम 12% लाभार्थी अंशदान तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए 10% लाभार्थी अंशदान ।
- सुधार के क्रियान्वयन से सहमत राज्य/शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल्स के लिए घोषित केन्द्रीय सहायता की पहुंच ।
- शहरी शासन में सुनिश्चित करने हेतु सुधार ।
- नगरों को, नगर विकास योजना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी होंगी ताकि वे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकें ।
- परियोजनाओं के अनुमोदन तथा परियोजना वित्तपोषण पद्धति पर विचार करने हेतु केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति ।

4.2.1 बीएसयूपी : स्वीकार्य घटक

(i) स्लमों का एकीकृत विकास अर्थात् चुनिंदा शहरों के स्लमों में आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विकास ।

(ii) शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के विकास/सुधार/ रखरखाव से संबंधित परियोजनाएं ।

(iii) स्लम सुधार एवं पुनर्वास परियोजनाएं ।

(iv) जलापूर्ति/सीवरेज/ड्रेनेज, सामुदायिक शौचालयों, स्नान घर आदि की परियोजनाएं ।

(v) स्लम निवासियों/शहरी गरीबों/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए वहनीय लागत पर मकान ।

(vi) नालों/बरसाती पानी/बरसाती पानी के नालों का निर्माण एवं सुधार ।

(vii) स्लमों का पर्यावरणीय सुधार एवं ठोस कचरा प्रबन्धन ।

(viii) सड़कों की रोशनी ।

(ix) नागरिक सुविधाओं जैसे सामुदायिक हाल, बाल देखभाल केन्द्र आदि ।

(x) इस घटक के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों का प्रचालन एवं रखरखाव ।

(xi) शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समायोजन ।

4.2.2 निधि प्रदान करना

केन्द्रीय निधि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में (अनुदान के रूप में) जारी किया जाएगा । परियोजनाओं का वित्तपोषण इस प्रकार होगाः-

नगरों की श्रेणी	अनुदान केन्द्रीय हिस्सेदारी	राज्य / यूएलबी / पैरास्टेटल हिस्सेदारी, लाभार्थी के योगदान साहित
2001 जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर	50%	50%
2001 जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक परंतु 4 मिलियन से कम वाले नगर	50%	50%
उत्तरपूर्वी राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर के नगर/शहर	90%	10%
अन्य नगर	80%	20%

मिशन निधि प्राप्त के लिए शहरों को एक नगर विकास योजना की आवश्यकता है । राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) /पैरास्टेटलों को भारत सरकार के साथ एक करार ज्ञापन को निष्पादित करना होगा, जिसमें चिन्हिंत सुधारों को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता इंगित करनी होगी (अनुलग्नक-II) केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस त्रिपक्षीय करार-ज्ञापन को हस्ताक्षरित करना एक अनिवार्य शर्त है ।

4.2.3 बीएसयूपी : वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति (19.3.2008 को)

7,87,111 रिहायशी यूनिटों को शामिल करते हुए 17421.11 करोड़ रुपये की परियोजना लागत (केन्द्रीय हिस्सा 8761.03 करोड़ रुपये) के साथ 61 मिशन शहरों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) का अब तक अनुमोदन किया जा चुका है । 2005-2012 के लिए योजना आयोग द्वारा उल्लिखित मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय शेयर 7 वर्ष का आबंटन का 64.18% है । अनुमोदित केन्द्रीय शेयर किस्तों के प्रति 2127.74 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (पहली किस्त तथा कुछ मामलों में दूसरी किस्त) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जा चुकी है ।

बीएसयूपी के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए आरम्भ में 1501 करोड़ आबंटित किए गए थे । छोटे और मध्यम कस्बों से अधिक मांग के मद्देनजर 300 करोड़ रुपये की राशि आईएचएसडीपी बजट शीर्ष में अंतरित कर दी गई थी । ऐसी आशा है कि मंत्रालय वर्ष के अन्त तक बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत आवंटित पूरे बजट का उपयोग करने में समर्थ होगा।

4.3 एकीकृत आवास एवं स्लम विकास (आईएचएसडीपी)

बीएसयूपी योजना के अन्तर्गत शेष बचे नगरों/कस्बों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

को भी 3.12.05 को आरंभ किया गया है। वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई) और बंद कर दी गयी राष्ट्रीय स्लम विकास योजना (एनएसडीपी) को आईएचएसडीपी में समायोजित कर दिया गया है। चिन्हित शहरी क्षेत्रों के स्लमवासियों को पर्याप्त आश्रय और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को प्रदान कर एक स्वस्थ तथा शहरी वातावरण सुलभ कराने के साथ आईएचएसडीपी का मुख्य उद्देश्य समग्र रूप में स्लम विकास के लिए प्रयास करना है।

आईएचएसडीपी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

- पूर्ण अनुदान के रुप में एसीए के रूप में केन्द्रीय सहायता।
- सामान्यतः, परियोजना लागत का 80% भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित विशेष श्रेणी राज्यों में शहरों/कस्बों की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90% भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- अनु.जाति/अनु.ज.जा./पि.व./अ.पि.व./शा.वि. के मकानों के लिए कम से कम 12% लाभार्थी अंशदान तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए 10% लाभार्थी अंशदान।
- सुधारों के क्रियान्वयन से सहमत राज्य/शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटल्स के लिए घोषित केन्द्रीय सहायता की पहुंच।
- शहरी शासन में सुनिश्चित करने हेतु सुधार।
- केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए नगरों/कस्बों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी होंगी।

4.3.1 आईएचएसडीपी : स्वीकार्य घटक

(i) नए मकानों के निर्माण और उत्थान सहित आश्रय का प्रावधान।

(ii) सामुदायिक शौचालयों का प्रावधान।

(iii) बुनियादी सुविधाओं जैसे जलापूर्ति, बरसाती पानी की निकासी, सामुदायिक स्नान घर, विद्यमान सड़कों को चौड़ा और पक्का करना, सीवर, सामुदायिक शौचालयों, सड़कों की रोशनी आदि का प्रावधान।

(iv) सामुदायिक केन्द्रों के प्रावधान जैसे सामुदायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्री-स्कूल शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, मनोरंजन गतिविधियाँ आदि का उपयोग किया जाएगा।

(v) सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भवन।

(vi) टीकाकरण सहित सामाजिक सुविधाओं जैसे प्री-स्कूल शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, मातृत्व, बाल स्वास्थ्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आदि।

(vii) मॉडल प्रदर्शन परियोजनाओं का प्रावधान।

(viii) ईडब्ल्यूएस, एलआईजी श्रेणियों के लिए वहनीय लागतों पर स्थलों तथा सेवाओं/मकानों की व्यवस्था।

(ix) स्लम सुधार एवं पुनर्वास परियोजनाएं।

(x) उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा पर्वतीय राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एवं जम्मू कश्मीर में परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के सिवाय भूमि अधिग्रहण लागत का वित्तपोषण नहीं किया जाएगा।

4.3.2 निधि प्रदान करने की पद्धति

निधियों की हिस्सेदारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार/यूएलबी/पैरास्टेटल के बीच 80:20 के अनुपात में होगी। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच निधि प्रदान करने की पद्धति 90:10 के अनुपात में होगी। केन्द्रीय निधि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान) के रूप में जारी किया जाएगा। बीएसयूपी के मामले में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय करार-ज्ञापन हस्ताक्षरित करना एक अनिवार्य शर्त है।

4.3.3 आईएचएसडीपी : वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति (19.3.2008 को)

आईएचएसडीपी योजना के अंतर्गत 2,57,609 रिहायशी यूनिटों और बुनियादी नागरिक सुविधाओं को शामिल करते हुए 3969.91 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तथा 2847.64 करोड़ रुपये की केन्द्रीय अंश के साथ 24 राज्यों से प्राप्त 416 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का अब तक अनुमोदन किया जा चुका है। अनुमोदित 1418.45 करोड़ रुपये की पहली किस्त के प्रति 1259.65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जा चुकी है।

आईएचएसडीपी के लिए वर्ष 2007-08 के लिए आरम्भ में

490 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे । छोटे और मध्यम कस्बों की अधिक मांग के मद्देनजर 300 करोड़ रुपये का बजट बीएसयूपी से आईएचएसडीपी में अंतरित किया जा चुका है । ऐसी आशा है कि मंत्रालय वर्ष के दौरान बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत आवंटित पूरे बजट का उपयोग करने में समर्थ होगा।

4.4 बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का सारांश (19.3.2008 को)

	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी
शामिल राज्यों/सं.शा.प्रदशों की सं.	30	24
शामिल शहरों/यूएलबी की सं.	61	391
अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	274	416
अनुमोदित कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.में)	17421.11	3969.91
अनुमोदित कुल केन्द्रीय शेयर (करोड़ रु.में)	8761.03	2847.64
अनुमोदित कुल रिहायशी यूनिट	7,87,111	2,57,609
अनुमोदित पहली किस्त (करोड़ रु.में)	2190.69	1418.45
अनुमोदित दूसरी व तीसरी किस्त (करोड़ रु.में)	172.93	-
एसीए जारी (करोड़ रु.में)	2127.74	1259.65

4.5 बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत लाभार्थी

बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी स्लमवासी/शहरी हैं । बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए न्यूनतम 12% का योगदान निर्धारित किया गया है जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य कमजोर वर्गो के लिए यह 10% निर्धारित की गयी है ।

4.6 स्लमों के एकीकृत विकास के विशेष लक्षण

बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी दोनों में आश्रय, बुनियादी सेवाएं तथा अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से स्लमों के एकीकृत विकास पर बल दिया गया है जिससे कि शहरी गरीबों को जनसुविधाएं प्राप्त हो सके । तदनुसार, अनुमोदित परियोजनाओं में वास्तविक सुविधाएं तथा इससे संबंधित बुनियादी सुविधाएं जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी, सड़कें, बुहुद्देशीय सामुदायिक केन्द्र, उद्यान इत्यादि शामिल हैं । बीएसयूपी और आईएचएसडीपी का इस बात पर जोर है कि राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय समयबद्ध कार्य योजना बनाएं और 7 सूत्री चार्टर को लागू करें, जिनमें निम्न का प्रावधान है :-

- वहनीय मुद्दों पर पट्टे की प्रतिभूति
  - सुधार किए गए आवास
  - जल आपूर्ति
  - सफाई
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य एवं सामाजिक

सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सरकार की वर्तमान सार्वजनिक सेवाओं के समायोजन से प्रदान की जाएगी।

4.7 मुख्य सुधार

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) से गरीबों उन्मुख शासन के क्षेत्रों में निम्नलिखित सुधार अपेक्षित हैं :

- शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय बजट के अंतर्गत आंतरिक निर्धारण ।
- अनुबंधित समय सीमा के अनुसार मिशन अवधि के अंतर्गत 7 सूत्री चार्टर का क्रियान्वयन अर्थात् वहनीय मूल्यों पर पट्टे की प्रतिभूति सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, सुधरे हुए आवास, जल आपूर्ति, सफाई तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की पहले से विद्यमान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के लिए प्रति-इमदादी पद्धति के साथ सभी आवासीय परियोजनाओं (पब्लिक एवं

प्राइवेट एजेंसियों) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25 प्रतिशत भाग निर्धारित करना ।

ये सुधार अन्य सुधारों के समायोजन से किए जाएंगे जिनका उद्देश्य शहरों और कस्बों के सतर्क विकास हेतु उत्तम शहरी शासन की रुपरेखा को बनाना और समर्थ बनाना है ।

4.8 बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत कुछ मुख्य प्रयास

- विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के संबंध में सभी राज्यों एवं कई शहरों को शामिल करते हुए मंत्रालय द्वारा कार्यशाला एवं परस्पर आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- शहरी गरीबी एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कई संसाधन केन्द्रों/प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करते हुए शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया ।
- शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए कार्रवाई अनुसंधान, दस्तावेजीकरण, ज्ञान प्रबंधन, सर्वोत्तम पद्धतियों एवं क्षमता निर्माण के आदान प्रदान हेतु प्रख्यात संस्थानों को शामिल करते हुए संसाधन केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया गया है ।
- बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ राज्य/नगर शहरी गरीबी/स्लम प्रोफाइल की तैयारी, गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य/नगर कार्यनीति/कार्य योजना आदि जैसी क्षमता निर्माण/अनुसंधान/डाटा बेस निर्माण गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचयूपीए मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/सं.शा. प्रदेशों को 2.91 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है ।
- शहरी गराबों के लिए भूमि पट्टे की प्रतिभूति के लिए अभियान सहित "स्लम मुक्त शहरों का विजन" तथा "स्लम मुक्त शहरी भारत" अभियान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), एचयूपीए द्वारा 30 मई, 2007 को तिरुपति में आरंभ किया गया था । यह अभियान कई शहरों में चलाया गया तथा भविष्य में भी चालू रहेगा ।
- शहरी गरीबी मुद्दों पर समझदारी को बढ़ाने के लिए तथा निरन्तर शहरी गरीबी को कम करने के लिए अनुकूल रुपरेखा बनाने हेतु यूनडीपी के सहयोग से शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति परियोजना का कार्यान्वयन किया गया था ।

4.9 क्रियान्वयन और अनुवीक्षण को मजबूत करना

मंत्रालय डीपीआर के निम्नलिखित बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी मार्गनिर्देशों के अनुमोदन के अतिरिक्त राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा परियोजनाओं तथा सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दे रहा है :

- राज्यों द्वारा तैयार अच्छे प्रकार की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर बल दिया है । उन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिन्हें अभी डीपीआर रिपोर्ट भेजनी है। हडको और बीएमटीपीसी के अलावा दो अतिरिक्त एजेंसियों अर्थात् इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), दिल्ली तथा रुड़की को सूचीबद्ध किया गया है ।
- बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी की परियोजनाओं तथा सुधारों पर कार्रवाई के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट में) के स्तर पर 3 विशेषज्ञों की टीम रखी जाए । इन विशेषज्ञों में निम्नलिखित शामिल हैं :
  - आवास और स्लम विकास के क्षेत्र में परियोजना विशेषज्ञ।
  - सामाजिक विकास में विशेषज्ञ तथा
  - सामुदायिक संगठन तथा एमआईएस पर विशेषज्ञ।

  ये विशेषज्ञ अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे, जो कि शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर पहलू पर ध्यान देंगे ।
- इन विशेषज्ञों को शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)

स्तर पर रखा जाएगा (कार्यक्रम क्रियान्वयन यूनिट/एजेंसी)। इन विशेषज्ञों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- आवास और स्लम विकास हेतु परियोजना समन्वयकर्त्ता ।
- सामाजिक विकास अधिकारी
- आजीविका विकास विशेषज्ञ

पुनः, ये विशेषज्ञ अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे, जो कि शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर पहलू पर ध्यान देंगे ।

- बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुवीक्षण गुणवत्ता तथा वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं अनुवीक्षण के लिए रुपरेखा तैयार की जा रही है । एजेंसियों को एचयूपीए मंत्रालय के अंतर्गत मिशन निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति के मूल्यांकन के कार्य को पूरा करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए), टीपीआईएम एजेंसी की नियुक्ति करेगी ।
- बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए बीएमटीपीसी को एकल नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है तथा जो प्रगति रिपोर्टों के विश्लेषण में मंत्रालय की सहायता कर रही है और मिशन अवधि के दौरान प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार के लिए कार्रवाई सुझा रही है ।
- जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों के क्रियान्वयन की मांग है कि राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा ज्ञान के आधार का विकास किया जाए जिसका विशेष रूप से स्लम विकास, गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान, और वहनीय आवास के क्षेत्रों में आयोजना, नीति बनाने, परियोजना तैयार करने, क्रियान्वयन, अनुवीक्षण तथा समीक्षा के उद्देश्य से शहरी गरीबी पर विशेष ध्यान देना होगा। तदनुसार, एचआर एवं असेसमेंट हेतु अर्बन स्टाटिक्स (यूएसएचए) की योजना के माध्यम से योजना एवं सांख्यिकी राज्य विभागों, नगरपालिका प्रशासन तथा शहरी विकास के नेटवर्क सहित आवास, शहरी गरीबी, स्लम एवं निर्माण के संबंध में डाटा एवं एमआईएस का नेशनल सिस्टम आरम्भ किया गया है। एचयूपीए मंत्रालय पहले ही अपने वेबसाइट (www.jnnurm.nic.in) पर बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी दोनों के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति दे चुका है। मंत्रालय जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग तथा एकीकृत शहरी गराबी अनुवीक्षण प्रणाली के लिए प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) से युक्त वेब की स्थापना कर रहा है। सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। अतः वेबसाइट में निम्नलिखित सूचना होगी :
  - परियोजना मॉनिटरिंग
  - तृतीय पक्ष मॉनिटरिंग
  - सुधार मॉनिटरिंग एवं
  - गरीबी मॉनिटरिंग

4.10 सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना

- सामुदायिक विकास नेटवर्क (सीडीएन) का उद्देश्य गरीबी में कमी के लिए सामुदायिक विकास समितियों, स्व सहायता समूह (एसएचजी) तथा अन्य नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से गरीबों की भागीदारी पर जोर देना है । सहभागिता तकनीकी के माध्यम से जेएनएनयूआरएम के विजन को तैयार करने की दिशा में नेटवर्क भूमिका अदा करेगा ।
- स्थानीय स्तर पर नए-नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जेएनएनयूआरएम की प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करने हेतु समुदाय सहभागिता निधि (सीपीएफ) पर बल दिया गया है। शहरी गरीबों के लिए कार्य कर रहे समुदाय स्तर के संगठनों तथा संसाधन संस्थानों सहित सीडीएन के सदस्य टूल किट मार्गनिर्देशों के अनुसार सीपीएफ प्राप्त कर सकते हैं । वे बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत आईईसी के लिए बनी 5% निधियों सहित आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीडीएन के लिए उपलब्ध निधियों के संसाधनों को भी प्राप्त कर सकते हैं ।

अनुलग्नक-I

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) पर उपमिशन के अंतर्गत चुनिंदा शहरों/शहरी समूहों (यूए) की सूची

क्रम संख्या	शहर	राज्य का नाम	जनसंख्या(लाख में)
क)	**बड़े शहर/यूए**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	57.42
ख)	**दस लाख से अधिक की आबादी वाले पहचान किए हुए शहर/यूए**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरई	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश	13.45
15.	बड़ोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखंड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28.	इन्दौर	मध्य प्रदेश	16.40
ग)	**एक मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर/यूए**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखंड	8.63
8.	तिरुवनन्तपुरम	केरल	8.90

9.	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलॉंग	मेघालय	2.68
11.	ऐजवाल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैण्ड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पुरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब एवं हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	9.88
26	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
27.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
28.	नांदेड	महाराष्ट्र	4.31

सभी राज्य की राजधानियों एवं विधानों सहित दो संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

इसमें राष्ट्रीय संचालन समूह द्वारा राज्य की राजधानियों के अलावा श्रेणी “ग” के अंतर्गत शहरों/कस्बों को जोड़ा या हटाया जा सकता है । तथापि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत श्रेणी “ग” के कुल शहरों संख्या समुचित रुप में रखी जाएगी ।

अनुलग्नक-II

जेएनएनयूआरएम-शहरी सुधार

जेएनएनयूआरएम में शहरी सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं :

अनिवार्य सुधारः

शहरी स्थानीय निकाय सुधार (यूएलबी स्तर पर)

i) शहरी स्थानीय निकायों में आधुनिक, लेखाकरण संबंधी प्रोद्भवन आधारित दोहरा प्रविष्टि प्रणाली को अपनाया जाना

ii) सूचना प्रौद्योगिकियों अनुप्रयोगों यथा जीआईएस और एमआईएस का प्रयोग करते हुए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए ई-गवर्नेस प्रणाली को लागू करना

iii) जीआईएस का प्रयोग करते हुए संपत्ति कर का सुधार ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का मुख्य स्रोत बन सके तथा इसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन ताकि मिशन अवधि के दौरान ही संग्रहण दक्षता कम से कम 85% तक पहुँच सके ।

iv) मिशन अवधि के अन्तर्गत ही प्रचालन और रखरखाव पर पूर्ण लागत के संग्रहण के उद्देश्य से यूएलबी/एजेन्सियों द्वारा प्रयोगकर्ता शुल्क लगाना । हालांकि उत्तर पूर्व और अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा प्रारंभ में प्रचालन और रखरखाव का कम से कम 50% तक वसूल किया जा सकता है । इन नगरों/शहरों द्वारा चरणबद्ध-ढंग से पूंजी प्रचालन और रखरखाव लागत की वसूली की जानी चाहिए ।

v) शहरी गरीब के बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय बज़टों के अन्तर्गत आंतरिक तौर पर बज़ट निर्धारित करना

vi) शहरी गरीब के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना जिसमें किफायती कीमतों पर पट्टा की प्रतिभूति, उन्नत आवास, जलापूर्ति, साफ-सफाई तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सरकार की विद्यमान सार्वभौमिक सेवाओं को प्रदान करना शामिल है ।

राज्य स्तर पर सुधार

i) चौहत्तरवें संविधान संशोधन में प्रावधानों के अनुसार विकेन्द्रीकरण उपायों को लागू करना । राज्यों द्वारा एजेन्सियों के कार्यों की योजना बनाने के साथ-साथ नागरिकों की सेवाएं प्रदान करने में शहरी स्थानीय निकायों का सार्थक ढंग से उपयोग/सेवाएं प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

ii) स्टैम्प ड्यूटी को युक्तिसंगत बनाते हुए मिशन अवधि के दौरान ही इसे 5% अधिकतम तक लाया जाना ।

iii) नागरिकों की सहभागिता को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए सामुदायिक सहभागिता अधिनियम को लागू करना तथा शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय सभा (एरिया सभा) की संकल्पना को लागू करना ।

iv) पाँच वर्षों के लिए "नगर आयोजना कार्य" में चयनित शहरी स्थानीय निकायों को साथ में जोड़ना अथवा कार्य सौंपना। शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी विशेष एजेंसियों का स्थानांतरण और स्थानांतरण के दौर से गुजर रही सभी शहरी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को जवाबदेह बनाने की प्रणाली विकसित करना ।

ऐच्छिक सुधार

i) शहरी भूमि सीलिंग और रेगुलेशन एक्ट का सुधार करना

ii) किराया नियंत्रण कानूनों में संशोधन जिससे कि भूस्वामी और किरायेदार के हित के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

iii) यूएलबी की मध्यावधि-राजकोषीय योजना को तैयार करने संबंधी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जन सूचना, कानून बनाना और सभी सहयोगियों को त्रैमासिक निष्पादन सूचना प्रदान करना ।

iv) भवनों के निर्माण, साइटों के विकास आदि के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु उप-नियमों में संशोधन ।

v) कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतर हेतु विधि और प्रक्रिया संबंधी ढांचा का सरलीकरण ।

vi) यूएलबी में संपत्ति अधिकार प्रमाणन पद्धति को प्रारंभ करना ।

vii) सभी आवास परियोजनाओं के अन्तर्गत विकसित भूमि के कम से कम 20-25% भाग को क्रॉस सब्सिडी प्रक्रिया के माध्यम से ईडब्लयूएस/एलआईजी श्रेणी के लिए निर्धारित करना ।

viii) भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया को लागू करना ।

ix) उपनियमों में संशोधन जिससे कि भविष्य में बनने वाले सभी भवनों में वर्षा जल संग्रह को अनिवार्य बनाया जा सके और जल संरक्षण उपायों को उपनाया जा सके ।

x) पुनःचक्रित जल के पुनः उपयोग के लिए उपनियम बनाना ।

xi) प्रशासनिक सुधार अर्थात कर्मचारी स्थापना को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं को लागू करना, सेवानिवृत्ति के उपरांत रिक्त पदों को नहीं भरना इत्यादि और इस संबंध में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना ।

xii) संरचनात्मक सुधार

xiii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।

नोटः राज्यों/यूएलबी को मिशन अवधि के दौरान सभी अनिवार्य सुधारों और ऐच्छिक सुधारों को लागू करना होगा । राज्यों/यूएलबी को कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम दो ऐच्छिक सुधारों का चयन करना होगा । सुधारों जिसे पहले ही लागू कर दिया गया है और/या प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित है का विवरण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

5. यूनाइटेड किंगडम सरकार के अन्तराष्ट्रीय विकास विभाग की सहायता से लागू की जा रही स्लम सुधार परियोजनाएं

5.1 गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवाएं (एपीयूएसपी)

उद्देश्यः यह परियोजना तीन कार्यक्रम क्षेत्रों, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक में विद्यमान गरीबी उपशमन योजनाओं को चलाकर और विकसित कर शहरी गरीबी में और प्रभावी ढंग से कमी लाना है । परियोजना के माध्यम से तीन कार्यक्रम क्षेत्रों में से प्रत्येक में सावधानीपूर्वक चयन कर नव प्रयास किए गए हैं, जिससे कि कमियों और अवसरों के बीच की असमानताओं को पूरा किया जा सके । इस प्रकार यह परियोजना गरीबों पर व्यापक प्रभाव डाल पाएगी जो इस प्रकार है:-

- कार्यक्रम क्षेत्रों के अंतर्गत और इनके मध्य बेहतर अनुपूरकता
- संसाधनों का और प्रभावी ढंग से प्रबंधन
- सेवा प्रावधानों को उन्नत करना और इसके प्रकारों को अपनाया जाना ताकि जवाबदेही और प्रत्युत्तर को बढ़ावा दिया जा सके ।
- सेवा आयोजना, वितरण और निगरानी में समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की रेंज तक बेहतर ढंग से पहुंच बनाना ।

परियोजना घटक : परियोजना में निम्नलिखित तीन घटक हैं:-

सी 1 घटक : नगरपालिका सबंधी सुधार-राजस्व सुधार, संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण

सी 2 घटक : पर्यावरणीय बुनियादी ढांचा-जलापूर्ति, जल निकास, सड़क एवं पगडंडी, ठोस कचरा प्रबंध, सड़क रोशनी व्यवस्था

सी 3 घटक : नागरिक समाज के साथ कार्य करना-स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनयापन, वंचित समूह, स्व मददगार समूह क्षमता निर्माण

परियोजना की अवधि : परियोजना अवधि जून, 1999 से 31.3.2008 तक होगी ।

परियोजना की लागत : इस परियोजना के अंतर्गत डीएफआईडी द्वारा 745.39 करोड़ रूपये दिए जाएगें । इस बजट में 71% वित्तीय सहायता और 29% तकनीकी सहायता है ।

लाभांवित : आंध्र प्रदेश के वर्ग-I के 42 नगर ।

5.2 गरीबों के लिए कोलकाता शहरी सेवाएं कार्यक्रम (केयूएसपी)

उद्देश्यः केयूएसपी कार्यक्रम का लक्ष्य शहरी योजना एवं शासन को उन्नत बनाना, कोलकाता मैट्रोपोलिटन एरिया में गरीबों तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाना और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है । इस परियोजना के अंतर्गत स्लमों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं की व्यवस्था में मदद करना, नगर स्तर पर बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में गंभीर इंफ्रास्ट्रक्चर असमानताओं को पूरा करना और कुछ मामले में ऐसे सुविधाओं को भी बढ़ावा देना जिसका प्रयोग दो भागों से अधिक नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त इस परियोजना के माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक सेक्टरों की आर्थिक प्रगति और योजना बनाने में सहायता मिलेगी और नगरपालिकाओं तथा राज्य स्तर के एजेंसियों के क्षमता निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा ।

परियोजना लागत : इस परियोजना के अंतर्गत डीएफआईडी द्वारा 102 मिलियन पांड की वचनबद्धता की गई है ।

परियोजना अवधि : परियोजना अवधि 14.1.2004 से 31.3.2011 है ।

5.3 गरीबों के लिए मध्य प्रदेश शहरी सेवाएं (एमपीयूएसपी)

उद्देश्यः गरीबों के लिए मध्य प्रदेश शहरी सेवाएं कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 41 मिलियन पाउण्ड डीएफआईडी सहायता प्राप्त होगी जो मध्य प्रदेश के 4 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) अर्थात् भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के सुधार पर केन्द्रित होगी । एमपीयूएसपी कार्यक्रम से क्षमता में वृद्धि होगी और राज्य की संस्थागत प्रणालियां सुदृढ़ होगी जिससे कि शहरी गरीबों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी ।

परियोजना की अवधि : परियोजना अवधि 1.9.2006 से 31.12.2011 है ।

परियोजना की लागत : इस परियोजना के अंतर्गत डीएफआईडी 41 मिलियन पौंड देगा ।

कवरेज : भोपाल, इन्दौर, जबलपुर तथा ग्वालियर ।

इस परियोजना का समझौता ज्ञापन 13.11.2006 को हस्ताक्षरित हुआ था ।

5.4 गरीब के लिए बिहार शहरी सेवाएं (बीयूएसपी)

बिहार सरकार ने 55 मिलियन पौंड की डीएफआईडी सहायता के लिए एक प्रस्ताव भेजा है । इस परियोजना प्रस्ताव में प्रथम श्रेणी के 14 शहरों के लिए शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं की वहनीय एवं टिकाऊ प्राप्ति मुहैया करवाना और इन क्षेत्रों में जीवन यापन के अवसरों एवं समृद्धि को सुनिश्चित करना है । यह प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है ।

6. बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006

बीस सूत्री कार्यक्रम - 1986 को राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) तथा संघ राष्ट्र एवं सार्क के सामाजिक चार्टर के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के (एमडीजी) में दिए गए कथनों के अनुसार सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप नया रूप दिया गया है । बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006 नामक इस नए कार्यक्रम को मंत्रीमंडल ने 5 अक्टूबर, 2006 को अनुमोदन दिया था और यह 1.4.2007 से चलाया जा रहा है ।

प्रस्तावना

भारत सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1975 में की थी इस कार्यक्रम को पहले वर्ष 1982 में और फिर 1986 में संशोधित किया गया । इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों, अनुभवों और भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए अनेक कार्यक्रमों और नवीन नीतियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के पुनर्गठन की जरूरत अनेक वर्षों से महसूस की जाती रही है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम - 2006 के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम और योजनाएं राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में दी गई प्राथमिकताओं के अनुरूप है । यह गरीबी उन्मूलन, उत्पादकता में वृद्धि, आय असमानताओं में कमी और सामाजिक एवं आर्थिक विसंगतियों को दूर करने के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता को दर्शाता है ।

बीस सूत्री कार्यकम - 2006 में 20 बिन्दु और निगरानी योग्य 66 मदें शामिल हैं । नीचे दिए गए बिन्दुओं के संबंध में वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ परामर्श करने और उनके द्वारा प्राप्त प्रगति की निगरानी के संबंध में मंत्रालय राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ परामर्श कर रहा है । राज्यों/संघशासित प्रदेशों को इस मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है । इस संबंध

में कार्यनिष्पादन को सांख्यकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर रेटिंग दी जाती है । इस रेटिंग में 90% एवं इससे ऊपर के लिए बहुत अच्छा, 80% से 90% के लिए अच्छा और 80% से कम के लिए बेकार की रेटिंग है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय निम्नलिखित तीन बिन्दुओं का नोडल मंत्रालय है : -

(i) गरीबी हटाओ - स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (शहरी क्षेत्र)

भारत में आर्थिक विकास के लिए गरीबी उन्मूलन कार्य नीति का एक अभिन्न घटक है । निकृष्ट जीवन गुणवत्ता, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में कमी, अस्वस्थता, आहार में पोषण की कमी अशिक्षा तथा मानव संसाधन का निम्न विकास उच्च गरीबी स्तरों के पर्याय हैं। शहरी गरीबी इस समस्या से लड़ने के लिए "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" को चुना गया है ।

इस बिन्दु के घटकों के अंतर्गत प्राप्त वास्तविक प्रगति (संचयी) को अनुलग्नक-क में देखा जा सकता है ।

(ii) सबके लिए आवास - शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी मकान

सरकार, शहरी नवीनीकरण के समेकित कार्यक्रम और शहरों और नगरों में मकानों के व्यापक विस्तार तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब तबकों के लिए मकान उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। सबके लिए आवास नामक बिन्दु में शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी की मद आती हैं । शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि में कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों के लिए मकानों की समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से "शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी" नामक मद को शामिल किया गया है ।

इस बिन्दु के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुलग्नक-ख में देखा जा सकता है ।

(iii) बस्ती सुधार - भूमि पट्टा, वहनीय लागतों पर मकान, जल, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा नामक 7 बिन्दुओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी गरीब परिवारों की संख्या

हमारे देश के शहरी स्लम क्षेत्रों विशेष कर बड़े शहर मानवता के घिनौने रूप को प्रस्तुत करते हैं । आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के लिए शहरीकरण अति अनिवार्य आवश्यकता है। शहरी क्षेत्र में ढाँचागत अपर्याप्त विकास के परिणामस्वरूप स्लम क्षेत्रों का उदय होता है । भूमि और मकान की ऊँची कीमतों तथा खरीद की निम्न शक्ति के परिणामस्वरूप शहरी गरीब सस्ते आश्रय के लिए मौजूदा स्लम क्षेत्रों में जाने अथवा शहरों में कहीं भी खाली जगह/क्षेत्रों को घेरने पर मजबूर होते हैं। स्लमवासियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से बस्ती सुधार नामक बिन्दु भूमि पट्टा, वहनीय लागतों पर मकान, जल, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा नामक सात मदों के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी गरीब परिवारों की निगरानी करेगा ।

इस बिन्दु के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुलग्नक-ग में देखा जा सकता है ।

अनुलग्नक 'क'

गरीबी हटाओ : स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
एसजेएसआरवाई के यूएसईपी घटक के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (संचयी)
8.2.2008 को अद्यतन

क्र.सं.	राज्य/संशा.प्र.	यूएसईपी के अंतर्गत लाभार्थियों की की संख्या (ऋण एवं सब्सिडी)				डीडब्ल्यूसीयूए समूहों के अंतर्गत महिला लाभार्थी			यूएसईपी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (दक्षता प्रशिक्षण)			
		एससी	एसटी	महिला	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	महिला	कुल
1.	आन्ध्रप्रदेश	16430	7668	32861	109536	8759	4087	58390	9839	4591	19678	65592
2	अरूणाचल प्रदेश	0	465	130	465	0	75	75	0	314	0	314
3.	असम	1674	712	2511	8370	45	19	225	1793	762	0	8966
4.	बिहार	9246	673	8915	23269	9230	705	19720	1678	135	704	4891
5.	छत्तीसगढ़	3108	1226	2566	14225	224	154	1486	2780	1413	11349	17769
6.	गोवा	57	4	136	480	0	0	30	0	0	0	0
7.	गुजरात	9979	3338	16198	46235	66	4	246	12261	5073	35823	55872
8.	हरियाणा	6230	0	6376	21490	2381	0	5108	11430	0	26265	33368
9.	हिमाचल प्रदेश	626	35	565	2062	153	12	416	1971	118	3699	4852
10.	जम्मू एंव कश्मीर	934	292	1519	11748	0	0	304	1817	546	0	19081
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	9429	2310	32985	41505	2604	710	15780	20513	5594	0	124326
13.	केरल	1686	60	15627	21499	1185	11	19119	4559	713	35469	47476
14.	मध्य प्रदेश	19237	4574	24926	112781	3110	611	12232	34096	9690	107523	171815
15.	महाराष्ट्र	19996	6387	23534	79073	20679	6364	64552	66449	23022	105695	228055
16.	मणिपुर	0	1	3	6	0	0	0	594	530	2190	4390
17.	मेघालय	212	13810	917	1849	0	0	6	0	0	0	1692
18.	मिजोरम	0	160	0	160	0	0	0	0	7518	0	7518
19.	नागालैंड	30	50	30	1286	24	47	1995	90	614	11	814
20.	उड़ीसा	6801	2081	11441	31948	5095	1387	14350	6370	2794	13182	28056
21.	पंजाब	4156	0	2482	8566	118	0	220	8079	0	16441	16441
22.	राजस्थान	12410	1809	11149	57151	0	0	1143	10462	1013	25523	28036
23.	सिक्किम	70	114	229	479	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	9623	640	18520	40947	6163	524	31780	13078	1031	31753	55344
25.	त्रिपुरा	1296	764	1730	5191	500	200	1840	3930	2205	4916	16017
26.	उत्तराखंड	155	7	153	706	6	1	30	15	0	0	154
27.	उत्तर प्रदेश	23422	1495	14902	162773	1904	90	10378	42092	946	35704	184959
28.	पश्चिम बंगाल	3453	222	10584	24290	310	50	3835	12750	1163	45917	67348
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	103	0	64	288	16	0	23	2454	1586	3689	4091
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	43	18	67	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन एवं द्वीप	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	437	24	298	1201	0	0	83	1078	15	2550	3200
34.	पांडिचेरी	796	0	1890	3451	0	0	4338	0	0	0	6603
	कुल	161596	48964	243259	833245	62572	15051	267704	270178	71386	528081	1207040

स्रोतः यूपीए सेक्शन, एचयूपीए मंत्रालय

अनुलग्नक 'ख'

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
वर्ष 2007-08 के लिए शहरी क्षेत्रों में सब के लिए आवास
शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी आवास
निर्मित मकान (यूनिट : संख्या)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.प्र. का नाम	लक्ष्य 2007-08	उपलब्धियाँ अप्रैल,2007- अक्टूबर, 2007	उपलब्धियों का प्रतिशत अप्रैल,2007- अक्टूबर, 2007
1.	अरूणाचल प्रदेश	3277	0	0
2.	छत्तीसगढ़	11500	1795	27
3.	चंडीगढ़	5449	0	0
4.	दिल्ली	26486	5050	33
5.	गुजरात	500	500	174
6.	हरियाणा	1340	42	5
7.	हिमाचल प्रदेश	252	0	0
8.	मध्य प्रदेश	6474	507	13
9.	महाराष्ट्र	52616	0	0
10.	पंजाब	7500	0	0
11.	राजस्थान	2030	404	34
12.	सिक्किम	4	0	0
13.	तमिलनाडु	6000	1020	29
14.	त्रिपुरा	5400	0	0
15.	उत्तर प्रदेश	4700	1790	65
16.	पश्चिम बंगाल	348	224	110
17.	लक्षद्वीप	80	0	0
18.	कुल	133956	11332	15

स्रोतः अप्रैल-अक्टूबर, 2007 के लिए प्रगति रिपोर्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

अनुलग्नक 'ग'

बस्ती सुधार
सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त गरीब परिवारों की संख्या
सहायता प्राप्त गरीब परिवार (यूनिटः संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित राज्य के नाम	लक्ष्य 2007-08	उपलब्धियाँ अप्रैल,2007- अक्टूबर, 2007	उपलब्धियों का प्रतिशत अप्रैल, 2007- अक्टूबर, 2007
1.	आन्ध्रप्रदेश	79,320	94,37	204
2.	असम	288	0	0
3.	बिहार	14200	2025	24
4.	छत्तीसगढ़	5000	0	0
5.	गुजरात	4000	2000	86
6.	मेघालय	1125	262	40
7.	सिक्किम	1000	0	0
8.	तमिलनाडु	8000	0	0
9.	त्रिपुरा	2380	7425	536
10.	उत्तर प्रदेश	6168	0	0
11.	लक्षद्वीप	20	0	0
	कुल	121501	106082	150

स्रोतः अप्रैल-अक्टूबर, 2007 के लिए प्रगति रिपोर्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

7. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007

भोजन और कपड़े के बाद आश्रय बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति की आवश्यकता देश में आश्रय और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती हुई जरुरतों के कारण पैदा हुई थी। ये आवश्यकताएं बढ़ते शहरीकरण, आजीविका की तलाश में ग्रामों से शहरी केन्द्रों में बढ़ते पलायन, वहनीय लागत पर स्थल एवं सेवाओं तथा रिहायशी यूनिटों की माँग और पूर्ति के बीच असमानता तथा उच्च लागतों एवं उनकी अपनी कम आय के कारण शहरी क्षेत्रों में औपचारिक भूमि बाजार की पहुँच के लिए अधिकांश नए और गरीब शहरी वासियों की सामर्थ्य, नतीजन समाज के कुछ वर्गों के लिए शहरों और नगरों को शामिल न करना तथा परिणामतः गैर-टिकाऊ हालात के कारण बढ़ती जा रही है। अतः देश में टिकाऊ विकास को प्रोन्नत करने की दृष्टि से तथा शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों को भूमि, आश्रय तथा सेवाओं की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से विद्यमान आवास नीति 1998 की समीक्षा करने और संशोधित करने का निर्णय लिया गया था।

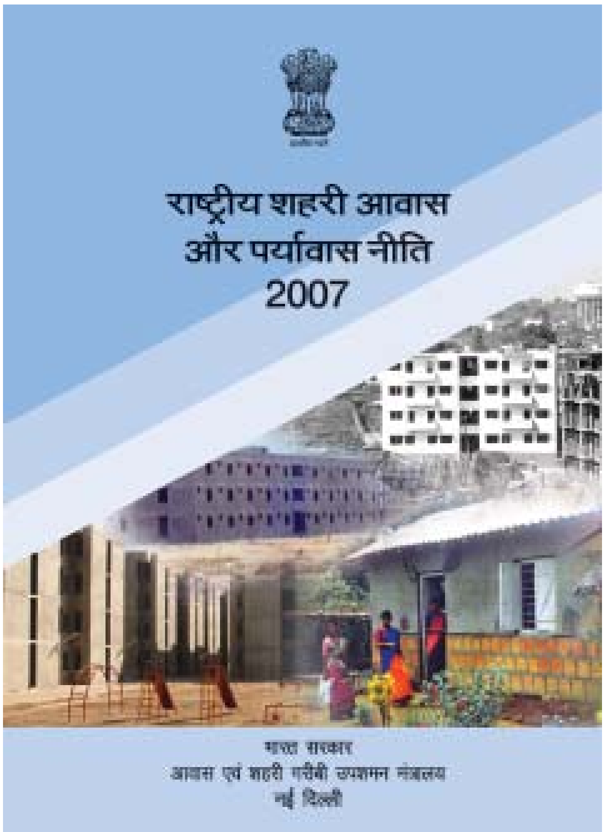

11वें आवासीय कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार 10वीं योजना अवधि के अंत तक 24.71 मिलियन रिहायशी यूनिटों की कमी है। बैक लॉग को शामिल करते हुए योजना अवधि (2007-2012) के दौरान कुल कमी के 26.53 मिलियन होने की संभावना है।

नवीन राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 को सभी संबंधितों के परामर्श में अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे 07.12.07 को संसद में पेश किया गया था। इस नवीन नीति का उद्देश्य वहनीय लागतों पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/कम आये वर्गों और समाज के अन्य सभी तबकों को शहरी आवास और अन्य बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाना है।

राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं : -

- नीति का ध्यान शहरी गरीब पर विशेष ध्यान देते हुए सबके लिए वहनीय शहरी आवास पर केन्द्रित है।
- आवास की भूमिका और शहरी गरीब के लिए बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उद्देश्यों में एकीकृत कर दिया गया है।
- अनु.जाति/अनु.जन जाति/पिछड़े वर्गों/अपसंख्यकों तथा शहरी गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
- नीति में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- **"सबके लिए वहनीय मकान"** के लक्ष्य के अनुरूप शहरी आयोजना, भूमि आपूर्ति में बढ़ोत्तरी तथा अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) एवं हस्तांतरणीय विकास अधिकार इत्यादि जैसे विशेष प्रोत्साहनों के उपयोग, निधियों के प्रवाह में बढ़ोत्तरी, स्वस्थ पर्यावरण, कुशल ठोस कचरा प्रबन्धन एवं ऊर्जा के अश्रय स्रोतों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।

- एकीकृत टाऊनशिप एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन।
- प्रत्येक नवीन सार्वजनिक/निजी आवासीय परियोजनाओं में भूमि के 10-15% भाग को अथवा 20-25% एफएआर को समुचित प्रोत्साहनों के द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आश्रयों के लिए आरक्षित रखा जाना है ।
- मास्टर प्लानों को देखते हुए निजी क्षेत्र को भू-संयोजन की अनुमति दी जाए । शहरी स्लमवासियों के लिए एक्शन प्लान तथा कॉ-ओपरेटिव हाउसिंग मजदूर आवास एवं कर्मचारी आवास के लिए विशेष पैकेज तैयार किए जाएं ।
- राज्यों को ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों के मकानों के लिए 10 वर्षीय संभावित प्लान विकसित करने की सलाह दी जाए ।
- यह नीति शहरी गरीब को उनके मौजूदा स्थान अथवा उनके कार्य स्थल में निकट आश्रय की व्यवस्था को प्राथमिकता देती है ।
- स्लम पुनर्बसाव में पहुंच उसी स्थान पर होगी । केवल विशेष मामलों में पुनः स्थापना पर विचार किया जाएगा।
- शहरी गरीब के लिए वित्त के द्रुत प्रवाह हेतु राज्य स्तर पर माइक्रो वित्त संस्थानों को बढावा दिया जाना है ।
- आदर्श नगरपालिका कानूनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किया जाना है ।
- विस्तृत नगर मानचित्र को जीआईएस, एरियल सर्वेक्षण एवं जमीनी सत्यापन के आधार पर तैयार किया जाना है ।
- जांची परखी सस्ती प्रौद्योगिकी एवं भवन निर्माण सामग्रियों के इस्तेमाल को बढावा दिया जाना है ।
- उप-क्षेत्रीय स्तर पर द्रुत गमन प्रणाली के विकास पर जोर दिया जाना हैं ।
- संतुलित पर्यावरणीय विकास के लिए नगरों के ग्रीन कवर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।
- सभी राज्यों को एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों के लिए "हैबीटाट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्शन प्लान" विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.1 राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 के अंतर्गत एक्शन प्लान

- राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति तथा एक्शन प्लान तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रोत्साहन एवं सहायता दी जानी चाहिए ।
- राज्य/संघ सरकारों के एक्शन प्लानों को निधियों के प्रवाह पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ।
- राज्य/संघ सरकार के स्तर पर सांस्थानिक, विधिक और वित्तीय प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए नीति तैयार करनी चाहिए ।
- राज्य/संघ सरकार के प्लानों को सहभागी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत उपायों को दर्शाना चाहिए ।
- राज्य स्तर पर अपनाए जानी वाली नीति और एक्शन प्लान की क्रियान्वयन की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए ।
- राज्य स्तर पर आयोजना करने के लिए शहरी विकास प्लान (सीडीपी) के रूप में 15-20 वर्षों के संभावित प्लान तैयार करने चाहिए ।
- नीति के क्रियान्वयन एवं उसकी आवधिक समीक्षा तथा अपेक्षित समझे गए संशोधनों, आशोधनों के लिए उच्च स्तरीय निगरनी समिति गठित की जानी चाहिए ।

8. शहरी गरीब को मकान के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी)

शहरी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों के मकानों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में आबादी का 28% भाग शहरी क्षेत्रों में रहता है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक शहरी क्षेत्रों में आबादी का 35 से 40% भाग निवास करेगा। 11वीं योजना के लिए शहरी मकानों के संबंध में कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार आबादी का लगभग 32% भाग वर्ष 2012 तक शहरी क्षेत्रों में बसेगा। बढ़ते शहरीकरण में उपलब्ध भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बनाया और इसके परिणामस्वरूप स्लम क्षेत्रों और बिखरी बसावट की संख्या में बढोत्तरी हुई है। विशेष रूप से शहरी आबादी में प्रवासी ग्रामीणों/आने वालों की संख्या तथा शहरी भूमि के बाजार में हुई वृद्धि के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के आपे से बाहर हुई कीमतों के कारण निराशा और निर्माण के लिए वहनशीलता से बाहर होने के कारण इन बसावाटों में वृद्धि हुई है।

इस नवीन योजना में शहरी क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस (मासिक पारिवारिक आय 3301 से 7300 रुपये) तथा एलआईजी (3301 से 7300 रुपये प्रतिमाह) वर्गों को उधार देने के लिए केवल व्यावसायिक उधारदाताओं को 5% प्रति वार्षिक की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। ब्याज सब्सिडी से गरीबों को मकान दिलवाने में बाजार निधियों के प्रवाह की अपेक्षा की जाती है। 11वीं योजना (2007-2012) का प्रस्तावित आऊट-ले 1100.00 करोड रुपये है, जिससे लगभग 4 लाख गृहस्थों को लाभ मिलने की संभावना है। वार्षिक प्लान 2008-09 के अंतर्गत 100.00 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2007-08 के वित्तीय बजट में इस योजना के लिए 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजना आयोग ने इस योजना को सिद्धान्तः अनुमोदन दे दिया है। योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा है ईएफसी मीमो पहले ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया था और उनकी टिप्पणियाँ भी प्राप्त कर ली गई है। पीएएमडी योजना आयोग से अनुमति मिलने पर सचिव (व्यय) की सुविधानुसार व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक करने के लिए प्रस्ताव को व्यय विभाग को भेजा जाएगा। ईएफसी से अनुमति मिलने के उपरान्त प्रस्ताव को आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल (सीसीए) को प्रस्तुत किया जाएगा।

9. निर्माण केन्द्र/निर्मिति केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क

भारत सरकार ने निर्मिति केन्द्र योजना की शुरूआत वर्ष 1988 में की थी । इस योजना को 10वीं योजना में योजना आयोग द्वारा बंद कर दिया गया था । तथापि हडको ने निर्माण के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल, पारिस्थिति की दृष्टि से समुचित, ऊर्जा में दक्ष काम करने में टिकाऊ, दिखने में सुन्दर और सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों को बढावा देते हुए संपूर्ण भारत वर्ष में निर्मिति केन्द्र आन्दोलन को मजबूत बनाने के अपने प्रयास जारी रखे ।

इन निर्मिति केन्द्रों को समुचित निर्माण प्रौद्योगिकियों को 'प्रयोगशाला' से 'उपयोग स्थल' तक पहुंचाने के 'आन्तरण एजेन्ट' के रूप में माना गया था । ये केन्द्र क्षमता निर्माण का कार्य करने तथा नवीन और सस्ती निर्माण प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में प्रशिक्षण के कार्य में मददगार थे । कुल 577 निर्मिति केन्द्रों की स्थापना की गई थी जिसमें से 352 केन्द्र कार्य कर रहें हैं और इनकी सफलता 68% है ।

योजना के जीवित होने पर निम्नलिखित क्षमताएं सामने आएंगी:

(क) गैर-परम्परागत निर्माण प्रौद्योगिकियों को दैनिक निर्माण का हिस्सा बनाते हुए विगत दशकों के प्रयासों को बनाए रखना ।

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों को अब इसके अंतर्गत लाया जा सकता है और पुनः प्रारंभ किए जाने पर उनकी पहचान की जा सकती है ।

(ग) अपरम्परागत लागत प्रभावी नवीन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में बढ़ोत्तरी करना ताकि यह इतनी उपयोगी सिद्ध हो जाए कि इसे आम जनता द्वारा अपने दैनिक निर्माण कार्यों में आसानी से अपनाया जा सके ।

(घ) रिहायशी यूनिट की लागत को कम करने तथा उसे वहनीय सीमाओं में लाने के लिए नवीन लागत प्रभावी निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने हेतु जेएनएनयूआरएम योजना विशेष रूप से बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी योजनाओं के अंतर्गत निर्मिति केन्द्र एक उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं । इस योजना के लागतों को कम करने तथा निर्माण क्षेत्र में उपयोगी इस्तेमाल के लिए प्रतिस्थापक अवयवों की उपयोग में एक निर्णायक भूमिका अदा करने की संभावना है ।

(ड.) जेएनएनयूआरएम योजनाओं के अंतर्गत सम्पदा निर्माण विशेषकर आवास, सफाई एवं जलापूर्ति इत्यादि का भी रख-रखाव किया जाना है । इसके लिए निर्मिति केन्द्र कारीगरों विशेषकर महिलाओं को इन सम्पदाओं का रख-रखाव करने के लिए प्रशिक्षण देंगें और रख-रखाव लागतों को कम करते हुए उन्हें स्वतःसक्षम बनाएगें । बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए निर्मिति केन्द्र अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है । निर्माणकारी महिला कारीगरों को श्रेष्ठ बनाया जाना है और इसके लिए निर्मिति केन्द्र अपने आप में समर्पित यूनिट के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2007-08 के लिए एक करोड़ रुपये के टोकन बजट का आबंटन किया गया है । योजना के लिए ईएफसी मीमो को शीघ्र ही परिचालित किया जाना है ताकि योजना आयोग और संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सहमति/टिप्पणियाँ प्राप्त की जा सके ।

10. बीस लाख आवासीय कार्यक्रम (2 एमएचपी)

31.12.2007 को

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं कम आय वाले वर्गों की जरूरतों पर विशेष बल सहित प्राथमिक क्षेत्र के रूप में सभी के लिए आवास पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति 1998 के अनुसार बीस लाख आवासीय कार्यक्रम की शुरूआत 1998-99 में की गई थी। यह एक ऋण आधारित योजना है जिसने 20 लाख अतिरिक्त आवासों के निर्माण को सुसाध्य बनाया है (शहरी क्षेत्रों में 7 लाख रिहायशी यूनिट; ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख रिहायशी यूनिट) हडको द्वारा वार्षिक रूप से शहरी क्षेत्रों में 4 लाख रिहायशी यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख रिहायशी यूनिट के लक्ष्य को पूर्ण करना है। शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रिहायशी यूनिट के लक्ष्य को राष्ट्रीय आवास बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा मान्यता प्राप्त आवास वित्त संस्थानों (एचएफआई) के द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों में शेष 1 लाख रिहायशी यूनिट कोआपरेटिव सेक्टर के द्वारा पूर्ण किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में 2एमएचपी के अपने (1998-99) आरम्भ से 2005-2006/2006-07 तक की वास्तविक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है। इस कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई हडको की प्रगति निम्न प्रकार है :

I. हडको (वर्षवार लक्ष्य, डीयू की सं. एवं स्वीकृत ऋण)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (डीयू)	डीयू की सं.	स्वीकृत राशि (रु.करोड़ में)	वार्षिक लक्ष्य (डीयू)	डीयू की सं.	स्वीकृत राशि (रु.करोड़ में)
		शहरी			ग्रामीण	
1998-99	400000	430399	1193.35	600000	634638	697.42
1999-00	400000	460218	1159.11	600000	654050	933.89
2000-01	400000	470881	578.87	600000	732131	643.33
2001-02	400000	401078	450.48	600000	333113	494.39
2002-03	400000	459969	2792.91	600000	413078	431.48
2003-04	400000	427455	685.77	600000	542428	590.91
2004-05	400000	254885	1055.52	600000	864857	2002.50
2005-06	400000	184597	749.28	600000	7600	48.00
2006-07*	400000	12060	594.57	600000	80000	140.00
कुल	3600000	3101542	9259.86	5400000	4261895	5981.92

** 31.12.2007 को*

II. एचएफआई एवं पब्लिक सेक्टर बैंक (वर्षवार लक्ष्य, डीयू की सं. एवं स्वीकृत ऋण)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (डीयू)	डीयू की सं.	स्वीकृत राशि (रु.करोड़ में)	डीयू की सं.	स्वीकृत राशि (रु.करोड़ में)	डीयू की सं.	स्वीकृत राशि (रु.करोड़ में)
		एचएफआई		पब्लिक सेक्टर बैंक		कुल	
1998-99	200000	153932	5032.69	39739	1090.36	193671	6123.05
1999-00	200000	135035	3583.64	91460	2055.75	226495	5639.39
2000-01	200000	171496	4587.3	162240	4284.36	333736	8871.66
2001-02	200000	262991	7420.89	195624	5449.23	458615	12870.12
2002-03	200000	259772	7433.21	377319	11715.5	637091	19148.71
2003-04	200000	291955	11548.78	329376	10942.57	621331	22491.35
2004-05	200000	235250	13585.24	199425	7431.74	434675	21016.98
2005-06*	200000	327594	27529.70	113265	4974.34	440859	32504.04
कुल	1600000	1838025	80721.45	1508448	47943.85	3346473	128665.30

** सितम्बर, 2007 को*

III. को-आपरेटिव क्षेत्र (शहरी) (वर्षवार लक्ष्य, डीयू की सं. एवं स्वीकृत ऋण)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (डीयू)	डीयू की सं.	स्वीकृत राशि (रु.करोड़ में)
1998-1999	100000	174944	1205.88
1998-1999	100000	174944	1205.88
1999-2000	100000	88218	1240.86
2000-2001	100000	80899	1367.72
2001-2002	100000	73659	1392.90
2002-2003	100000	73461	1287.09
2003-2004	100000	89948	1538.93
2004-2005	100000	117004	1782.16
2005-2006	100000	69499	1580.44
2006-2007	100000	52121	1235.48
कुल	**900000**	**819753**	**12631.46**

वास्तविक रूप में लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/क्रियान्वयन एजेंसियों के पास है, जबकि हडको एवं अन्य एजेंसियाँ ऋणों के रूप में फंड उपलब्ध करवाती हैं। तथापि इस योजना का सफल क्रियान्वयन व्यापक रूप से विभिन्न आवासीय याजनाओं के आरम्भ करने पर क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारों की एजेंसियों के सहयोग पर निर्भर करता है। आवासीय गतिविधियों में बड़े स्तर पर भागीदारी के लिए आवासीय सहकारी समितियों तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा बशर्ते कि विधिक, प्रशासनिक एवं राजकोषीय सुधारों के क्रम में राज्य सरकारों द्वारा सुविधाजनक वातावरण पैदा किया जाए ।

11. एकीकृत कम लागत सफाई योजना (आईएलसीएस)

11.1 आईएलसीएस की पृष्ठभूमि : आईएलसीएस योजना का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत शुष्क शौचालयों को जलशील शौचालयों में परिवर्तित करते हुए मैला वाहकों को काफी समय से सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा से मुक्ति दिलवाना है ।

11.2 "आईएलसीएस" को प्रारंभ में 1980-81 में गृह मंत्रालय द्वारा तथा बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया । योजना को शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय को 1989-90 में स्थानांतरित किया गया और 2003-04 से शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय/आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को स्थानांतरित किया गया है । योजना को 17 जनवरी, 2008 तक निम्नलिखित घटकों के साथ क्रियान्वित किया गया : -

i) योजना शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले जुड़वाँ सफाई शौचालयों में परिवर्तन तथा जहाँ नए व्यक्तिगत शौचालय नहीं हैं के निर्माण पर बल देती है ।

ii) योजना को 'समग्र नगरीय आधार' पर लागू किया गया है जिसका अभिप्राय आईएलसीएस मार्गनिर्देशिका के अनुसार नगर की आबादी के सभी वर्गों को वर्तमान में शामिल किया गया है । यह योजना 1981 की जनगणना के अनुसार 5 लाख तक की आबादी वाले छोटे एवं मझोले शहरों पर लागू है ।

iii) योजना को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) के माध्यम से केन्द्रीय सरकार की इमदाद और हडको के ऋण के सहयोग से चलाया जा रहा है ।

iv) यह माँग आधारित योजना है, अतः कोई भी राज्य आबंटन/लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है ।

11.3 सहायता की पद्धति 17.1.2008 तक निम्नानुसार थी :

श्रेणी	इमदाद	ऋण	लाभार्थी अंशदान
ईडब्ल्यूएस	45%	50%	5%
एलआईजी	25%	60%	15%
एमआईजी/एचआईजी	शून्य	75%	25%

यह योजना हडको के माध्यम से चलाई जा रही है और हडको उपरोक्त वित्तीय पद्धति तथा सफाई शौचालयों के विभिन्न वर्गों की प्रति यूनिट लागत (5 उपयोगकर्त्ता यूनिट 4000/-रुपये, तथा ऊपरी ढाँचे की कोई व्यवस्था नहीं) के अनुसार केन्द्र सरकार की सब्सिडी और ऋण राशि उपलब्ध करवा रहा है ।

11.4 योजना की संचयी वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति ।31.12.2007 तक निम्नानुसार है : -

(क) वित्तीय प्रगति *

- संचयी अवमुक्त सब्सिडी : 340.32 करोड़ रुपये
- कुल लम्बित यूसी : 23.68 करोड़ रुपये

(ख) वास्तविक प्रगति *

- परिवर्तित किए जाने वाले शुष्क शौचालयों की कुल सं. : 6 लाख
- परिवर्तित शुष्क शौचालयों/निर्मित नए यूनिटों की संख्या : 2731676
- मुक्त किए गए मैला वाहकों की संख्या : 53733
- मैला वाहक मुक्त शहरों की संख्या : 654

* *स्रोत : हडको*

11.5 आईएलसीएस के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजट आबंटन और व्यय का विवरण :

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बी.ई	आर.ई.	वास्तविक व्यय
2002-03	30.00	4.80	4.80
2003-04	30.00	4.80	4.80
2004-05	30.00	30.00	20.00
2005-06	30.00	5.00	2.00
2006-07	30.00	30.00	30.00

11.6 चालू वर्ष 2007-08 के लिए 40.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से हडको को प्रो-रेटा आधार पर असम,उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में योजना चलाने के लिए 39.99 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है ।

11.7 मौजूदा योजना में कतिपय बाधाओं/कमियों की वजह से योजना की प्रगति भली-भांति नहीं हुई । मुख्य बाधाएं निम्नलिखित थीं :

i) ऊपरी ढ़ाँचे के लिए सब्सिडी की व्यवस्था न होने के कारण यूनिटों को शायद ही पूरा किया गया और यह प्रयोग में नहीं रही ।

ii) सघन इलाकों में पर्याप्त जगह न होने के कारण व्यक्तिगत शौचालयों को 2 पिट वाले शौचालयों में निर्मित नहीं किया जा सका ।

iii) व्यक्तियों से ऋण की वहुत कम वसूली होने के कारण राज्य सरकारों ने हडको ऋणों की प्रतिभूति के लिए सरकारी गारंटी देने में अपनी रूचि नहीं ली ।

iv) यह योजना देश में 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए है ।

v) चूंकि इस योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस परिवारों को सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है और इन परिवारों की संख्या 45% है जो समाज के गरीब तबकों के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं में सबसे कम है, जिस कारण योजना की माँग कम हुई है ।

11.8 योजना का मूल्यांकन कृषिकीय वित्त लिमिटेड ने भी किया था और योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन के समय उनकी रिपोर्ट में दी गई आलोचनात्मक टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था ।

11.9 योजना को और अधिक आकर्षक तथा आईएलसी योजना के दिशानिर्देशों को क्रियान्वयक बनाने के लिए इन्हें मंत्रिमंडल की 17.01.2008 को हुई बैठक के अनुमोदन से समुचित रूप से संशोधित किया गया है और संशोधित दिशानिर्देशों को 01 फरवरी, 2008 को सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों एवं संबंधित विभागों को भेज दिया गया है ।

11.10 संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है : -

i) इस योजना का उद्देश्य ऊपरी ढ़ांचे सहित और स्थानीय हालातों के अनुरूप (क्षेत्र विशेष के शौचालय) समुचित विभेदों सहित सफाई वाले 2 पिट जलशील शौचालयों के माध्यम से सस्ती सफाई यूनिटों का निर्माण/परिवर्तन करना तथा बिना शौचालय वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए नए शौचालय बनाना है ।

ii) यह योजना समग्र शहर को लाभान्वित करने के आधार पर है । योजना केवल ईडब्ल्यूएस परिवारों तक सीमित है ।

iii) योजना के प्रारंभिक लक्ष्य राज्यों द्वारा अब तक रिपोर्ट किए गए 6 लाख शुष्क शौचालय के संबंध में उन्हें परिवर्तित करने के लिए 75% के अनुपात में निर्धारित किए जाएंगे और लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के लिए बकाया 25% जलशील शौचालयों की व्यवस्था उन परिवारों के लिए है जिनके पास शौचालय नहीं है ।

iv) योजना में निम्नलिखित ढंग से फंड दिया जाएगा : केन्द्रीय सब्सिडी 75%, राज्य सब्सिडी 15% और लाभप्राप्तकर्त्ता का योगदान 10%

v) ऊपरी ढ़ाँचे सहित 2 पिट वाले व्यक्तिगत जलशील

शौचालय की पूर्ण यूनिट के लिए अधिकतम 10,000/-रुपये की लागत (दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले राज्यों को छोड़कर) उपलब्ध कराई जाती है । दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले राज्यों के लिए 2 पिट वाले प्रत्येक जलशील शौचालयों के लिए 25% अतिरिक्त लागत उपलब्ध कराई जाती है । यह योजना केवल ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए सीमित है और इसमें ऋण घटक शामिल नहीं है । इस योजना को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा सीधे रूप से चलाया जाएगा ।

vi) राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले गैर - सरकारी संगठनों का चयन किया जाएगा, जिन्हें योजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में परियोजना लागत से ऊपर अधिकतम 15% का फंड दिया जाएगा, जिसे केन्द्र एवं राज्यों द्वारा 5:1 के अनुपात के आधार पर वहन किया जाएगा ।

vii) मंत्रालय, एमआईएस, निगरानी प्रणाली, क्षमता निर्माण एवं आईईएस घटकों पर खर्च करने के लिए प्रति वर्ष केन्द्रीय आबंटन की कुल राशि का एक प्रतिशत अपने पास रखेगा ।

viii) 6 लाख शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने की कुल परियोजना लागत 715.48 करोड़ रुपये है जिसमें 11वीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सब्सिडी लगभग 545.00 करोड़ रुपये बनती है । आईएलसीएस योजना 3 वर्षों (2007-2010) के अंदर विद्यमान सभी शुष्क शौचालयों के परिवर्तन पर जोर देती है ।

12. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

हडको ने 1970 में अपने प्रारंभ से ही आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तपोषण के क्षेत्र में ठोस तथा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और एक अग्रणी एवं प्रचालन स्थापक के रूप में उभरा है । आवास तथा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास दोनों में अनेक विकल्पों के साथ जनता के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हडको का उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थायी वृद्धि प्राप्त करना है । अपने प्रचालन क्षेत्र में बाजार अग्रणी के रूप में उभरने के बाद हडको का उद्देश्य अपनी स्थिति को समेकित करना तथा अपनी सक्षमताओं पर जोर देते हुए अपने निष्पादन को बढ़ाना तथा सेवा वितरण के विभिन्न आयाम सामने लाना है ।

हडको की सर्वत्र उपलब्ध तकनीकी वित्तीय सहायता की प्रभावशीलता का आंकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश में औसतन प्रत्येक 16 घरों में से एक ने हडको की सहायता प्राप्त की है । इस कारण इस संस्थान को पूरे विश्व में आवासीय सुविधा प्रदान करने वाली विशालतम संस्थानों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है । अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास में हडको ने भारत में हजारों गावों के अलावा हर दूसरे शहर तथा कस्बे में लोगों की आम जिन्दगी की आवश्यकता को पूरा करते हुए दूर-दराज तक अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया है ।

आश्रय तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हडको अपने प्रकार के एकमात्र संगठन के रूप में तेजी से उभर रहा है और इसके बावजूद लाभ भी कमा रहा है। हडको ने अपनी स्थापना के 30 वर्षों के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 141 लाख से अधिक रिहायशी इकाइयों के लिए सहायता दी है । समकालीन आवास वित्त कंपनियों द्वारा मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के लिए कार्य करने के लिए अपनाई गयी नीति के एकदम उलट हडको की सहायता समाज के प्रत्येक वर्ग की आवासीय आवश्यकताओं, विशेषकर कम आय वर्ग और आवास रहित लोगों के लिए है । "सामाजिक न्याय के साथ-साथ लाभ" के अपने उद्देश्य के साथ हडको द्वारा स्वीकृत कुल रिहायशी इकाइयों में से लगभग 92 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा कम आय वर्ग के लोगों के लिए है । हडको ने 1998-99 में प्रारंभ सरकार के आवासीय कार्यक्रम के प्रति 9 वर्ष तथा 9 महीने की छोटी-सी अवधि में 106.52 लाख आवासीय इकाइयों को सहायता दी है ।

हडको ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए अपनी तकनीकी वित्तीय सहायता देना जारी रखा । 31.12.2007 तक कुल मिलाकर हडको ने आपदा प्रभावी क्षेत्रों में 4094.07 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजना लागत सहित 41 लाख से अधिक मकानों का योगदान दिया है जिसमें हडको की वित्तीय सहायता 2209.36 करोड़ रूपये की रही है । मौजूदा आपदा-पश्चात बचाव के कार्यों, मदद, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण तथा फिटिंग आदि कार्यों के बजाय हडको आपदा पूर्व उपाय तथा जोखिम कम करने पर जोर देता रहा है जिनमें पूर्व आकलन, तैयारियां, बचाव, प्रचार तथा सुरक्षा शामिल हैं ।

पर्याप्त मूलभूत सेवाएं तथा समुचित सामाजिक सुविधाओं के साथ-साथ इससे सम्बद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर हडको स्थायी पर्यावास विकास का एक अभिन्न हिस्सा रहा है । 1989 में आरंभ हुए हडको के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कन्ध ने कुल 184171 करोड़ रूपये की परियोजना लागत की कुल 1391 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं (सफाई योजनाओं के अलावा) तथा इसमें हडको की वित्तीय सहायता 47834 करोड़ रूपये की रही है जिससे शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा ।

वर्ष दर वर्ष निर्माण की कीमतें बढ़ने के कारण मकान समाज के प्रत्येक वर्ग की पहुंच से बाहर होता जा रहा है तथा इसके कारण लागत कम करने वाली प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है । हडको ऐसे वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग तथा लागत कम करने वाली समुचित

प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करता रहा है जो पर्यावरण अनुकूल हो, पारिस्थितिकीय रूप से उचित हों, ऊर्जा बचत करने वाली हो और इस सबके बावजूद सुंदर तथा वहनीय हो । इस प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर पर शहरी क्षेत्रों में 577 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 78 निर्मिति केन्द्रों के माध्यम से पहुंचाया गया है ।

भविष्य उन लोगों का है जो सपने देखते हैं, जो समस्याओं के गंभीर होने से पहले उन्हें भांप लेते हैं और उन्हें दूर करने का उपाय कर लेते हैं । वृद्धि, नवीनतम तथा अग्रणीयता के साथ नये मिलेनियम की चुनौतियों से निपटने के लिए हडको सेवा वितरण में उत्कृष्टता के साथ इस प्रकार कार्य कर रहा है ताकि हडको का नाम हर परिवार के जुबान पर हो । हडको आने वाले वर्षों में स्पष्ट दृष्टि, मजबूती तथा बुद्धिमता पूर्ण रणनीति के आधार पर चहुंमुखी वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी सक्षमता, सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिकता पर जोर देगा ।

12.1 2007-08 के दौरान हडको के कार्यकलाप

हडको ने चालू वर्ष के 9 महीनों अर्थात् 2007-08 में अप्रैल से दिसम्बर, 2007 तक पूरे देश में 0.19 लाख रिहायशी मकानों, 184 से अधिक सफाई इकाइयों तथा 82 शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 4514.00 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां दी हैं । वर्ष के दौरान 2056.00 करोड़ रूपये की ऋण राशि जारी की गयी है ।

दिसम्बर, 2007 तक संचयी रूप से हडको ने 77223 करोड़ रूपये की ऋण राशि की कुल 239854 करोड़ रूपये की परियोजना लागत (हडको निवास के अलावा) लागत की 15921 योजनाएं स्वीकृत कीं जिसमें से 58857 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है । हडको की ऋण सहायता से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए हजारों ग्रामों तथा 1841 से अधिक शहरों में 141.29 लाख रिहायशी मकान, लगभग 67.08 लाख सफाई इकाइयों तथा 1391 शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं आरंभ करने में सहायता मिलती है ।

वर्ष 2007-08 के दौरान, आवास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 12219 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां तथा इसके सामान्य कार्यकलापों के रूप में 5000 करोड़ रूपये जारी करने के साथ-साथ 1998-99 के दौरान प्रारंभ आवास कार्यक्रम के लिए हडको द्वारा समझौता ज्ञापन लक्ष्य रखा गया है । चालू वर्ष में 12219 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृतियां करने और 5000 करोड़ रूपये जारी करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं ।

12.2 सभी के लिए आवास

वर्ष 2007-08 के दौरान, हडको ने आवासीय कार्यक्रमों के लिए वर्ष के 9 महीनों में अर्थात् दिसम्बर 2007 तक 1017 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया है (हडको निवास सहित)। इन योजनाओं के द्वारा 19406 रिहायशी इकाइयां, 258 गैर रिहायशी भवन तथा 184 सफाई इकाइयां उपलब्ध होंगी । हडको द्वारा स्वीकृत कुल रिहायशी इकाइयों में से 54 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी परिवारों के लिए हैं ।

12.3 हडको का प्रचालन निष्पादन (31.12.2007 तक)

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हडको ने कुल 4514 करोड़ रूपये की कुल ऋण राशि की 195 योजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें से 1017 करोड़ रूपये आवासीय योजनाओं के लिए (रिटेल वित्त सहित) 3497 करोड़ रूपये विभिन्न शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं । इसके अलावा 2056 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गयी है जिसमें 533 करोड़ रूपये आवासीय योजनाओं के लिए तथा 1523 करोड़ रूपये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए हैं ।

यह अपेक्षा है कि चालू वर्ष के दौरान हडको कम से कम 12219 करोड़ रूपये की स्वीकृतियों (आवास : 3666 करोड़ रूपये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर 8553 करोड़ रूपये) तथा 5000 करोड़ रूपये के संवितरणों (आवासः 1500 करोड़ रूपये, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर 3500 करोड़ रूपये) को प्राप्त करेगा ।

12.4 1998-99 में आरम्भ भारत सरकार के आवासीय कार्यक्रम में हडको का योगदान

भारत सरकार के आवासीय कार्यक्रम, जो 1998-99 में आरम्भ हुआ था, के अन्तर्गत हडको को 10 लाख मकानों के वार्षिक रूप से निर्माण के लिए ऋण सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था (कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 4 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में, जिसमें से 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 7 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में बनाने पर बल दिया गया था) । इसके प्रति 1998 से 2007-2008 में 31.12.2007 तक हडको ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल 106.52 लाख मकानों के निर्माण में सहायता दी है ।

12.5 वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)

वाम्बे एवं एनएसडीपी योजनाओं को एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में समाहित कर दिया गया है, जो 03 दिसम्बर,2005 को आरम्भ हुआ था । वाम्बे के अन्तर्गत, केवल चालू वाम्बे योजनाओं (सिद्धांतः अनुमोदित योजनाओं सहित) पर ही भारत सरकार की इमदाद सहायता जारी करने हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते कि 100% देय उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए तथा विगत अवमुक्तियों के प्रति कम से कम 50% वास्तविक/वित्तीय प्रगति प्राप्त की जाए ।

12.6 संचयी स्थिति

वाम्बे के अंतर्गत 31.12.2007 तक 459823 रिहायशी यूनिटों तथा 65580 शौचालय सीटों के निर्माण/सुधार के लिए भारत सरकार की 93908.42 लाख रुपये की भारत सरकार की सहायता जारी की जा चुकी है । इसके अंतर्गत निर्मल भारत अभियान (एनबीए), के तहत भारत सरकार ने 65580 शौचालय सीटों के निर्माण के लिए 12358.38 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की है ।

प्रगति रिपोर्टो के अनुसार, 370424 रिहायशी यूनिट पूर्ण हो चुके हैं तथा 39303 प्रगति पर हैं तथा 58152 डब्ल्यू सी पूर्ण तथा 3358 डब्ल्यू सी का कार्य प्रगति पर हैं ।

12.7 शहरी गरीबों को बुनियादी सेवायें (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

12.7.1 शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

पृष्ठभूमि

- शहरी स्लमवासियों, जो कि चुनिंदा 63 मिशन नगरों में अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालातों में रह रहे हैं, की बदतर हालातों में सुधार करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवायें कार्यक्रम दिसम्बर 2005 में आरम्भ किया गया था ।
- योजना का मूल उद्देश्य शहरी स्लम वासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने के द्वारा स्वच्छ एवं उपयुक्त शहरी पर्यावरण सहित समग्र स्लम विकास हेतु प्रयास करना है ।

हडको की भूमिका

- बीएसयूपी के अन्तर्गत प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टो (डीपीआर) के मूल्यांकन हेतु हडको भी एक मूल्यांकनकर्त्ता एजेंसी है ।
- मार्गनिर्देशों के अनुसार (डीपीआर) के तैयार करने हेतु हडको राज्य सरकारों, क्रियान्वयन एजेंसियों की सहायता कर रहा है ।
- हडको कार्यक्रम मार्गनिर्देशों के साथ एजेंसियों को परिचित कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है ।
- हडको परियोजना की प्रगति तथा सुधार एजेंडे के क्रियान्वयन की भी जांच-पड़ताल कर सकता है ।

12.7.2 एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

पृष्ठभूमि

- शहरी स्लमवासियों, जो कि अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालातों में रह रहे हैं, की बदतर हालातों में सुधार करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम दिसम्बर 2005 में आरम्भ किया गया

था ।

- विद्यमान वाल्मीकी आवास योजना (वाम्बे) तथा बंद कर दिए गए राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) को आईएचएसडीपी में समाहित कर दिया गया,जिसका उद्देश्य शहरी स्लम वासियों को समुचित आश्रय तथा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने के द्वारा स्वच्छ एवं उपयुक्त शहरी पर्यावरण सहित समग्र स्लम विकास हेतु प्रयास करना है ।
- कार्यक्रम में जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत शहरी गरीबों (बीएसयूपी) के लिए बुनियादी सेवाओं के अन्तर्गत शामिल 63 मिशन नगरों/शहरों को छोड़ कर सभी नगर शामिल है ।

हडको की भूमिका

- परियोजनाओं की अधिकता तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के हडको के विस्तृत नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए रखते हुए,आईएचएसडीपी के अन्तर्गत प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टो के (डीपीआर) के मूल्यांकन हेतु केवल हडको ही एकमात्र मूल्यांकनकर्त्ता एजेंसी है ।
- मार्गनिर्देशों के अनुसार डीपीआर के तैयार करने हेतु हडको राज्य सरकारों, क्रियान्वयन एजेंसियों की सहायता कर रहा है ।
- हडको कार्यक्रम के मार्गनिर्देशों के साथ एजेंसियों को परिचित कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है ।
- हडको परियोजना की प्रगति तथा सुधार एजेंडे के क्रियान्वयन की भी जांच-पड़ताल कर सकता है ।

12.8 हडको निवास के माध्यम से लोगों को ऋण सहायता

लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के उद्देश्य से हडको ने अपनी **वैयक्तिक आवासीय ऋण योजना - हडको निवास** मार्च, 1999 में आरंभ की । यह योजना अपनी अत्यधिक प्रतियोगी शर्तों, मूल्यवान सेवाओं तथा उपभोक्ता अनुकूल विकल्पों के साथ जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है ।

चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान (31.12.2007 तक) 634 लाभार्थियों के लिए 36.40 करोड़ रूपये की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है तथा 31.35 करोड़ रूपये जारी भी किए जा चुके हैं ।

12.9 शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर : नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ाव

शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में बाजार अग्रणी के रूप में, हडको ने विविध परियोजनाओं का वित्तपोषण करना जारी रखा। चालू वित्तीय वर्ष, 1.4.2007 से 31.12.2007 तक के नौ महीनों के दौरान 14834.72 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत तथा 3497.09 करोड़ रूपये के हडको ऋण अंश के साथ हडको 82 शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाएँ स्वीकृत कर चुका है । चालू वित्तीय वर्ष के शेष तीन माह के दौरान हडको का समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है । चालू वित्तीय वर्ष के लिए 3500 करोड़ रूपये के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के प्रति हडको पहले ही 1523 करोड़ रूपये जारी कर चुका है । शेष राशि बाकी तीन महीनों में जारी की जाएगी। हडको द्वारा स्वीकृत शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का सेक्टर-वार विवरण इस प्रकार है :-

(रूपये करोड़ में)

सेक्टर	संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि
जल आपूर्ति	3	82.35	27.59
सीवरेज/ड्रेनेज/ठोस कचरा प्रबंध	0	0	0
परिवहन एवं सड़क/पुल	6	1092.95	78.34
क्षेत्र विकास	1	19.61	17.50
व्यावसायिक एवं अन्य	50	13336.64	3148.49
सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	22	303.18	225.17
कुल	82	14834.72	3497.09

12.10 उत्तर-पूर्वी प्रदेशों में विशेष पहल

हडको ने अपने आवास पोर्टफोलियों के अन्तर्गत उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अपने वार्षिक नियतन का 10 प्रतिशत विशेष आबंटन के द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास पर अपना विशेष बल देना जारी रखा । चालू वित्तीय वर्ष के नौ महीनों के दौरान, हडको ने 51.58 करोड़ रूपये की परियोजना लागत एवं 43.1 करोड़ रूपये के हडको ऋण अंश से 12 आवासीय योजनाएँ स्वीकृत की हैं । इससे असम, मिजोरम नागालैंड राज्यों में 286

रिहायशी मकानों के निर्माण में सहायता मिलेगी । (हडको निवास के अलावा)

उपरोक्त के अलावा, हडको ने नागालैण्ड राज्य में 35.45 करोड़ रूपये की हडको ऋण सहायता से 11 शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ भी स्वीकृत की हैं ।

12.11 निर्मिति केन्द्रों की मार्फत प्रौद्योगिकी अंतरण पहल

हडको ने निर्माण के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल, पारिस्थितिकीय रूप से उपयुक्त, ऊर्जा दक्ष, कार्यात्मक रूप से टिकाऊ, सौन्दर्यपरक और साथ ही लागत प्रभावी तथा वहनीय भवन निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों को प्रौन्नत करने की दिशा में निर्मिति केन्द्र आन्दोलन को मजबूती प्रदान करने में अपने प्रयासों को जारी रखा है । स्वीकृत 577 निर्मिति केन्द्रों में से 387 निर्मिति केन्द्र नवीन निर्माण सामाग्रियों तथा प्रौद्योगिकी का प्रचार करने में पूर्णतया कार्यरत हैं, और अन्य स्थापना की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । अभी तक (31.12.2007 तक) शहरी निर्मिति केन्द्रों के लिए 2216.10 लाख रूपये का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 1678.44 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं ।

12.12 आदर्श ग्राम/आदर्श बस्ती की स्थापना

हडको ने वास्तविक आयोजना, वास्तु डिजाइन भूमि के समक्ष उपयोग तथा उपभोक्ता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों, समेकित रूप में ऊर्जा नवीन/नवीकरणीय स्रोतों के एकीकृत इनपुट प्रदान करने के लिए सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में माडल विलेजों (आदर्श ग्रामों) तथा माडल इम्प्रूव्ड स्लम (आदर्श बस्तियों) के विकास के लिए अपना कार्यक्रम जारी रखा है । 31.12.2007 तक हडको ने संचयी रूप से 3891.83 लाख रुपये के कुल अनुदान से 116 मॉडल गाँव/बस्तियाँ स्वीकृत कीं ।

12.13 सामुदायिक शौचालयों तथा सफाई कार्यक्रम का लक्षित क्रियान्वयन

हडको ने उपरोक्त योजना बनाई है जहाँ सामुदायिक शौचालय व्यस्त बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, संस्थानों, अस्पतालों, स्लम आदि में प्रस्तावित किए जा सकते हैं । क्रियान्वयन एजेंसी कोई भी कार्पोरेट सेक्टर एनजीओ, सीबीओ, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, संस्थान आदि हो सकते हैं । परियोजना में एजेंसी द्वारा अपने अंश का निवेश करने के बाद हडको कुल परियोजना लागत का 50% का अनुदान अथवा 20,000/-रूपये प्रति डब्ल्यूसी जो ही कम होगा, प्रदान करेगा। दिसम्बर 2007 तक हडको ने योजनाओं के लिए हडको अनुदान के रूप में 945.80 लाख रुपये से 26 योजनाएं (सिद्धान्त रुप में) स्वीकृत की है ।

12.14 संसाधन जुटाव पहल

2007-2008 में, 31.12.2007 तक हडको 2361.08 करोड़ रूपये की राशि जुटाने में समर्थ हो गया है । संसाधनों, बैंक ऋणों, बांड एवं पब्लिक जमाओं, (अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि निधियों दोनों) के विवेकपूर्ण मिश्रण द्वारा जुटाया गया था ताकि निधियों की बढ़ती लागत को कम किया जा सके । हडको के 2004 में मिनी रत्ना स्तर प्राप्त करने के बाद से और किसी साम्य प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

12.15 परामर्श पहल

अपने तकनीकी आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप, हडको ने स्थानीय निकायों तथा उधारकर्ता एजेंसियों को तकनीकी तथा डिजाइन मार्गदर्शन देना जारी रखा है । आयोजना, डिजाइनिंग तथा परियोजना मूल्यांकन के क्षेत्रों में तकनीकी, कार्मिक, दीर्घ अनुभव तथा विशेषज्ञ की अपनी अन्तर्निहित योग्यता का उपयोग करते हुए फीस आधारित परामर्श दिया गया ।

वास्तुशिल्पीय परामर्श के अतिरिक्त, जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निधिकरण/

अनुमोदन के लिए परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन के साथ-साथ विभिन्न शहरों तथा नगरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहित आवास/स्लम विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की कवर सज्जा के लिए फीस आधारित परामर्श सहायता का विस्तार किया गया है । इसके अतिरिक्त विभिन्न नगरों के लिए शहरी विकास आयोजनाओं/मास्टर प्लान को तैयार करने में भी अभी हाल ही में विशेष जोर दिया गया है । हडको ने फीस आधारित परामर्श गतिविधियों के अपने क्षेत्र के विविधीकरण के प्रति परियोजना प्रबन्ध परामर्श के कार्यों को शुरू करने के प्रयासों को भी हाल ही में शुरू किया है । क्षेत्रीय कार्यालयों की अपनी परामर्श गतिविधियों को विकेन्द्रीकरण करना हडको द्वारा शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण पहल है । इस पहल से बहुत से क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् चेन्नई, जयपुर, पटना तथा कोहिमा ने हडको द्वारा वित्तपोषित आवास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की ऋण स्वीकृति तथा संवितरणों एवं मूल्यांकन और मॉनिटरिंग की अपनी सामान्य प्रचालनात्मक गतिविधियों सहित क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श/फीस आधारित कार्यों को शुरू करने का अच्छा सामर्थ्य दिखाना शुरू किया है ।

इस समय नैगमिक कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में बहुत बड़ी संख्या में परामर्श कार्य हाथ में है । सिक्किम सरकार के लिए शोलोफोक में तीर्थयात्री केन्द्र, राजस्थान में विभिन्न बस टर्मिनलों तथा उपयोगिता इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विकास, बिहार में बीएसयूपी परियोजनाओं के लिए डीपीआर का तैयार करना, बोधगया तथा गोवा के लिए सीडीपी को तैयार करना, बिहार तथा झारखंड आदि राज्यों में 10 नगरों के लिए मास्टर प्लान को तैयार करना कुछ मुख्य कार्य हैं ।

13. मानव बसाव प्रबंध संस्थान (एचएसएमआई)

एचएसएमआई हडको के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित योग्यता प्राप्त और अनुभवी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं । एचएसएमआई ने हडको की ऋण एजेंसियों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के आवास वित्त संस्थानों आदि सहित आवास तथा शहरी विकास क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यावसायिकों की क्षमता निर्माण प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) घटक के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण और प्रलेखन कार्यों के समन्वय हेतु एचएसएमआई आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की ओर से नोडल संस्थान है ।

चालू वर्ष के दौरान (31.12.2007 तक), एचएसएमआई गतिविधियों में प्रशिक्षण अनुसंधान और अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं जिनका विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है :

(i) प्रशिक्षण

2007-08 के दौरान (31.12.2007-08) एचएसएमआई ने एजेंसियों के व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा शहरी स्थानीय सरकारों, अन्य शहरी सेक्टर एजेंसियों/स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों से सहभागियों को आमंत्रित किया है । यूएन हैबीटाट के सहयोग से मैसूर में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । ये कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों के व्यावसायिकों के लिए 7 एसजेएसआरवाई कार्यक्रमों सहित आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के लिए आयोजित किए गए । एचएसएमआई ने एनएआरईडीसीओ के सहयोग से 31 दिसम्बर, 2007 तक वास्तविक सम्पदा व्यावसायिकों के लिए तीन कार्यक्रम आयोजित किए । एजेंसी व्यावसायिकों के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से 31 दिसम्बर, 2007 तक कुल प्रशिक्षण कार्यदिवस 2999 हैं ।

एचएसएमआई ने इस अवधि के दौरान परामर्श प्रबन्ध, परियोजना मूल्यांकन प्रबन्ध, आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण में विभिन्न मुद्दों, आईटी एप्लीकेशन, मानव संसाधन मुद्दों आदि क्षेत्रों को शामिल करते हुए हडको कर्मचारियों के लिए इन-हाउस कार्यक्रमों को भी आयोजित किया। 31.12.2007 को प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कार्यदिवसों की उपलब्धता निम्नानुसार है :

क्र. सं.	लक्ष्यों का विवरण	प्रतिभागियों की संख्या	उपलब्ध कार्य दिवस
1	2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान हडको कर्मचारियों को प्रशिक्षण	372	1304
2	2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान एजेंसी व्यावसायिकों को प्रशिक्षण	368	2999

(II) अनुसंधान और मूल्यांकन गतिविधियाँ

अवधि के दौरान निम्नलिखित मुख्य अनुसंधान गतिविधियाँ चलाई गई :

- "राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति - 2007" को स्थानीय सरकारों के लिए स्थानीय शासन, लिंग समानता एवं शहरी सुरक्षा पर पृष्ठभूमि एवं जानकारी, अन्य संबंधित मुद्दों पर अवलोकन एवं टिप्पणियाँ, भाषणों के मुख्य प्रारूप, विभिन्न मूल विषय क्षेत्रों पर विचारणीय बातें एवं भाषणों को तैयार करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को व्यावसायिक सहायता ।
- एनएसयूपी के अन्तर्गत, एचएसएमआई शहरी निर्धन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति से उपलब्ध निधियों से राष्ट्रीय कोर ग्रुप के सदस्यों की सहायता की है ।
- "स्लम मुक्त शहरों पर राष्ट्रीय नीति का पहला ड्राफ्ट : शहरी कम लागत बसावों के विकास के लिए फ्रेमवर्क" को तैयार किया गया तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया ।

(III) अन्य गतिविधियाँ

- विश्व पर्यावास दिवस गतिविधियों (अक्टूबर 2007) पर आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को व्यावसायिक सहायता ।
- भारतीय विदेश सेवा - 2006 बैच (सितम्बर, 2007) के परिवीक्षार्थियों के लिए विशेष अभिमुख कार्यक्रम आयोजित किया ।
- हडको पत्रिका "शेल्टर" (3 अंक) खंड 10.1, खंड 10.2 तथा खंड 10.3 (प्रत्येक की 1000 प्रतियों) का प्रकाशन ।

(IV) नेटवर्किंग गतिविधियाँ

एचएसएमआई ने शहरी शासन के क्षेत्रों, आवास तथा संबंधित मुद्दों पर अनुभव तथा विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ व्यावसायिक नेटवर्किंग की श्रृंखला आरम्भ की । इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में एचएसएमआई और हडको के अधिकारियों की भागीदारी रही ।

एचएसएमआई ने हडको चेयर, एनएचबी, एनएआरईडीसीओ तथा अन्य एचएफआई के नेटवर्किंग के अन्तर्गत राज्य स्तरीय संस्थानों को शामिल करते हुए भारत में विभिन्न स्टैकहोल्डरों के साथ नेटवर्किंग आरम्भ की ।

हडको में सतर्कता कार्य

वर्ष के दौरान शिकायतों की जाँच पड़ताल के अलावा निवारक सतर्कता में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए । नैगमिक सतर्कता विभाग ने अल्प अवधि अधिशेष निधियों के निवेश करने की प्रक्रिया में डीपीई गाइडलाइन्स के आधार पर परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिए जिसे संशोधित गाइडलाइन्स में शामिल किया गया । ई-गवर्नेन्स के माध्यम से प्रसार प्रौद्योगिकी के भाग के रूप में नैगमिक सतर्कता विभाग के अनुरोध पर ई-टेंडरिंग, ई-पेमेंट, पे-रोल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 35 अधिकारियों ने भाग लिया । कम्पनी हडको की वेबसाइट पर टेंडरों के लिए अपनी सूचनाओं को देकर सामान एवं सेवाएँ प्राप्त कर रही है । सतर्कता विभाग सुचारू

रुप से कार्यपद्धतियों को लागू करने तथा विभिन्न प्रचालनात्मक क्षेत्रों के लिए प्रचालन नियमावलियों की तैयारी हेतु आवश्यकता पर बल देता रहा है ।

वर्ष के दौरान चंडीगढ़, जम्मू, कोहिमा, भोपाल, मुम्बई, लखनऊ तथा जयपुर का निरीक्षण किया गया तथा सतर्कता के निवारक पहलुओं के बारे में कर्मचारियों को जानकारी दी गई । निवारक सतर्कता पर बल देते हुए मुख्यालय के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 12-16 नवम्बर, 2007 को कॉर्पोरेशन द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था । इस सप्ताह के दौरान सतर्कता मामले पर जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए सतर्कता गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक पुस्तिका जारी की गई ।

संगठनात्मक नेटवर्क और मानव संसाधन विकास

उभरते हुए नये परिदृश्य एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक परिवेश में हडको की पहुँच परियोजना प्रक्रिया की सभी अवस्थाओं में आश्रय एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रयासों में बढ़ोतरी करना रहा है । इसको हासिल करने के लिए, हडको देश में किसी भी स्थान के साथ-साथ अपने यहाँ उपलब्ध व्यावसायिक कौशलों का उपयोग करता है । 31.12.2007 को हडको की कुल मानव संसाधन संख्या 1073 है, जिसमें से 569 अधिकारी हैं जो कि वित्त, विधि, वास्तुकीय, सिविल, पीएचई, शहरी एवं क्षेत्रीय आयोजना, पर्यावरणीय एवं परिवहन विशेषज्ञता, सामुदायिक विकास, सिस्टम, अर्थव्यवस्था, रियल एस्टेट विकास, मानव संसाधन, जन सम्पर्क, प्रलेखन आदि बहुआयामी व्यावसायिक क्षेत्रों से हैं ।

सभी क्षेत्रों में अपनी तीव्र सेवाएं प्रदान करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संगठन का प्रचालन 1983 तक दिल्ली में इसके केवल कारपोरेट कार्यालय से ही किया जाता रहा था, हडको ने अपनी गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया है। हडको ने विभिन्न राज्यों में एजेंसियों के साथ नजदीकी एवं सुदृढ़ सहयोग विकसित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में नए क्षेत्रों की पहचान के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है । हडको अपनी स्थापना से ही लाभ अर्जित कर रहा है, हडको के निदेशक मंडल ने 17.11.1997 को हुई अपनी 241वीं बैठक में विषय मामले पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर हडको को दिए मिनी रत्ना की श्रेणी के लिए अपेक्षित विभिन्न मापदण्डों का पुनरीक्षण किया है । तदनुसार सिफारिशों को हडको को मिनीरत्ना का दर्जा दिए जाने के लिए प्रेषित किया गया था, निष्पादन के आधार पर हडको को वर्ष 2004 के दौरान वित्तीय एवं प्रचालनात्मक स्वायत्तता के सम्बन्ध में मिनी रत्न की श्रेणी प्रदान की गई थी ।

नैगमिक कार्यालय तथा क्षेत्रों दोनों में प्रचालनात्मक प्रमुखों के अतिरिक्त, वरि. कार्यकारी निदेशकों/ कार्यकारी निदेशकों के प्रमुख पद हैं जोकि संसाधन प्रबन्ध, आंतरिक लेखा परीक्षा, रिटेल वित्त, विधि, मानव संसाधन विभाग, प्रबन्ध सेवाएं, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं निर्माण तथा सतर्कता जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ पदों पर हैं ।

परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में ठहरने के लिए अधिक जवाबदेह और नवीन दृष्टियों की मांग करता है । कारपोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हडको अपनी कॉर्पोरेट कार्यनीतियों को पुनर्दिशा प्रदान कर रहा है ।

अपने मानव संसाधनों की प्रतिस्पर्धा क्षमताओं को बढ़ाने की दृष्टि से, वर्ष 2007-08 के दौरान (31 दिसम्बर, 2007 तक) भारत और विदेशों दोनों में प्रशिक्षण के लिए 504 कर्मचारियों को नामित/भेजा गया था । 31 दिसम्भर, 2007 को कर्मचारियों की कुल संख्या 1073 थी जिसमें 569 अधिकारी वर्ग और 504 कर्मचारी वर्ग से थे । महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 31 दिसम्बर, 2007 को 289 थी । हडको ने लिंग समानता को प्रोन्नत करने तथा महिला कर्मचारियों के सर्वोत्तम योगदान को सुनिश्चित करने के लिए उनको अधिकार सम्पन्न बनाने के अपने प्रयासों को भी जारी रखा ।

निगम ने अनु.जा,/अनु.ज.जा. तथा अ.पि.वर्गो के लिए सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करना जारी रखा । कुल संख्या में से 190 अनु.जा.64 अनु.ज.जा. 84 अ.वि.वर्ग, 20

शारीरिक रूप से विकलांग तथा 31 भू.पू.सै. हैं । हडको ने अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखना जारी रखा ।

कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के जुलाई 2001 के आदेश के संदर्भ में हडको ने सिटीजन चार्टर को अपना लिया है जिसमें उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है । सिटिजन चार्टर को हडको के वेबसाइट पर प्रचार और जागरूकता के लिए दिया गया है ।

राजभाषा कार्यान्वयन

हडको अपने सभी कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए अथक प्रयास करता रहा है तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिचालित वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता रहा है। वर्ष के दौरान हडको के कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिन्दी कार्यशालाएं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हुई । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता कार्पोरेट कार्यालय में समिति के अध्यक्ष और क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा की जाती है । इस वर्ष कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में सितम्बर, 2007 को पूरे माह राजभाषा माह मनाया गया । कार्यालय के कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा माह के दौरान इसके कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय में भी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी । संसदीय राजभाषा समिति ने मुख्यालय सहित चंडीगढ़, मुम्बई, हैदराबाद तथा कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया । इसके अतिरिक्त 23 क्षेत्रीय कार्यालयों/विकास कार्यालयों का निरीक्षण भी किया गया ।

14. राष्ट्रीय भवन संगठन (एनबीओ)

राष्ट्रीय भवन संगठन (एनबीओ), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है और आवास एवं भवन निर्माण गतिविधियों से संबंधित सांख्यिकीय सूचना के एकत्रीकरण, तालिकाकरण एवं प्रसार के लिए देश में एक शीर्षस्थ संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। बदलती सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं तथा आवास, निर्माण स्लम विकास, शहरी गरीबी उपशमन एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित सांख्यिकी कार्यों को ध्यान में रखते हुए तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की योजनाओं को समुचित आंकड़ा आधार, एआईएस एवं जानकारियाँ देते हुए सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भवन संगठन का पुनर्गठन मार्च, 2006 में किया गया था ।

3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के संबंध में इस पुनर्गठन को विशेष रूप से उल्लेखनीय समझा गया है। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया करवाने और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों से निपटने के लिए जवाहरलाल नेहरू नवीकरण मिशन देश में शुरू की गई अब तक की पहली विशालतम पहल है । इस मिशन को 7 वर्षों (2005-2012) की अवधि में चलाया जाएगा। भारत सरकार ने राज्यों को 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की वचनबद्धता दी है । राष्ट्रीय भवन संगठन को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी गरीब को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत प्राप्त योजनाओं के मूल्यांकन, स्वीकृति, निगरानी एवं समीक्षा के कार्यों में समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेन्सी बनाया है ।

पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन संगठन के अधिदेश निम्नानुसार हैः

- राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा शहरी गरीबी, स्लम, भवन निर्माण एवं संबंधित सांख्यिकी के संबंध में राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय के स्तरों

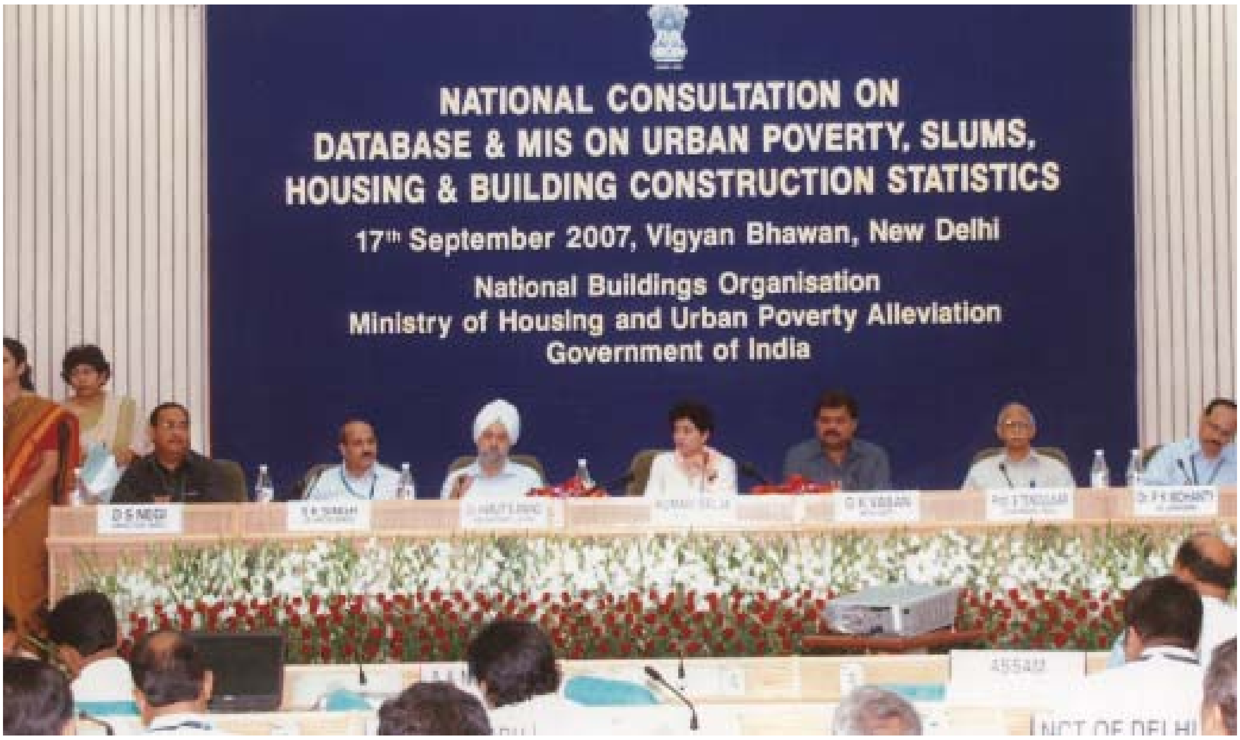

एनबीओ द्वारा आयोजित शहरी गरीबी, स्लम, आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी पर
डाटा बेस एवं एमआईएस पर राष्ट्रीय परामर्श

एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार के संसाधन केन्द्रों के नेटवर्क के साथ मिलकर कार्य करना ।

- समय-समय पर भवन निर्माण, आवास एवं अन्य सम्बंधों सांख्यिकी तथा सांख्यिकी रिपार्टों को इक्ट्ठा करना, मिलाना इसका विश्लेषण करना, प्रसार करना एवं प्रकाशित करना ।
- जनगणना एवं एनएसएसओ इत्यादि विभिन्न स्रोतों से इक्ट्ठा किए गए सांख्यिकी आँकड़ों के विश्लेषक अनुसंधान प्रकाशनों को जारी करना और शहरी गरीबी, स्लम, आवास और भवन निर्माण से संबंधित जानकारी प्रकाशित करना ।
- समुचित सिस्टम और ई-गवर्नेन्स के टूल्स के साथ नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए यथा आवश्यक प्रसारित शहरी आँकड़ों को एकत्रित करके रखने और उसके प्रबंधन के लिए पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत आँकड़ा केन्द्र बनाना तथा उसका प्रबंधन करना ।
- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रभाव एवं अध्ययन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से लघु अवधि के नमूना सर्वेक्षण/फील्ड अध्ययन को करना तथा यथा आवश्यक प्राथमिक आँकड़ों को इक्ट्ठा करना ।
- स्लम विकास/उन्नयन, वहनीय आवास तथा शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं, नीतियों, प्लानों एवं कार्यक्रमों के प्रभाव, डिजाइन, क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा से संबंधित सामाजिक आर्थिक अनुसंधान के कार्य को करना ।
- शहरी गरीबी, स्लम, आवास, भवन निर्माण एवं संबंधित शहरी सांख्यिकी, जो श्रेष्ठ कार्यों एवं नवीनताओं सहित शहरी संसाधनों के प्रत्युत्तर के रूप में कार्य कर सकती है, से संबंधित सांख्यिकी केन्द्र को विकसित करना ।
- शहरी गरीबी, स्लम, आवास, भवन निर्माण और शहरी सांख्यिकी से संबंधित आँकड़ों के एकत्रिकरण और प्रसार के कार्य में जुटे भारत सरकार, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन करना ।
- शहरी गरीबी, स्लम एवं आवास इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में शहरी नीति निर्माताओं, आयोजनाकारों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं की आँकड़ा एवं एमआईएस जरूरतों को एक नोडल एजेन्सी के रूप में पूरा करने में जुटी राज्य सरकारों/नगरपालिका प्राधिकरणों/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों/सांख्यिकी संस्थानों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय एवं सहयोग करना ।

राष्ट्रीय भवन संगठन ने विगत 11 वर्षों (01.04.07 से 29.02.08) के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों की हैः

क. तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की सिफारिशों का क्रियान्वयन

निर्माण क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्माण सांख्यिकी के लिए अतिरिक्त महानिदेशक, सीएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) को निम्नलिखित की समीक्षा करने के उद्देश्य से गठित किया गया था : -

i) राष्ट्रीय आवश्कताओं के संबंध में आंकड़ा असमनाताओं की पहचान करते हुए निर्माण सांख्यिकी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना ।

ii) मौजूदा भवन निर्माण सांख्यिकी के एकत्रिकरण में संगठनात्मक बाधाओं तथा संकल्पनात्मक मुद्दो एवं पद्धतीय समस्याओं की समीक्षा करना ।

iii) मौजूदा शेडूल्स और एनेक्सचर की समीक्षा सहित वर्तमान भवन निर्माण सांख्यिकी को एक जुट करना और नियमित एकत्रिकरण प्रणाली की समीक्षा करना ।

तकनीकी सलाहकार समिति ने जून, 2006 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने इसकी सभी सिफारिशें मान ली है । एनबीओ देश के शहरी क्षेत्रों में आवास एवं अन्य भवनों के निर्माण की सांख्यिकी के एकत्रीकरण की प्रणाली को विकसित करने के लिए समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई कर रहा है ।

ख. नवीन प्लान योजना की शुरूआत

एनबीओ ने शहरी गरीबी, स्लम, आवास, निर्माण एवं शहरीकरण से संबंधित अन्य सांख्यिकी के राष्ट्रीय डाटाबेस, एमआईएस एवं जानकारी के विकास एवं रख-रखाव के उद्देश्य से "मानव संसाधन एवं मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी (यूएसएचए)" नामक एक नवीन प्लान योजना की शुरूआत की थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबी, स्लम एवं आवास से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में आयोजन, नीति-निर्माण, परियोजना-डिजाइन, सूत्रीकरण, क्रियान्वयन, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की सूचना आधार एवं जानकारी की सहायता देता है । इससे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी गरीब को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के कुशल क्रियान्वयन में विशेष रूप से सहायता देने की अपेक्षा की जाती है । "यूएसएचए" ने चार स्तंभ हैं : - एमआईएस एवं नमूना सर्वेक्षण सहित डाटाबेस, कार्रवाई अनुसंधान, प्रभाव मूल्यांकन तथा क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण।

"मानव संसाधन एवं मूल्यांकन के लिए शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए)" नामक इस केन्द्रीय योजना के अंतर्गत एनबीओ ने कम्प्यूटरों, प्रिन्टरों, यूपीएस, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा भवन निर्माण, आवास, स्लम एवं गरीबी सांख्यिकी और नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों के एकत्रीकरण और समन्वयन में प्रयोग आने वाले अन्य सामानों की खरीद के लिए 29 राज्यों/संघशासित प्रदेशों को 4,69,63,400/-रुपये (रुपये चार करोड़, उनहत्तर लाख तिरसठ हजार चार सौ केवल) की राशि जारी कर दी है।

ग. आँकड़ों के ऑनलाइन प्रेषण के लिए सॉफ्टवेयर की शुरूआत :

राष्ट्रीय भवन संगठन ने "निर्माण से संबंधित सूचना एवं जानकारी सिस्टम (बीआरआईकेएस)" नामक विकेन्द्रीकृत वेब-आधारित ऑनलाइन सिस्टम चलाया है । ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए एनबीओ का ई-यूनिट राज्य सरकारों-विभागों/आर्थिक एवं सांख्यिकी ब्यूरों, नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास, नगर-निगमों, नगरपालिकाओं, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों इत्यादि से जुड़ जाएगा । यह विकेन्द्रीकृत सिस्टम एनबीओ द्वारा आँकड़ा एकत्रीकरण में आ रही बाधाओं से उबरने में मदद करेगा और अनेक कारोबार सहयोगियों को आंकड़ा-प्रदर्शन, आंकड़ा प्राप्ति एवं आंकड़ों के समय से पूर्ति सुनिश्चित करेगा। ब्रिक्स, एनबीओ तथा सभी उपयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सिस्टम में मदद करेगा : -

(क) विकासात्मक योजनाओं को बनाने में वृह्त दृष्टिकोण को अपनाना ।

(ख) मूल्यांकन योजनाओं को निरन्तर विकास

(ग) अनुसंधान

(घ) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

घ. सम्मेलन/बैठकें/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम :

राष्ट्रीय भवन संगठन, अवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, ने 17 सितम्बर, 2007 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "शहरी गरीबी, स्लम आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी पर डाटाबेस एवं एमआईएस" नामक विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजना किया, जिसका उद्घाटन कुमारी सैलजा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन ने किया । श्री जी.के.वासन, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इसके मुख्य अतिथि थे तथा प्रो.सुरेश तेन्दुलकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यकी आयोग ने इसकी अध्यक्षता की थी ।

इस सम्मेलन ने एनबीओ एवं राज्य सरकारों तथा विख्यात संसाधन केन्द्रों के बीच भागीदारी विकसित करते हुए शहरी मामलों पर आंकड़ों के ऑनलाइन प्रेषण के लिए केन्द्रीय/राज्य तथा शहरी स्थानीय विकास के साथ-साथ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्तर पर अनेक कारोबार सहयोगियों की जरूरतों को पूरा करने में शहरी गरीबी, स्लम, आवास एवं निर्माण सांख्यिकी के विषय पर प्रस्तावित राष्ट्रीय डाटाबेस को तैयार करने में मार्ग-प्रशस्त किया ।

अब तक राज्य सरकार के डीईएस/एलएसजीडी/राज्य के पीएसओ/आवासीय सांख्यिकी के एकत्रीकरण में जुड़ी अन्य

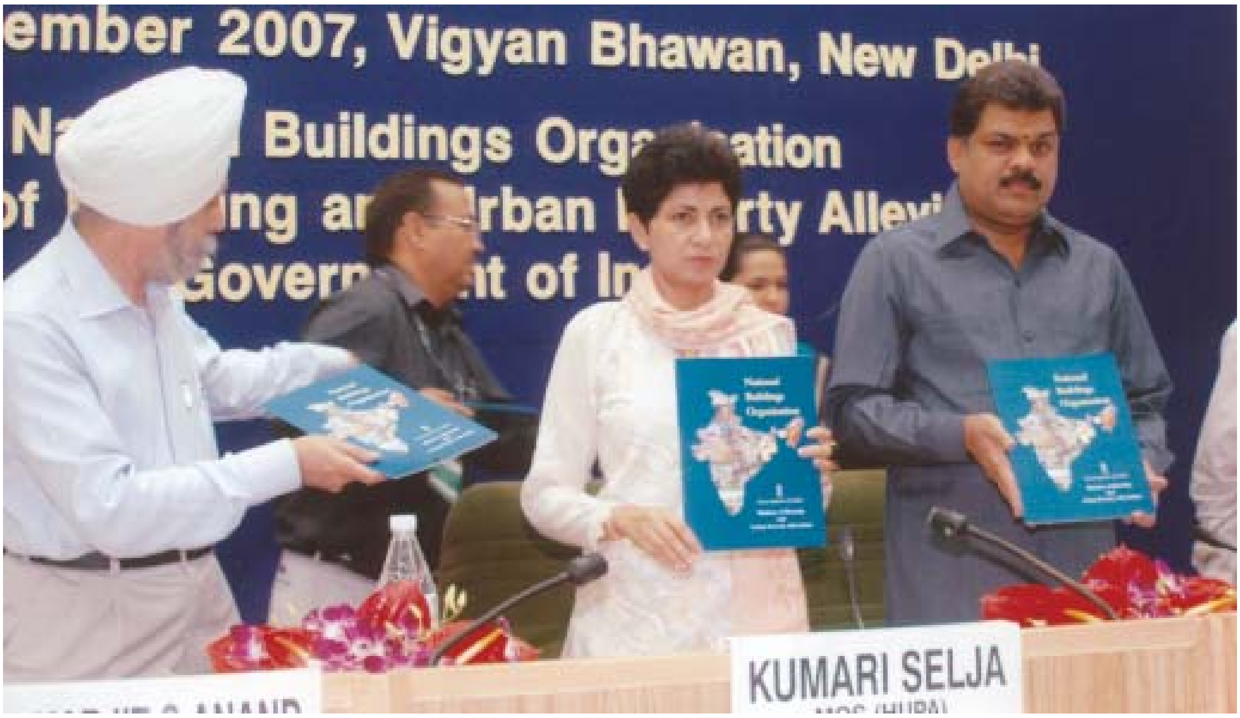

कुमारी सैलजा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी गरीबी उपशमन, एनबीओ द्वारा शहरी गरीबी, स्लम, आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी पर डाटा बेस एवं एमआईएस पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान प्रकाशित पुस्तिका का लोकार्पण करते हुए

राज्य निर्माण एजेन्सियों के 1300 से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षत करने के लिए आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी के एकत्रीकरण पर दो क्षेत्र स्तरीय तथा चार राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है ।

(ड.) संसाधन केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क :

एनबीओ को मार्च, 2007 में शुरू किए गए "शहरी गरीबी उपशमन के लिए क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत अनुसंधान, क्षमता निर्माण एवं प्रबंधन परिवर्तन कार्यक्रमों पर कार्रवाई के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र नेटवर्क के अभिन्न अंग के रूप में चुना गया है । एनबीओ को निम्नलिखित विशेषज्ञता क्षेत्रों का कार्य सौंपा गया है :

प्रचालन क्षेत्र : स्लम, गरीबी, आवास एवं निर्माण पर डाटाबेस तथा जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कार्यों के लिए ।

परियोजना मूल्यांकन लक्ष्य क्षेत्र : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में डाटा केन्द्र एवं एमआईएस प्रकोष्ठ, शहरी गरीबी एवं स्लम विषय पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र, जेएनएनयूआरएम के लिए परियोजना प्रबंधन एवं सहायक यूनिट, जेएनएनयूआरम के लिए एमआईएस/ जीआईएस/ परियोजना ट्रैकिंग सिस्टम में क्षमता निर्माण कार्यक्रम ।

14.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा एनबीओ की भूमिका

जेएनएनयूआरएम में चुने गए 63 महानगरों, मैट्रो नगरों, राजधानियों तथा एतिहासिक एवं विरासत महत्व के शहरों को आवृत्त करते हुए (i) शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं शासन पर उप-मिशन तथा (ii) शहरी गरीब को बुनियादी सेवाओं पर उप-मिशन, नामक दो वृह्त भाग हैं । देश के अन्य शहरी एवं नगर, छोटे एवं मझोले नगरों के लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत आवृत्त होते हैं । आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी

के लिए नोडल एजेन्सी है, जो शहरी गरीब, विशेषकर स्लमवासियों को आवास एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाता है ।

एनबीओ को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत, परियोजनाओं के मूल्यांकन, स्वीकृति अनुवीक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की समीक्षा में समन्वय कार्य के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में चुना गया है ।

जेएनएनयूआरएम के कुशल क्रियान्वयन के लिए अब तक इस वित्तीय वर्ष के 39 कार्यक्रमों सहित 60 से अधिक क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं/समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा चुका है । एनबीओ ने इन सभी कार्यक्रमों में समन्वय किया ।

एनबीओ ने निम्नलिखित गतिविधियों को सम्बद्ध ढंग से करने का प्रस्ताव किया है : -

(क) एनबीओ की सामाजिक आर्थिक अनुसंधान यूनिट द्वारा 5 वार्षिक प्रकाशनों की प्रस्तुति (i) आवासीय सांख्यिकी का प्रकाशन, (ii) शहरीकरण सांख्यिकी का प्रकाशन, (iii) शहरी गरीबी सांख्यिकी का प्रकाशन, (iv) शहरी स्लम सांख्यिकी का प्रकाशन, (v) शहरी गरीबी एवं स्लम के अनुसंधान/विश्लेषणात्मक सामग्री का प्रकाशन।

(ख) शहरी गरीबी, स्लम एवं आवास पर डाटा केन्द्र तथा राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र को चलाना और ई-संसाधन सहित ज्ञान संसाधनों को उपलब्ध कराना एवं अनुसंधान, प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों सहित ज्ञान नेटवर्क का विकास करना (संसाधन केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क)

(ग) समुचित हार्डवेयर सहित भवन, निर्माण, आवास, शहरी गरीबी एवं स्लम पर अत्याधुनिक कम्प्यूटरीकृत एमआईएस की स्थापना और एमआईएस प्रचालन के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी । यह यूनिट राज्य सरकारों के विभागों/आयोजनों एवं सांख्यिकी ब्यूरो, नगरपालिकाओं एवं विकास प्राधिकरण आदि के साथ मिलकर चलाया जाएगा ।

(घ) एनबीओ निम्नलिखित विषयों पर प्रकाशित सांख्यिकी पर आधारित वार्षिक सांख्यिकी अध्ययनों एवं विश्लेषित सामग्री का प्रकाशन भी करेगा, डेमोग्राफी, शहरीकरण, आवास, बुनियादी सेवाएं, स्लम, गरीबी, अनौपचारिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, नगरपालिकाएं, सकल घरेलु उत्पाद में शहरों का योगदान आदि ।

(ङ.) आवासीय आंकड़ों के एकत्रीकरण में जुड़े राज्य/स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों के पीएसयू/अन्य राज्य निर्माण एजेन्सियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलवाने के लिए प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव किया जाता है, ताकि डाटा प्रणाली को एक सांख्यिकी रूप दिया जा सके ।

14.2 राष्ट्रीय भवन संगठन में सिटिजन चार्टर के क्रियान्वयन के लिए की गई गतिविधियों का विवरण

(i) सिटिजन चार्टर को एनबीओ की वेबसाइट (www.nbo.nic.in) पर पहले ही अद्यतन बनाया जा चुका है ।

(ii) जन शिकायतों के लिए उप निदेशक स्तर का एक अधिकारी जन शिकायत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(iii) एनबीओ के सभी भावी प्रकाशनों में संगठन के सिटीजन चार्टर को छापने का भी प्रस्ताव किया गया है ।

14.3 वित्तीय प्रगति (29.02.2008 को)

"यूएसएचए" प्लान योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-2008 (प्लान) के लिए कुल आबंटित 7.60 करोड़ रुपये में से कुल 5,90,63,755/-(रुपये पाँच करोड़ नब्बे लाख तिरसठ हजार सात सौ पचपन केवल) का उपयोग किया जा चुका है ।

गैर-प्लान शीर्ष के अतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए कुल आबंटित 1,25,00,000/-रुपये (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख केवल) में से अब तक 1,03,09,995/-रुपये (रुपये एक करोड़ तीन लाख नौ हजार नौ सौ पिच्चानवे केवल) खर्च किया जा चुका है ।

तालिका I

जनसंख्या की वृद्धि (1901-2001)

(मिलियन में)

वर्ष	कुल	ग्रामीण	प्रतिशत शेयर	शहरी	प्रतिशत शहरी
1901	238.4	212.6	89.2	25.8	10.8
1911	252.1	226.2	89.7	25.9	10.3
1921	251.3	223.2	88.8	28.1	11.2
1931	278.9	245.5	88.0	33.4	12.0
1941	318.6	274.5	86.2	44.1	13.9
1951	361.1	298.7	82.7	62.4	17.3
1961	439.2	360.3	82.0	78.9	18.0
1971	548.2	439.1	80.1	109.1	19.9
1981@	683.3	523.8	76.7	159.5	23.3
1991*	846.3	628.7	74.3	217.6	25.7
2001	1028.6	742.5	72.2	286.1	27.8

स्त्रोत - भारत का रजिस्ट्रार कार्यालय

@ असम की प्रक्षेपित जनसंख्या सहित जहाँ 1981 से जनगणना नहीं हुई है ।

* जम्मू एवं कश्मीर की प्रक्षेपित जनसंख्या सहित जहाँ 1991 से जनगणना नहीं हुई है ।

कुल जनसंख्या की वृद्धि में शहरी जनसंख्या का अंश

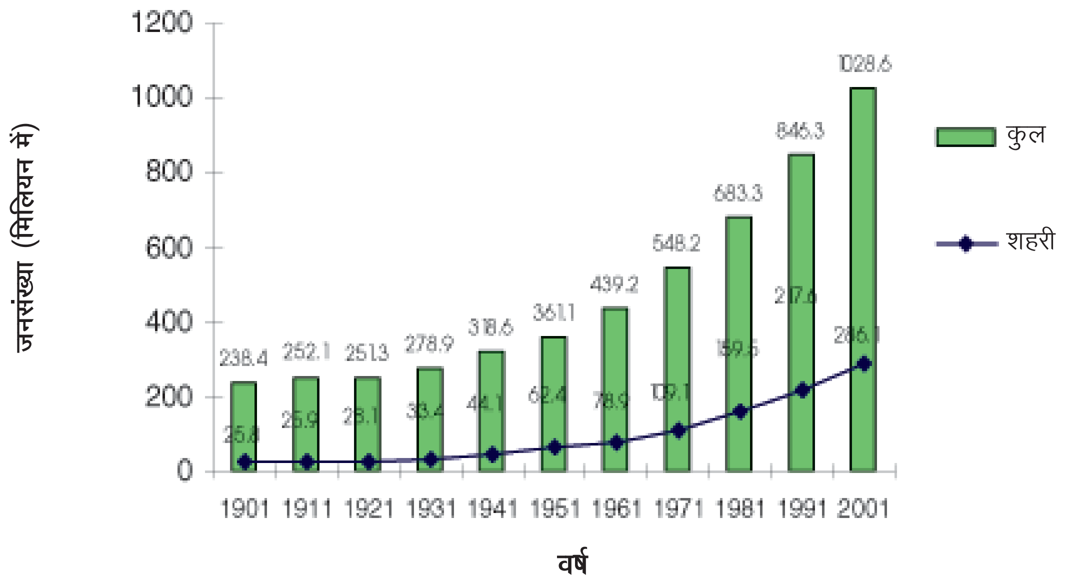

तालिका 2

1901 - 2001 के दौरान आकार वर्ग/श्रेणी द्वारा शहरी समूहों एवं नगरों की वृद्धि

(संख्या में)

वर्ष	नगरों/शहरों की वर्ग/श्रेणी						
	सभी वर्गों	वर्ग -I	वर्ग - II	वर्ग - III	वर्ग - IV	वर्ग - V	वर्ग - VI
1901	1917	25	44	144	427	771	503
1911	1909	26	38	158	388	750	546
1921	2047	29	49	172	395	773	626
1931	2219	31	59	218	479	849	580
1941	2424	49	88	273	554	979	478
1951	3060	76	111	374	675	1195	629
1961	2700	107	139	518	820	848	268
1971	3126	151	219	652	988	820	296
1981*	3949	226	325	883	1247	920	348
1991**	4615	322	421	1161	1451	973	287
2001	5161	441	496	1388	1561	1041	234

स्त्रोत - भारत का रजिस्ट्रार कार्यालय

जनसंख्या द्वारा आकार वर्ग

I - 100000 एवं अधिक　　II - 50000 - 99999　　III - 20000 - 49999

IV - 10000-19999　　V - 5000 - 9999　　VI - 5000 से कम

* असम के आंकड़ों को छोड़कर जहाँ 1981 की जनगणना नहीं हुई थी ।

** जम्मू एवं कश्मीर के आंकड़ों को छोड़कर जहाँ 1991 की जनगणना नहीं हुई थी ।

1901-2001 के दौरान शहरी समूहों की वृद्धि

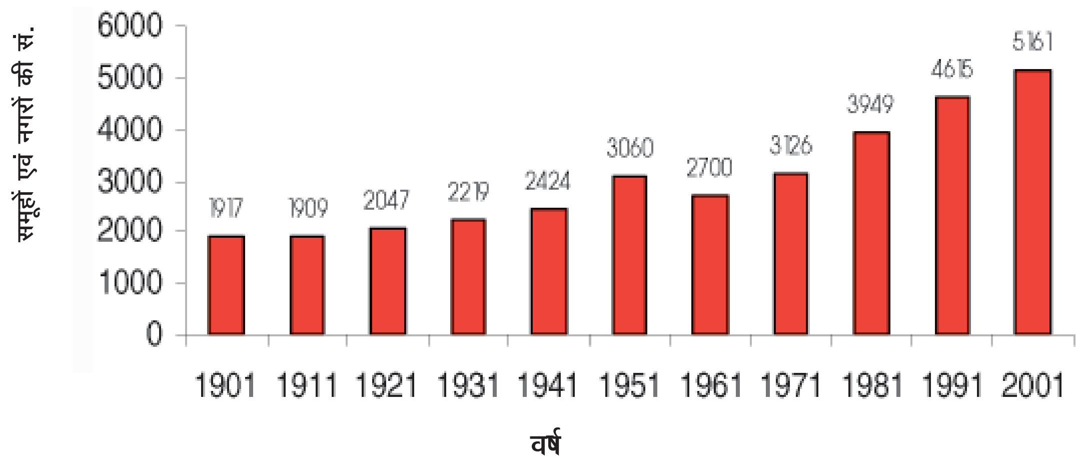

तालिका 3

गृहविहीन परिवारों की संख्या एवं गृहविहीन जनसंख्या

(लाख में)

वर्ष	गृहविहीन परिवार			गृहविहीन जनसंख्या		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1961	...	...	...	12.65	9.70	1.95
1971	5.65	3.88	1.77	19.86	15.20	4.66
1981	6.16	4.13	2.03	23.43	17.24	6.19
1991	5.22	3.05	2.17	20.07	12.82	7.25
2001	4.48	2.60	1.88	19.44	11.65	7.89

स्त्रोत - भारत का रजिस्ट्रार कार्यालय

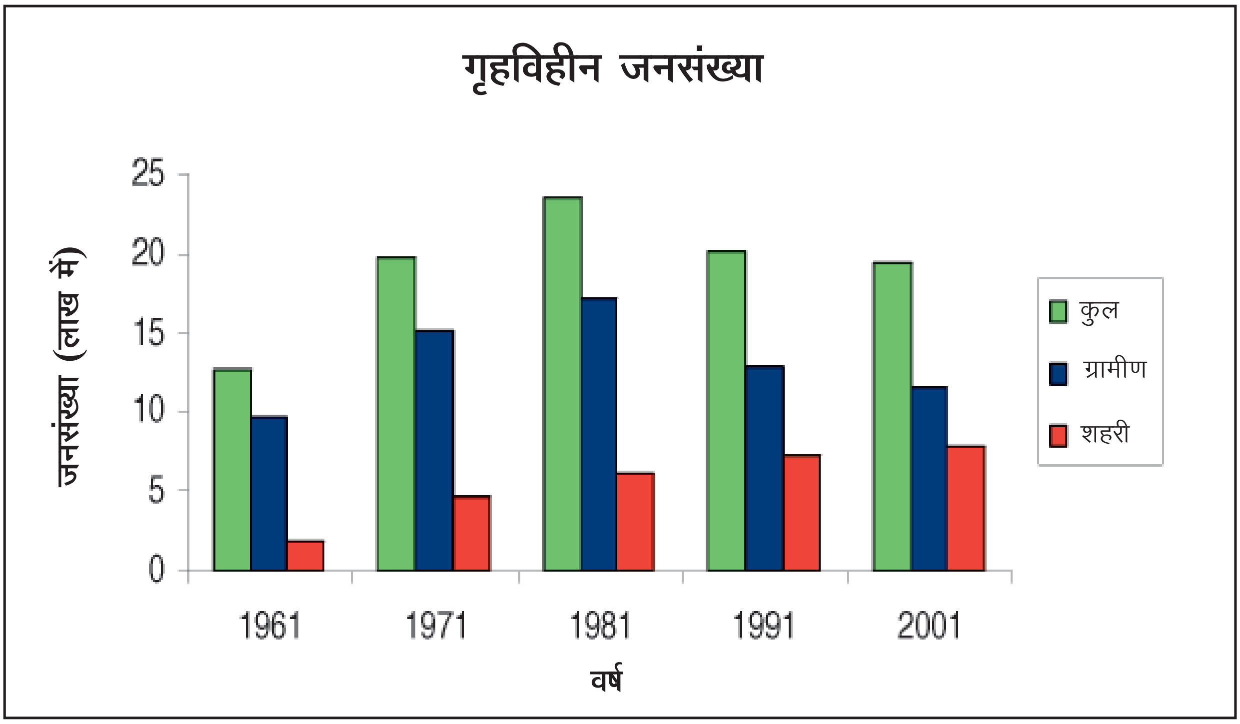

तालिका 4

आवासीय स्टॉक, शहरी भारत में गृहस्थ एवं आवासीय कमी 1991-2007

(मिलियन में)

	1991	1997	1998	1999	2000	2001	2007
पक्का	29.8	40.07	42.13	44.28	46.55	41.17	47.49
अर्ध पक्का	6.2	6.64	6.72	6.80	6.83	8.08	9.16
कच्चा	3.2	3.35	3.37	3.40	3.42	2.74	2.18
गृहस्थ	40.7	50.08	51.85	53.67	55.56	55.8	66.30
आवासीय कमी	8.23	7.57	7.36	7.18	6.93	10.56	24.71

स्त्रोत - नेशनल बिल्डिंग्स ऑर्गनाईजेशन

तालिका - 5

कुल जनसंख्या 2001 में जनसंख्या की प्रतिशतता शेयर एवं लिंग तथा राज्यों/संघशसित प्रदेशों की कुल जनसंख्या

भारत/राज्य/संघशासित प्रदेश	कुल जनसंख्या			जनसंख्या का कुल
	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ	प्रतिशतता शेयर
भारत	1028610328	532156772	496453556	100.00
आन्ध्र प्रदेश	76210007	38527413	37682594	7.41
अरुणाचल प्रदेश	1097968	579941	518027	0.11
असम	26655528	13777037	12878491	2.59
बिहार	82998509	43243795	39754714	8.07
छत्तीसगढ़	20833803	10474218	10359585	2.03
गोवा	1347668	687248	660420	0.13
गुजरात	50671017	26385577	24285440	4.93
हरियाणा	21144564	11363953	9780611	2.06
हिमाचल प्रदेश	6077900	3087940	2989960	0.59
जम्मू एवं कश्मीर	10143700	5360926	4782774	0.99
झारखंड	26945829	13885037	13060792	2.62
कर्नाटक	52850562	26898918	25951644	5.14
केरल	31841374	15468614	16372760	3.10
मध्य प्रदेश	60348023	31443652	28904371	5.87
महाराष्ट्र	96878627	50400596	46478031	9.42
मणिपुर	2166788	1095634	1071154	0.21
मेघालय	2318822	1176087	1142735	0.23
मिजोरम	888573	459109	429464	0.09
नागालैंड	1990036	1047141	942895	0.19
उड़ीसा	36804660	18660570	18144090	3.58
पंजाब	24358999	12985045	11373954	2.37
राजस्थान	56507188	29420011	27087177	5.49
सिक्किम	540851	288484	252367	0.05
तमिलनाडु	62405679	31400909	31004770	6.07
त्रिपुरा	3199203	1642225	2556978	0.31
उत्तर प्रदेश	166197921	87565369	78632552	16.16
उत्तरांचल	8489349	4325924	4163425	0.83
पश्चिम बंगाल	80176197	41465985	38710212	7.79
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	356152	192972	163180	0.03
चंडीगढ़	900635	506938	393697	0.09
दादर एवं नगर हवेली	22490	121666	98824	0.02
दमन एवं द्वीव	158204	92512	65692	0.02
दिल्ली	13850507	7607234	6243273	1.35
लक्षद्वीप	60650	31131	295189	0.01
पांडिचेरी	974345	486961	487384	0.09

स्त्रोत - भारत का रजिस्ट्रार कार्यालय

कुल जनसंख्या 2001 में जनसंख्या का प्रतिशतता शेयर

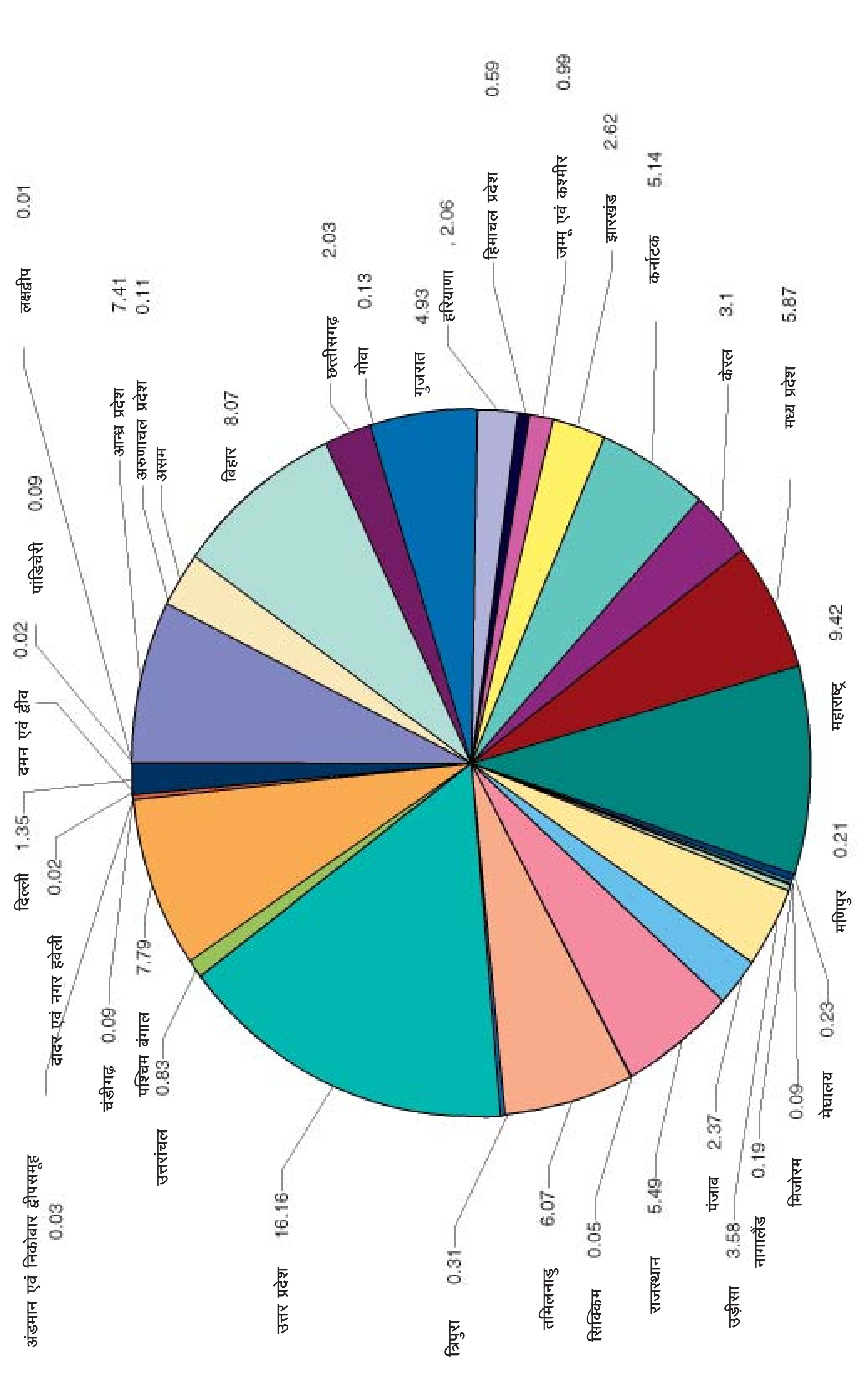

स्त्रोत - भारत का रजिस्ट्रार कार्यालय

नाईजेशन

तालिका 6

राज्यों द्वारा भारत में आवासीय कमी - 2001

(मिलियन में)

	2001	2007
राज्य	**शहरी**	**शहरी**
आन्ध्र प्रदेश	0.95	1.95
अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02
असम	0.14	0.31
बिहार	0.35	0.59
छत्तीसगढ़	0.08	0.36
गोवा	0.02	0.07
गुजरात	0.99	1.66
हरियाणा	0.21	0.52
हिमाचल प्रदेश	0.01	0.06
जम्मू एवं कश्मीर	0.07	0.18
झारखंड	0.11	0.47
कर्नाटक	0.66	1.63
केरल	0.31	0.76
मध्य प्रदेश	0.39	1.29
महाराष्ट्र	1.37	3.72
मणिपुर	0.03	0.05
मेघालय	0.02	0.04
मिजोरम	0.01	0.04
नागालैंड	0.00	0.03
उड़ीसा	0.37	0.50
पंजाब	0.21	0.69
राजस्थान	0.30	1.00
सिक्कम	0.00	0.01
तमिलनाडु	1.54	2.82
त्रिपुरा	0.03	0.06
उत्तर प्रदेश	1.04	2.38
उत्तरांचल	0.08	0.18
पश्चिम बंगाल	0.64	2.04
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.01
चंडीगढ़	0.02	0.08
दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.01
दमन एवं द्वीव	0.00	0.01
दिल्ली	0.53	1.13
लक्षद्वीप	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.03	0.06
सम्पूर्ण भारत	10.56	24.71

स्त्रोत - नेशनल बिल्डिंग्स ऑर्गनाईजेशन

तालिका -7

राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखाएं (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रु.)

वर्ष	ग्रामीण नोमिनल	शहरी नोमिनल	उपभोग बास्केट में मूल्यवृद्धि (ग्रामीण)	उपभोग बास्केट में मूल्यवृद्धि (शहरी)
1	2	3	4	5
1973-74	49.63	56.76	100.0	100.0
1977-78	56.84	70.33	114.5	123.9
1983	89.50	115.65	180.3	203.8
1987-88	115.20	162.16	232.1	285.7
1993-94	205.84	281.35	414.7	495.7
2004-05	356.3	538.6	717.9	717.9

स्रोतः - भारतीय योजना आयोग

अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा यूआरपी - उपभोग पर आधारित है

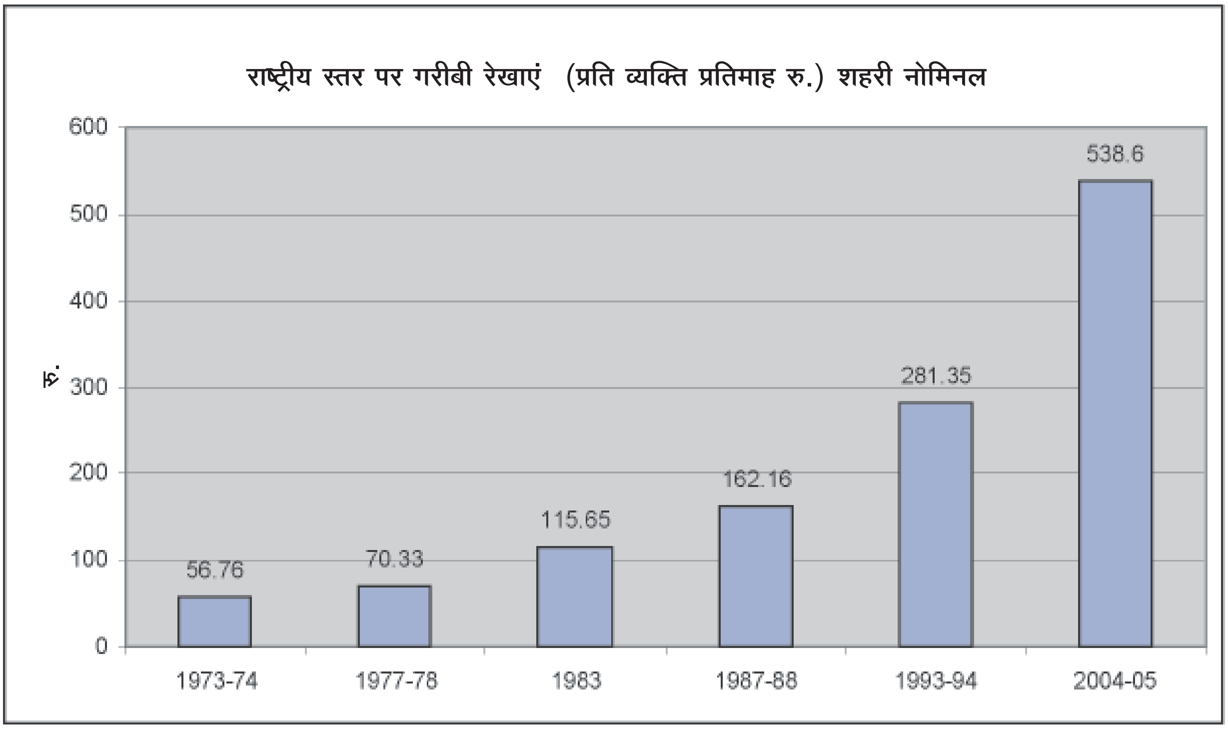

तालिका - 8

गरीबी अनुपात (हेड काउंट अनुपात)

वर्ष	गरीबी अनुपात (%)			गरीबों की सं. (मिलियन)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1973-74	56.4	49.0	54.9	261.3	60.0	321.3
1977-78	53.1	45.2	51.3	264.3	64.6	328.9
1983	45.7	40.8	44.5	252.0	70.9	322.9
1987-88	39.1	38.2	38.9	231.9	75.2	307.1
1993-94	37.3	32.4	36.0	244.0	76.3	320.3
2004-05	21.8	21.7	21.8	170.3	68.2	238.5

स्रोतः - भारतीय योजना आयोग

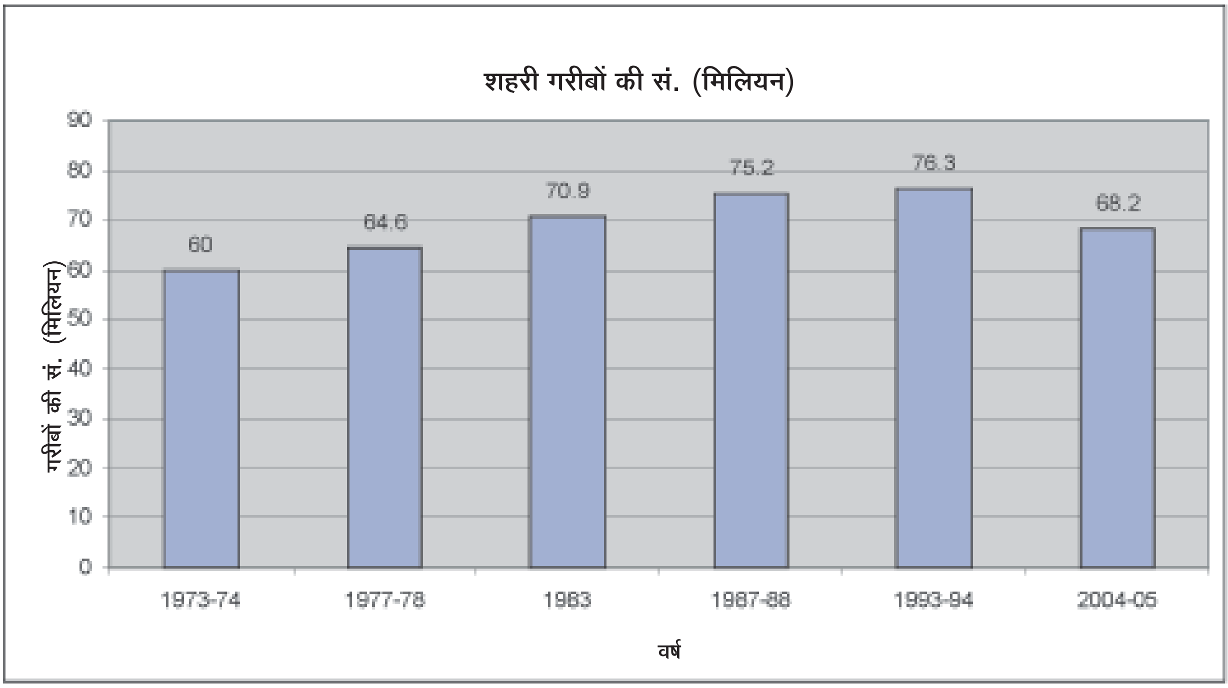

15 हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल)

15.1 पृष्ठ भूमि

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड 1955 से भारत सरकार के उपक्रम के रूप में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय तथा फैक्टरी जंगपुरा, नई दिल्ली - 110 014 में है।

15.2 प्रबंधन

एचपीएल का प्रबंधन निम्नलिखित निदेशक मण्डल करता हैः-

- श्री जयवीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एचपीएल के पूर्णकालिक सरकारी निदेशक
- श्री एस के सिंह, आईएएस (संयुक्त सचिव, आवास), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, एचपीएल के अंशकालिक सरकारी निदेशक
- डा.आर के वत्स आईएएस (संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, एचपीएल के अंशकालिक सरकारी निदेशक

15.3 मानव संसाधन

31.12.2007 को कंपनी के पे-रोल 338 नियमित, 25 कांट्रैक्ट तथा 32 कमीशन कर्मचारी है। पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने 01 अगस्त, 2006 से कंपनी का कार्यभार संभाला।

15.4 कारोबार क्षेत्र

1. पूर्ण निर्मित अवयवों जैसे पीसी बिजली खम्भों, पीसी रेलवे स्लीपरों, आरसीसी आवासीय अवयवों तथा सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक्स के निर्माण की आपूर्ति
2. परियोजना प्रबंधन सेवाएं

कंपनी की फैक्टरी में उत्पादन प्रक्रिया बन्द होने से एचपीएल परियोजना प्रबंधन सेवाओं पर ध्यान दे रहा है।

15.5 परियोजना

एचपीएल ने निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में अंशतः पूर्व निर्मित/ पूर्णतः पूर्व निर्मित कार्य प्रौद्योगिकी से परियोजना प्रबन्धन सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश किया है : -

- अनेक निर्माण परियोजनाएं (रिहायशी, वाणिज्यिक तथा अनेक सरकरी विभागों के सब-वे
- व्यापक मकानों का निर्माण
- सांस्थानिक भवन
- इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं आंतरिक सज्जा
- वास्तविक सम्पदा
- पुल

15.6 31.12.2007 को पूंजीगत ढांचा

विवरण	(करोड़ रुपये में)
प्राधिकृत पूंजी	10.00
प्रदत्त पूंजी	6.97
बकाया केन्द्र सरकार ऋण	48.62
बकाया केन्द्र सरकार ऋण पर ब्याज	71.26

15.7 31.12.07 तक कार्यनिष्पादन

कारोबार	(रुपये लाख में)
फैक्टरी कारोबार	0.31
परियोजना कारोबार	2243.00
	2243.31

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन ने कार्यों को बुक करने की स्थिति को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया और पर्याप्त आर्डर लेने के बाद कंपनी अनेक परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने में व्यस्त है।

15.8 आर्डर बुक स्थिति

31.12.2007 तक निष्पदित किए जाने वाले आर्डरों का शुद्ध मूल्य :-

	(करोड़ रुपये में)
फैक्टरी	शून्य
परियोजना कार्य	1065.00

15.9 कॉर्पोरेट संचालन

कंपनी का कॉर्पोरेट संचालन इसके उपभोक्ताओं, कर्मचारियों एवं सरकार के प्रति पारदर्शिता तथा वचनबद्धता को ध्यान में रखकर और प्रचालनों में गुणवत्ता स्पष्टता एवं श्रेष्ठता देने के लिए किया जाता है । देश में गरीबों को वहनीय आवास दिलवाने के लिए कंपनी अपनी स्थापना से निरन्तर ध्यान दे रही है । कॉर्पोरेट संचालन में मानकों को बढ़ाने के प्रति एचपीएल अपने प्रयासों को निरन्तर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है और देश में तेजी से बदलते आर्थिक माहौल के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं/प्रणालियों को निरन्तर समीक्षा भी करती रहेगी ।

15.10 औद्योगिक सम्बन्ध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने औद्योगिक सम्बन्धों को मधुर बनाए रखा है ।

15.11 कल्याण

मजदूरों, श्रेणी-IV के कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को वर्दी दी जाती है । इमदादी दरों पर कैंटीन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है ।

15.12 सतर्कता

फैक्टरी क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े हैं । निवारक सतर्कता, डिटेक्टिव सर्वाइलेंस एवं दण्डात्मक कार्रवाई के लिए प्रभावी कदम उठाए गए । प्रमुख सतर्कता अधिकारी द्वारा अचानक जांच की व्कार्रवाई की जाती रही और उप प्रबन्धक कार्पोरेट द्वारा एचपीएल के सतर्कता कार्यों की जांच की जाती रही है ।

15.13 अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति कल्याण

कंपनी में जन सम्पर्क अधिकारी के नियंत्रण में अनु.जा./अनु.जन.जाति प्रकोष्ठ का गठन किया गया और श्री एम के गुप्ता, सहायक प्रबंधन (पीएंडए) इसके प्रमुख हैं । यह प्रकोष्ठ सरकारी नियमों के अनुसार कंपनी में पदों के आरक्षण की कार्रवाई पर ध्यान देता रहा है । सरकारी निदेशनों के अनुसार रोस्टर बनाए रखा गया । पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धतानुसार पदोन्नति में बैंकलॉग को भरा गया है । वर्ष के दौरान अनु.जाति/अनु.जन जाति से संबंधित निम्नलिखित कल्याणकारी गतिविधियों की गई।

जनजाति सब-प्लान और अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के लिए विशेष घटक प्लान से संबंधित गतिविधियाँ राज्य सरकार का मामला है । तथापि अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के कर्मचारियों को कंपनी में विशेष ब्याज-मुक्त अग्रिम की योजना जारी रखी गई है । अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति वर्गों को निम्नलिखित वितरण के अनुसार 01.04.2007 से 31.12.2007 के दौरान कुल 9.22 लाख रुपये के अग्रिम दिए गए : -

अग्रिम का प्रकार	एससी/एसटी कर्मचारियों की सं.	दी गई राशि रु./लाख में
वार्षिक वेतन अग्रिम	77	5.22
एससी/एसटी अग्रिम	45	3.12
त्यौहार अग्रिम	51	0.77
साइकिल अग्रिम	7	0.11
		9.22

15.14 पर्यावरण से प्रदूषण उन्मूलन

एचपीएल ने कंपनी में पर्यावरण से प्रदूषण के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए : -

- कंपनी ने कार्यालय में एवं इसके चारों ओर पार्क का रख-रखाव किया है ।
- कंपनी परिसर भी पेड़-पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में काफी हद तक मदद मिलती है ।

कु0 सैलजा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए कम लागत आवास परियोजना, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का उद्घाटन ।

- फैक्टरी तथा कार्यालय परिसर को दैनिक आधार पर सफाई कर्मचारी रखते हुए सदैव साफ-सुथरा रखा जाता है ।

15.15 राजभाषा प्रयोग

एचपीएल में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान 25.05.2007, 29.09.2007 तथा 31.12.2007 को तीन बैठकें आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागाध्यक्षों ने भाग लिया । जून एवं दिसम्बर, 2007 में हिन्दी सप्ताह मनाए गए और सितम्बर, 2007 में हिन्दी माह मनाया गया ।

15.16 राष्ट्रीय एकीकरण

कंपनी प्रतिवर्ष अनेक विरोधी दिवस, सद्भावना दिवस तथा कौमी एकता दिवस मना रही है । सभी कर्मचारियों ने संबंधित दिवसों में शपथ ली ।

15.17 आईएसओ प्रमाणिकरण

कंपनी अब आईएसओ - 9001 प्रमाणित कंपनी है और दस्तावेज़ों/रिकार्डों को आईएसओं की अपेक्षाओं के अनुरूप रख रही है । वर्ष 2007 के लिए प्रमाणिकरण के नवीनीकरण हेतु कंपनी को ऑडिट किया गया और निम्नलिखित के लिए 14.12.2008 तक इस प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाई गई : -

- सभी पूर्व निर्मित कंक्रीट अवयवों एवं जोड़ सामग्रियों की डिजाइनिंग और उत्पादन ;
- सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइनिंग और निर्माण ;
- विभिन्न सिविल इंजीनियरिंग के कच्चे माल और उत्पादों की जाँच ;
- मिश्रित कंक्रीट का डिजाइन ;

जागरुकता कार्यक्रम के साथ-साथ सरवाइलेंस लेखापरीक्षा का कार्य ऑडिटर्स ऑफ आईएसओ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एनक्यूएक्यूएसआर सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एम-64,

ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली द्वारा किया गया । एचपीएल को आईएसओ - 9001 : 2000 की अपेक्षाओं का अनुपालनकर्त्ता पाया गया है ।

15.18 एचपीएल की उत्तर-पूर्व परियोजनाएं, दिल्ली पुलिस का विवरण एवं अन्य गतिविधियाँ

दिल्ली पुलिस ने कंपनी को राजेन्द्र नगर, कमला मार्केट, टोडापुर, मंदिर मार्ग, रोहिणी सेक्टर - 3 एवं सेक्टर - 22 और महिपाल के पुलिस स्टेशनों के निर्माण एवं आधुनिकीकरण तथा रिहायशी सुविधाओं आदि के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का कार्य सौंपा है तथा वेल्लूर (तमिलनाडु), रांची, भोपाल, मुम्बई और गोवा में निर्माण के लिए ईपीएफओ कार्य सौंपे हैं।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एचपीएल को अरुणाचल प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लिए सस्ते मकानों के निर्माण का कार्य सौंपा है । सिविल निर्माण के इस कार्य में ईटानगर, पसीघाट, त्वांग, नीरूजी, रोइंग तथा डेपोरज़ी स्थित परियोजना स्थल पर जल-निकासी एवं सड़कों के विकास कार्य सहित इलैक्ट्रिकल, सफाई और नलसाजी का काम शामिल है । इन परियोजनाओं का मूल्य लगभग 1600 लाख रुपये है । ईटानगर परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा अन्य जगहों पर कार्य पूरे जोरों पर है ।

एचपीएल को छत्तीसगढ़, बिहार, मेघालय और मिजोरम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं पहले ही सौंपी जा चुकी है और इस कार्य का मूल्य लगभग 800 करोड़ रुपये है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केरल राज्य में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं सौंपी गईं हैं। केरल राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये की सुनामी परियोजना भी सौंपी गई है ।

कंपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास अपना कारोबार बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है ।

एचपीएल द्वारा दिल्ली पुलिस के लिए टाइप III और टाइप IV के रिहायशी आवास ।

16. भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी)

भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी) की स्थापना 1990-91 में प्रयोगशाला विकास तथा नवीन भवन सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों के वास्तविक प्रयोग के अंतर को दूर करने के लिए की गई थी। बीएमटीपीसी ने अपने प्रयास के द्वारा परिषद के मैनडेट से भरपूर बहु-आयामी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए गतिविधियों की श्रृंखला को बल देकर नवीन एवं पर्यावरण-हितैषी भवन निर्माण सामग्रियों एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रौन्नत किया है।

परिषद ने वर्षों से नवीन, लागत प्रभावी पर्यावरण हितैषी एवं ऊर्जा कुशल भवन सामग्रियों तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों के विकास एवं इनको प्रौन्नत करने पर प्रकाश डाला है। बाद में परिषद ने आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सहयोग से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) योजना (अब जेएनएनयूआरएम की एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शामिल किया गया है), के अन्तर्गत आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के रूप में नवीन भवन सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों के फील्ड स्तर एप्लीकेशन पर भी ध्यान दिया है। परिषद ने अपने प्रौद्योगिकी विकास, प्रौन्नति तथा प्रचार-प्रसार के प्रयासों के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 'बाँस मैट उत्पादन केन्द्रों' की स्थापना सहित आवास और भवन निर्माण में तथा प्रदर्शन ढाँचों के निर्माण में बाँस के प्रयोग हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। परिषद प्राकृतिक जोखिम के प्रति सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों की उनकी बिल्डिंग बाए-लॉज में संशोधन करने में सहायता कर रही है।

परिषद 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' (जेएनएनयूआरएम) के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसे जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत चुनिंदा मिशन शहरों से बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अन्तर्गत प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के मूल्यांकन हेतु एक मूल्यांकन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। परिषद भी इन परियोजनाओं का मूल्यांकन करती रहेगी।

परिषद की गतिविधियों को उस तरीके से ढांचागत किया जाता है कि यह केवल परिषद के विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों पर ही प्रकाश न डाले बल्कि समाज को लाभों के साथ-साथ उत्तम परिणाम भी प्रदान करे। आवास के क्षेत्र में बदलते हुए परिवेश को ध्यान में रखते हुए परिषद ने हाल ही के वर्षों में लागत प्रभावी भवन निर्माण सामग्रियों एवं निर्माण तकनीकों के प्रदर्शन एवं गहन मूल्यांकन, आदान-प्रदान की मार्फत प्रौद्योगिकियों की प्रौन्नति एवं मार्केटिंग की ओर अपनी पहुंच को पुनः उन्मुख किया है। इस नई कार्यनीति के अनुरूप परिषद की भूमिका निम्नलिखित उद्देश्यों में प्रतिबिंबित होती है :-

1. आवास एवं भवन सेक्टर में लागत प्रभावी नवीन भवन सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियों के विकास, उत्पादन, मानकीकरण एवं व्यापक पैमाने पर अनुप्रयोग को बढ़ावा देना
2. तकनीकी समर्थन के माध्यम से नवीन अपशिष्ट आधारित भवन सामग्री एवं घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देना, राजकोषीय रियायतों को सुचारु बनाना और विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।
3. प्राकृतिक आपदा नवीकरण, दुर्बलता एवं खतरे में कमी के लिए कार्य पद्धति और प्रौद्योगिकियों और भवनों के रेट्रोफिटिंग/पुनर्निमाण और मानव बसावटों के लिए आपदा रोधी योजना को विकसित एवं बढ़ावा देना।
4. भवन सामग्रियों और निर्माण के क्षेत्र में चयन, मूल्यांकन, प्रोन्नयन, डिजाइन इंजीनियरिंग कुशलता उन्नयन और प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से प्रयोग स्थल तक ले जाने के लिए विपणन के लिए व्यावसायिकों, निर्माण एजेंसियों और उद्यमियों को सहायता प्रदान करना।

16.1 2007-2008 में की गई मुख्य पहलें एवं गतिविधियाँ (दिसम्बर, 2007 तक)

16.1(क) आपदा निवारण, प्रबंधन एवं तैयारी

1. परिषद ने दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के स्कूल भवनों की मरम्मत की परियोजना का कार्य लिया है ताकि मरम्मत की आवश्यकता तथा तकनीकों के बारे में जनता के साथ-साथ विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के बीच जागरुकता उत्पन्न की जा सके । दिल्ली में एमसीडी स्कूलों के भवनों की भूकंप रोधी मजबूती तथा मरम्मत करने की श्रृंखला वर्ष के दौरान निम्नलिखित 4 से भी अधिक एमसीडी स्कूलों के भवनों की मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक किया गया :

- राणा प्रताप बाग (सिविल लाइन्स जोन)
- रमेश नगर नं. 1, गर्ल्स (वेस्ट जोन)
- अहाता ठाकुर दास, गर्ल्स (करोल बाग जोन)
- राम नगर भवन (सदर पहाड़गंज जोन)

मरम्मत का कार्य डा. ए एस आर्य, राष्ट्रीय सिस्मिक सलाहकार की समस्त मार्गदर्शन के अंतर्गत भारतीय मानक "आईएस 13935:1993 रिपेयर एंड सिस्मिक स्ट्रेंग्थनिंग आफ बिल्डिंग - गाइडलाइन्स" पर आधारित था ।

2. एमसीडी स्कूलों में मरम्मत कार्य के दौरान, एमसीडी के फील्ड इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 18 अगस्त, 2007 को टाउन हाल, एमसीडी, दिल्ली में नगर निगम के सहयोग से "रिट्रोफिटिंग आफ मेसनरी बिल्डिंग-थ्योरी एंड प्रैक्टिस" आयोजित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता एमसीडी के अपर आयुक्त द्वारा की गई तथा सम्बोधन भाषण डा.ए एस आर्य, राष्ट्रीय सिस्मिक सलाहकार द्वारा दिया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में एमसीडी के सभी स्तरों के लगभग 250 इंजीनियर्स ने भाग लिया । वल्नरएबिलिटी एटलस आफ इंडिया तथा भूकंप रोधी को सुधार करने के लिए पत्थर की इमारतों की मरम्मत तथा निर्धारण के थ्योरिटकल तथा प्रैक्टिस पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया ।

3. परिषद द्वारा लाई गई वल्नरएबिलिटी एटलस आफ इंडिया को वर्ष 2006 के लिए दुबई इंटरनेशनल एवार्ड के अंतर्गत यूएन हैबीटाट द्वारा श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के लिए प्राप्त मामलों में से श्रेष्ठ प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी गई थी । परिषद भारत की संशोधित डिजीटाइज्ड एटलस के आधार पर ताल्लुका स्तर तक राज्य/संघशासित वार वल्नरएबिलिटी एटलस तैयार की जा रही है । सर्वे आफ इंडिया से हैजार्ड नक्शों को बनाने के लिए डिजीटाइज्ड बॉडरी डाटा उपलब्ध कराने के लिए एप्रोच की गई है ।

परिषद पीडीएफ प्रपत्र में वल्नरएबिलिटी एटलस आफ इंडिया के सीडी रूपांतर भी तैयार कर रहा है ।

4. प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए टाउन एंड कन्ट्री जोन, जोनिंग विनियम, विकास एवं नियंत्रण विनियम तथा भवन विनियम में मॉडल संशोधनों पर गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय तकनीकी कार्यशाला की श्रृंखला में, वर्ष के दौरान बीएमटीपीसी ने दो और कार्यशालाएं आयोजित की :

क. चंडीगढ़, 7 जून, 2007

ख. श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर, 13 जून, 2007

इंजीनियर्स तथा आर्किटेक्ट के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के अधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया । कुछ राज्य सरकारों ने सुझाये गये विशिष्ट आशोधनों के आधार पर अपने संबंधित बाई-लाज को संशोधित करने की कार्रवाई शुरु की है । परिषद ने अब तक 17 राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों में एक दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया है ।

5. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के समक्ष संशोधित वल्नरएबिलिटी एटलस आफ इंडिया पर प्रस्तुतिकरण किया गया । इसके बाद एनडीएमए द्वारा आयोजित "साइंस एंड टेक्नालॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक लैंडस्लाइड एंड सुनामी" पर दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान भी प्रस्तुत किया गया था । 4 हैजोर्ड नक्शों पर पैनल के दो सैट एनडीएम के अनुरोध पर उनके कार्यालय में प्रदर्शित करने के लिए दिये गये । एनडीएमए के अनुरोध पर, बीएमटीपीसी वल्नरएबिलिटी तथा जोखिम निर्धारण करने के लिए आंकड़े को इकट्ठा करने हेतु प्रपत्र उनके विचारार्थ तैयार किया है ।

6. अंग्रेजी तथा उर्दू भाषाओं में जम्मू एवं कश्मीर में अपनाई जाने वाली मरम्मत तकनीकों पर 1000 से अधिक पुस्तिकाएँ जनसाधारण के बीच ऐसी तकनीकों पर व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए यूरी तथा टैंगघर के गांवों तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में परिचालित की गई है ।

7. परिषद ने वैल्लोर में 8-10 अक्टूबर, 2007 को वैल्लोर इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलॉजी (VIT) के साथ संयुक्त रूप से "रिट्रोफिटिंग आफ बिल्डिंग एंड देयर फाउन्डेशन स्लॉप सिस्टम इन अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरिया" पर एक क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया । एनडीएमए, भारत सरकार के माननीय सदस्य प्रो. एन वी सी मेनन ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया । 35 व्यावसायिकों तथा एम टैक के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया ।

8. रिट्रोफिटिंग आफ बिल्डिंग एंड देयर फाउन्डेशन स्लॉप सिस्टम इन अर्थक्वेक एंड लैंड स्लाइड पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वीआईटी वैल्लोर के साथ मिलकर नई दिल्ली में 28-30 नवम्बर, 2007 को आयोजित किया ।

9. परिषद ने सुनामी कम करने के लिए गाइडलाइन्स को तैयार करने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण को तकनीकी आउटपुट दिये ।

10. आईआईटी रुड़की के साथ अल्प अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की श्रृंखला में भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन एवं निर्माण पर कोडल प्रैक्टिस पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नई दिल्ली में 6-8, 2007 को आयोजित किया गया ।

11. परिषद ने आपदा प्रतिरोधी ढाँचीय के लिए भू-तकनीकि गाइडलाइन्स को तैयार करने के लिए एक परियोजना शुरु की है । आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर तथा वीआईटी वैल्लोर से प्रस्तावों को मंगाया गया था । उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर कार्य चल रहा है । ये गाइडलाइन्स आवास/इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आयोजना तथा डिजाइनिंग में लाभकारी होगी ।

12. परिषद ने सूचना के प्रचार प्रसार के लिए बीएमटीपीसी द्वारा मुख्य-आपदा अवरोधक एवं न्यूनीकरण शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की है ।

16.1(ख) मानव बसाव और भवन डिजाइन

1. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने वाम्बे के अन्तर्गत निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन मकानों के निर्माण का कार्य बीएमटीपीसी को सौंपा है । परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएँ तथा स्थिति निम्न प्रकार है :

नागपुर (महाराष्ट्र)

पूर्ण हुए 70 प्रदर्शन आवासों को भारत सरकार की नोडल एजेन्सी नागपुर सुधार न्यास को सौंपा गया है । नागपुर, महाराष्ट्र में प्रदर्शन आवास परियोजना जिसमें 181 वर्ग फीट के रूप में प्रत्येक यूनिट का निर्मित क्षेत्र तथा 88 वर्ग फीट का भावी विस्तारयोग्य क्षेत्र सहित ग्राउंड+1 ढाँचे वाले 70 रिहायशी एकक हैं । परियोजना में 10 ब्लॉक्स हैं प्रत्येक ब्लाक में 7 रिहायशी एकक है । इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 4 रिहायशी एकक हैं तथा पहली मंजिल में 3 रिहायशी एकक हैं । परियोजना का यूएसपी इस तरह का है कि पहली मंजिल वाले सभी अधिभोक्ता खुले स्थान के रूप में भावी विस्तार योग्य क्षेत्र को भी प्राप्त कर सकेंगे । मॉडल यूनिट की लागत 275 रुपये प्रतिवर्ग फीट है।

यह परियोजना लागत प्रभावी भवन निर्माण प्रौद्योगिकी का फील्ड स्तर पर उपयोग का जीता जागता उदाहरण है :

i) नींव के लिए अन्डर रीम्ड पाइल
ii) चिनाई के लिए फ्लाइऐश/जिप्सम का प्रयोग करते हुए सॉलिड/हॉलो ब्लॉक्स
iii) प्रिकास्ट आरसीसी दरवाजों के फ्रेम
iv) लकड़ी के स्थान पर दरवाजे के कपाट
v) भूकंप अवरोधन के लिए भूमि स्तर पर आरसीसी लिंटल एंड टाइ बीम

देहरादून (उत्तराखंड)

100 मकानों का निर्माण तीन स्थानों में सभी तरह से पूरा हो गया है । आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार ने प्रदर्शन मकानों का दौरा किया तथा लाभार्थियों से बातचीत की । प्रत्येक स्थानों में निर्मित मकानों में 28 यूनिट, 38 यूनिट तथा 34 यूनिट हैं ।

बीएमटीपीसी द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में वाम्बे के अंतर्गत निर्मित प्रदर्शनार्थ मकान

यह परियोजना इस तरह से भी विशेष है कि कोढ़ी जो उसी स्थान पर जीर्ण-शीर्ण कच्चे मकानों में रह रहे थे, के लिए इन प्रदर्शन मकानों का निर्माण किया गया था । प्रत्येक रिहायशी एकक का क्षेत्र 181 वर्गफीट है तथा लागत 250/-रुपये प्रति फीट है । लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियाँ जो इस परियोजना में प्रयुक्त की गई है निम्नानुसार है :

i) छत के लिए प्रिकास्ट आर सी सी फलक एवं कड़ी
ii) दीवारों के लिए ठोस कंक्रीट ब्लॉक्स
iii) दरवाजों के आरसीसी फ्रेम
iv) छज्जा, शेल्फ आदि के प्रिकास्ट तत्व

कुडालु (कर्नाटक)

इसमें ग्राउंड+2 ढाँचीय वाले 70 रिहायशी एकक हैं । सभी 70 रिहायशी एककों का समापन कार्य पूरा हो गया है । प्रत्येक रिहायशी एकक का क्षेत्र 201 वर्ग फीट है तथा लागत प्रतिफीट 298/-रुपये है । इस परियोजना में प्रयुक्त की जा रही लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियाँ निम्नानुसार है :

i) नींव तथा प्लिंथ में आर आर चिनाई
ii) सुपर ढाँचे में फ्लाईएश ब्लॉक्स का प्रयोग करते हुए सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक चिनाई
iii) ग्राउंड तथा पहली मंजिल की स्लैब के लिए प्रिकास्ट आर सी फलक एवं कड़ी

बीएमटीपीसी द्वारा देहरादून (उत्तराखंड) में वाम्बे के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे प्रदर्शनार्थ मकान

बीएमटीपीसी द्वारा कुडालु कर्नाटक में वाम्बे के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे प्रदर्शनार्थ मकान

बीएमटीपीसी द्वारा बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में वाम्बे के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे प्रदर्शनार्थ मकान

iv) आरसीसी डोर फ्रेम

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर में स्लम में रहने वालों के लिए 100 मकानों का निर्माण किया जा रहा है। कुल 100 मकानों के 8 ब्लाकों में प्रथम तल का चिनाई कार्य पूरा होने वाला है। इस डिजाइन का चयन करके, पहली मंजिल पर रहने वालों को खुला विस्तार योग्य क्षेत्र मिलेगा। प्रत्येक रिहायशी एकक का क्षेत्र 181 वर्गफीट है तथा लागत प्रति वर्गफीट 222/-रुपये है। इस परियोजना में प्रयोग की गई प्रौद्यागिकियाँ तथा बिल्डिंग संघटक निम्न प्रकार हैं :

i) दीवारों के लिए फ्लाईएश
ii) प्रिकास्ट आरसीसी बीम तथा छतों के लिए कर्णदार फलक
iii) सीढ़ियों में फैरो सीमेंट
iv) दरवाजों के आरसीसी फ्रेम
v) प्रिकास्ट आरसीसी छज्जा आदि

त्रिची (तमिलनाडु)

इसमें कलस्टर एप्रोच में डिजाइन किये गये एक मंजिले 100

बीएमटीपीसी द्वारा त्रिची (तमिलनाडु) में वाम्बे के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे प्रदर्शनार्थ मकान

वाम्बे के अन्तर्गत त्रिचि तमिलनाडु में प्रदर्शनार्थ मकानों के निर्माणों के दौरान फ्लाई ऐश ब्लाकों का स्थल पर उत्पादन

मकान हैं । 100 मकानों का अंतिम कार्य पूरा होने वाला है । प्रत्येक रिहायशी एकक का क्षेत्र 172 वर्गफीट है तथा लागत 232/-रुपये प्रति वर्गफीट है । इस परियोजना में प्रयोग की जा रही लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियां हैं :

i) नींव तथा प्लिंथ में आर आर चिनाई
ii) सुपर ढांचे में फ्लाइऐश ब्रिक्स का प्रयोग करके कंक्रीट ब्लाक चिनाई
iii) फिलर स्लैब
iv) आरसीसी दरवाजे का फ्रेम

2. परिषद ने लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश प्रदर्शनार्थ मकानों के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है । भूमि की पहचान हेतु राज्य सरकार से सम्पर्क किया गया है । रायबरेली तथा अमेठी (उ.प्र.) के लिए भूमि की पहचान की जा चुकी है । निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ड्राइंग और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं । अन्य दो स्थान हरियाणा, पश्चिम बंगाल के संबंध में परिषद समुचित भूमि की पहचान हेतु संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क कर रही है ।

3. परिषद ने "लागत प्रभावी निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकी पर मानक और विनिर्देश" विषय पर पुस्तक को संशोधित कर दिया है । इसमें इन प्रौद्योगिकियों के लिए दरों का विश्लेषण भी शामिल है ।

4. सामुदायिक केन्द्रों, स्कूलों आदि जैसी सामुदायिक सुविधाओं को समग्र जीविका संबंधी मुद्दों के साथ एकीकरण पर एचयूपीए मंत्रालय के विशेष बल को ध्यान में रखकर परिषद ने लागत और समय विभाजन के आधार पर एकीकृत अनौपचारिक मार्किट के लिए दो डिजाइन ले-आउट तैयार किए हैं । इन्हें भी मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है ।

16.2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

1. आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, बिहार, सिक्किम, मिजोरम, आन्ध्र प्रदेश, जे एंड के, उत्तराखंड और गुजरात से प्राप्त 33 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की परिषद द्वारा सराहना की गई । बीएमटीपीसी द्वारा आकलित परियोजना लागत 2215 करोड़ रुपये थी । इनकी केन्द्रीय स्वीकृति एवं जांच समिति (सीएमसी) द्वारा विचार किया गया था तथा विभिन्न बैठकों में अनुमोदन किया गया था। इसके अतिरिक्त परिषद ने 5.85 करोड़ रुपये की उत्तराखंड राज्य से जेएनएनयूआरएम की आईएचएसडीपी के अंतर्गत प्राप्त 2 डीपीआर का भी परिषद ने मूल्यांकन किया।

2. मिशन निदेशालय, जेएनएनयूआरएम, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने वास्तविक और वित्तीय प्रगति,

सुधारों के क्रियान्वयन तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी परियोजनाओं की जांच पड़ताल के लिए बीएमटीपीसी को निर्दिष्ट किया है । परिषद ने मिशन निदेशालय, जेएनएनयूआरएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा एक जांच पड़ताल एजेंसी के रूप में प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को पुर्न दिशा प्रदान करने हेतु बहुपक्षीय प्रयास आरम्भ किए हैं ।

3. मिशन निदेशालय, जेएनएनयूआरएम, बीएमटीपीसी की इच्छानुसार परिषद ने संशोधित डीपीआर फार्मेट एवं मार्गनिर्देश तैयार कर लिए हैं और उन्हें विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है । योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में तथा विभिन्न सीएसएमसी निर्णयों के कारण फार्मेट में संशोधन आवश्यक समझा गया था ।

4. बिहार में, जेएनएनयूआरएम की बीएसयूपी परियोजनाओं के अंतर्गत डीपीआर को तैयार करने पर एक प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया तथा राज्य के मुख्य सचिव से विचार विमर्श भी किया गया था । नवीनतम आवासीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में परिषद की समस्त गतिविधियों को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यह सहमति हुई थी कि बीएमटीपीसी नवीनतम आवासीय प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शनी लगाए तथा इस विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित की जाए ।

5. उन राज्यों जिन्होंने बीएसयूपी परियोजनाएँ नहीं भेजी हैं, से जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं को लाने के लिए मंत्रालय के मुख्य क्षेत्रों के अनुरूप चंडीगढ़ का दौरा किया तथा लुधियाना तथा अमृतसर के मिशन शहरों में बीएसयूपी परियोजनाओं के लिए पंजाब सरकार के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया । डीपीआर को तैयार करने में शामिल विभिन्न जटिलताओं पर मुख्य नगर आयोजक, पंजाब सरकार, जेएनएनयूआरएम कक्ष के मुख्य अभियंता तथा पंजाब सरकार के एलएसजी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई ।

6. जेएनएनयूआरएम, बीएसयूपी के अतर्गत कानपुर के डीपीआर को तैयार करने में सहायता की । जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के संबंध में लुधियाना तथा सूरत में बीएमटीपीसी द्वारा स्थल का दौरा भी किया गया । चंडीगढ़ पंजाब सरकार के साथ जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी परियोजनाओं को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने पर चर्चा करने के लिए 24-25 सितम्बर, 2007 को सचिव (यूपी) के साथ चंडीगढ का दौरा भी किया गया ।

7. परिषद ने आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की सहायता से जेएनएनयूआरएम की बीएसयूपी के अन्तर्गत प्राप्त डीपीआर के विभिन्न पहलुओं पर 18.8.2007 को हरिद्वार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की । कार्यशाला का उद्देश्य सीवरेज लाइनों तथा उनके जोड़, जल आपूर्ति एवं निकास मुद्दों, ठोस कचरा प्रबंधन, आवास और उनकी ढाँचागत जरूरतों जैसे तकनीकी पहलुओं के लिए जांच सूचियों तथा मूल्यांकन की पद्धतियों की तैयारी पर विशेष ध्यान देते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया को सहज बनाना था । कार्यशाला में आईआईटी रुड़की, सीबीआरआई रुड़की, केन्द्रीय रोड रिसर्च इंस्टीच्यूट, दिल्ली, एनईईआरआई, सुलभ इंटरनेशनल, हडको, एनबीसीसी आदि से 26 सहभागियों ने भाग लिया ।

8. परिषद ने बीएसयूपी और आईएचएसडीपी परियोजनाओं के लिए डीपीआर की तैयारी हेतु नगरपालिका कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग लिया है । निम्नलिखित कार्यक्रमों पर प्रस्तुतिकरण किया गया :-

- 7-8 मई, 2007 अमृतसर में
- 18-19 जून, 2007 शिमला में
- 13-14 जुलाई, 2007 पटना में
- 3-4 अगस्त, 2007 गुवाहाटी में
- 8 अगस्त, 2007 पुणे में
- 17-18 अगस्त, 2007 हरिद्वार में
- 10-11 सितम्बर, 2007 लखनऊ में
- 1-2 नवम्बर, 2007 देहरादून में

9. देश भर में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को एचयूपीए द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु कलस्टर ले-आउट प्लान के रूप में दस सुझाव/माडल आवास यूनिट प्लान एवं डिजाइन तैयार किए गए थे । इन्हें जेएनएनयूआरएम मिशन निदेशालय को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

बंगलौर, कर्नाटक में 23-25 मई, 2007 को बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित "लागत प्रभावी आवासीय प्रौद्योगिकियों में उभरते हुए प्रविष्टियाँ" अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला ।

16.3 प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु नेटवर्क

1. बीएमटीपीसी ने आईसीएएमटी-यूएनआईडीओ के सहयोग से "लागत प्रभावी आवास प्रौद्योगिकी में उदीयमान प्रवृत्तियों" विषय पर 23-25 मई, 2007 तक बंगलौर, कर्नाटक में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया । इसमें भारत, चीन, यू.के., श्रीलंका, भूटान, मालद्वीप तथा नेपाल से 61 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । आवास तथा भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, व्यावसायिकों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्यमकर्त्ताओं आदि प्रतिनिधि शामिल थे । विभिन्न राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के आवासीय मंडलों, राज्य स्लम क्लियरेंस बोर्ड, डीएसआईआईडीसी दिल्ली, नगर निगमों, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, कैन एवं बम्बू ट्रेनिंग सेन्टर, गुवाहाटी, राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम, कर्नाटक, ए.पी.आई.आई.डी.सी, हैदराबाद आदि से राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल थे । कार्यशाला में नये एवं हरित प्रौद्योगिकियों, संयुक्त, निर्मिति केन्द्रों आदि के अनुभवों पर विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी पेपर्स प्रस्तुत किये गये । श्रीलंका, नेपाल, मालद्वीप तथा भूटान के प्रतिनिधियों द्वारा देश का प्रस्तुतिकरण दिया गया । कार्यशाला का उद्घाटन माननीय आवास मंत्री, कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया । आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया ।

2. हडको तथा बीएमटीपीसी के सदस्यों के साथ एचयूपीए मंत्रालय द्वारा गठित समिति के मार्गदर्शन के अंतर्गत निर्मिति केन्द्र के पुनरीक्षण के लिए हडको, एचएसएमआई तथा मैसर्स सीड्स के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के पश्चात ड्राफ्ट मार्गनिर्देशिका तैयार की । मार्गनिर्देशिका मंत्रालय के अंतर्गत विचाराधीन है ।

3. बीएमटीपीसी के कार्यकारी निदेशक ने माननीय राज्य मंत्री एचयूपीए के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में 16-20 अप्रैल, 2007 के दौरान नैरोबी, केन्या में यूएन-हैबीटेट की गवर्निंग काउंसिल के 21वें सत्र में भाग लिया ।

4. मोजाम्बिक के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 'कम लागत वाले आवास' के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग विषय पर चर्चा के लिए 2.4.2007 को बीएमटीपीसी का दौरा किया । प्रतिनिधि मंडल के सामने बीएमटीपीसी की बहु-पक्षीय गतिविधियों

कु0 सैलजा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 21 अगस्त को बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित "राउंड टेबल मीटिंग आन इनोवेटिव बिल्डिंग टेक्नोलोजी" के दौरान उद्घाटन भाषण ।

को विस्तार से प्रस्तुत किया गया ।

5. एनसीएचएफ द्वारा आयोजित 'कम लागत वाले आवास' के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु 30 अप्रैल, 2007 को नेपाल के प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया ।

6. माननीय मंत्री, निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय, कैडरल डैमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ इथोपिया ने परिषद का दौरा किया । दिल्ली में औद्योगिक मजदूरों के लिए आवास परियोजनाओं का 31 मई, 2007 को दौरा किया गया । माननीय मंत्री ने भारतीय कम लागत वाली आवास प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि दिखाई ।

7. परिषद द्वारा 21 अगस्त, 2007 को इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में "निर्माण प्रौद्योगिकी में नवीन प्रयोग विषय पर राउंड टेबल बैठक" आयोजित की गई । इस बैठक का उद्देश्य नवीनतम निर्माण प्रौद्योगिकी एवं सामग्री के क्षेत्र में विभिन्न आरएंडडी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में जानना था तथा सक्षम प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से जमीनी स्तर पर अंतरण के लिए बीएमटीपीसी के लिए कार्ययोजना तैयार करनी थी । बैठक का उद्घाटन कुमारी सैलजा माननीय मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन द्वारा किया गया था। डा. एच एस आनन्द, सचिव (हूपा) द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया तथा श्री एस के सिंह, संयुक्त सचिव (आवास) द्वारा सभा को संबोधित किया गया। बैठक में आर एंड डी संस्थानों, प्राइवेट सेक्टर के संगठनों आदि से 24 संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । बैठक में भवन निर्माण सामग्रियों के सेक्टर में नवीनताओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया ।

8. यूएनआईडीओ "सेंटर फॉर साउथ-साउथ इंडस्ट्रियल कोपरेशन" द्वारा नई दिल्ली में 12 सितम्बर, 2007 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवीनतम एवं लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बीएमटीपीसी के प्रयासों पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया गया । सम्मेलन में अफ्रीकन महाद्वीप के विभिन्न देशों से 30 उच्चस्तरीय प्रशासकों, व्यावसायिकों तथा नीति-निर्माताओं ने भाग लिया ।

9. बीएमटीपीसी ने आईसीएएमटी-यूएनआईडीओ के सहयोग

से संयुक्त रूप से 27-28 दिसम्बर, 2007 को पटना, बिहार में उपयुक्त एवं वहनीय आवास प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देते हुए "लागत प्रभावी निर्माण प्रौद्योगिकी में नवीन प्रयोग" विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आवास) द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल एवं वैकल्पिक निर्माण सामग्रियों और आवासीय प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी विद् तथा उत्पाद निर्माता द्वारा सम्बोधित किया गया। लगभग 10 एजेंसियों ने विभिन्न वैकल्पिक निर्माण उत्पाद और आवास प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया जिसने लागत प्रभावी निर्माण प्रौद्योगिकी में अद्यतन नवीनतम प्रयोगों पर सहभागियों, प्रयोगकर्ताओं, तकनीकीविद, वास्तुकारों, नीति निर्माताओं को समुचित अवसर प्रदान किया। भूटान और कनाडा से भी प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

10. परिषद, केरल राज्य बांस निगम, केरल सरकार का उपक्रम के साथ केरल राज्य में व्यांडू जैसे पिछड़े और आदिवासी जिले में "सामुदायिक बांस मैट बुनाई सुविधा" की स्थापना के लिए परियोजना शुरू कर रही है। केरल राज्य बांस निगम द्वारा भूमि और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध किया जा चुका है तथा निर्माता को मशीनों की आपूर्ति के लिए आदेश दिया जा चुका है।

11. परिषद, 'निर्माण उद्योग विकास परिषद' (सीआईडीसी) के साथ 2003-2013 की अवधि के लिए महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों की मांग के अनुमान पर अध्ययन पूरा कर चुकी है।

12. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने बीएमटीपीसी को अनुरोध किया है कि वह केन्या में ईंट बनाने वाली मशीन के निर्माण हेतु व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करे। विस्तृत व्यवहार्य रिपोर्ट की तैयारी के लिए लागत को दर्शाते हुए प्रस्ताव भेजा जा चुका है तथा एमईए के विचाराधीन है।

13. "एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीकी क्षेत्रों में कम लागत आवास हेतु सामग्रियों के निर्माण हेतु निवेश एवं प्रौद्योगिकी

श्री एस के सिंह, संयुक्त सचिव (आवास) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा पटना, बिहार में 27-28 दिसम्बर, 2007 को बीएमटीपीसी द्वारा आयोजित समुचित तथा वहनीय आवासीय प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए "लागत प्रभावी निर्माण प्रौद्योगिकियों में नवीनताएं" पर अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कार्यशाला के दौरान संबोधन करते हुए।

प्रौन्नति एवं अंतरण" पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अन्तर्गत यूएनआईडीओ और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और विचार विमर्श हेतु सचिव (एचयूपीए) तथा कार्यकारी निदेशक, बीएमटीपीसी ने यूएनआईडीओ वियना का दौरा किया ।

16.4 उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में गतिविधियाँ - ग्रीन टेक्नालॉजी

1. परिषद ने कावईफंग (त्रिपुरा), सैरंग (मिजोरम) 'बांस मैट उत्पादन केन्द्र' की स्थापना का कार्य पूरा कर दिया है । वर्ष के दौरान, परिषद ने एक और केन्द्र बुवालपूई (मिजोरम) में स्थापित किया है तथा शोखरनूगूल्हु, मेघालय में केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है । परिषद ने दूसरे चरण में असम (02), त्रिपुरा (01) तथा मेघालय (01) को मिलाकर 4 बांस मैट उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है ।

2. परिषद ने बांस आधारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए त्रिपुरा में 06 ढाँचों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा कर चुकी है तथा त्रिपुरा सरकार को सौंप चुकी है । इस अवधि में परिषद ने अगरतला, अम्बासा तथा केला शहर, त्रिपुरा में 03 और ढाँचों का निर्माण पूरा किया है ।

3. परिषद, नागालैंड विकास एजेंसी, नागालैंड सरकार के माध्यम से कोहिमा, नागालैंड में प्रौद्योगिकी आधारित बांस का प्रयोग करते हुए दो प्रदर्शन ढाँचों का निर्माण कर रही है । दोनों भवनों में प्लिंथ स्तर तक कार्य पूरा हो चुका है ।

4. परिषद ने अरुणाचल प्रदेश में बांस मैट उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए परियोजना को शुरु किया है । राज्य सरकार ने स्थल का चयन कर लिया है ।

5. अगरतला में 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं उत्पादन केन्द्र' की स्थापना का कार्य अग्रिम चरण में है । इसके लिए कार्यस्थल शैड का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है ।

सैरंग (मिजोरम) में बीएमटीपीसी द्वारा स्थापित बांस मैट उत्पादन केन्द्र ।

16.5 मानकीकरण और उत्पादन मूल्यांकन

1. प्रयोगशाला से जमीनी स्तर पर जांच के आधार पर रिया डोर्स ऑफ रिया इंटरप्राइज, गांधीधाम (गुजरात) के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रमाण पत्र (पीएसी) का ड्राफ्ट सभी टीएसी सदस्यों और अन्य तकनीकी संगठनों को उनके सुझावों और परिवर्धन के लिए परिचालित कर दिया गया है। पीएसीएस प्रमाणीकरण के लिए एसएमई से और अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

2. दरवाजों के लिए मैसर्स V3 इंजीनियर प्रा. लि., बंगलौर से प्राथमिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मैसर्स ईशान इंडस्ट्रीज़ के हीट प्रूफ टैरेस टाइल्स के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं। इसी प्रकार नौ उत्पादों के लिए मैसर्स सिंटैक्स इंडस्ट्रीज़ के नमूने स्वतंत्र परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं। पीएसीएस के अन्तर्गत एचडीपीई कवर ब्लाक्स के लिए मैसर्स राइटवीज़न (इंडिया) प्रा. लि. का विस्तृत आवेदन तैयार किया जा रहा है।

3. बीएमटीपीसी ने 17 अप्रैल, 2007 को हुई भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की बिल्डिंग लाइम एवं जिप्सम प्रोडक्ट, विभागीय समिति, सीईडी-4 की ग्यारहवीं बैठक तथा 11-12 दिसम्बर, 2007 को हुई सीमेंट एवं कंक्रीट विभागीय समिति की 15वीं बैठक में भाग लिया।

16.6 प्रौद्योगिकी विकास

1. परिषद ने आन्ध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रोन्नति केन्द्र के साथ मिलकर ग्रेनाइट उद्योग कचरे से ग्रेनाइट गाद मिश्रित फर्श के टाइल्स तथा फुटपाथ के ब्लाक्स विकसित किए हैं। उत्पादों को रेत के प्रतिपूरक के रूप में ग्रेनाइट गाद के फील्ड में प्रयोग करने के बाद विकसित किया गया है। ग्रेनाइट गाद आधारित टाइलों और ब्लाकों के नमूनों की जांच से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। वर्तमान में प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु उद्यमियों की पहचान की जा रही है।

2. दो मंजिला बांस आवास पद्धति के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी के विकास की परियोजना पूरी हो चुकी है। आईपीआईआरटीआई

आईपीआईआरआईटीआई, बंगलौर में दो मंजिले बांस आवासीय प्रणाली के निर्माण के लिए बीएमटीपीसी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी

बंगलौर के कैम्पस में प्रदर्शनार्थ निर्माण किया जा चुका है । मकान के निर्माण के प्रत्येक चरण में विभिन्न घटकों की जांच की गई तथा ऐसे घटकों के नमूने वास्तविक निर्माण से पहले तैयार किए गए ।

3. बांस और बांस के हिस्सों का प्रयोग करते हुए प्री-फैब्रीकेटिड मोडूलर आवास पद्धति के डिजाइन और विकास की परियोजना पूरी हो चुकी है । प्री-फैब डबल दीवार वाला बांस का मकान स्नानघर और रसोई सहित 20' x 24' x 8' आकार का विकसित किया गया था । इससे प्री-फैब्रीकेटिड मकानों में बांस की निर्माण सामग्रियों का प्रयोग संभव होगा । इस प्रकार के मकान आपदा बाद के राहत कार्यों के लिए तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनर्वास हेतु बनाए जा सकते हैं ।

4. 'बांस का प्रयोग करते हुए बांस मैट रीज कैप' के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी का आईपीआईआरटीआई बंगलौर में विकास किया गया । हाइड्रोलिक हॉट प्रेस के साथ फिक्स की जाने वाली डाइयों का विकास किया जा चुका है । प्रयोगशाला के स्तर पर रीज कैप के विकास की सफलता ने व्यावसायीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने की क्रिया शुरू कर दी है ।

16.7 लागत प्रभावी निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति

1. 'नवीनतम तकनीक' पर निर्माण मजदूरों के लिए बीएमटीपीसी तथा आवास विकास लि. जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से 22-24 सितम्बर, 2007 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्‌घाटन संयुक्त सचिव (आवास) द्वारा किया गया । दीवार, फर्श तथा छत के विभिन्न हिस्सों के निर्माण हेतु सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए ।

2. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व पर्यावास दिवस 2007 का आयोजन किया गया । इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें बीएमटीपीसी, हडको तथा एनबीओ ने अपने क्रियाकलापों को प्रदर्शित किया । परिषद ने विश्व पर्यावास दिवस अर्थात् "सुरक्षित शहर ही वास्तविक शहर हैं" विषय पर एक न्यूज लेटर निकाला गया । न्यूज लेटर का लोकार्पण सचिव, एचयूपीए द्वारा 1 अक्टूबर, 2007 को समारोह के दौरान किया गया ।

पूर्व वर्षों की भांति परिषद ने विशेष बच्चों के लिए "अहिंसा" विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया । यह चित्रकला प्रतियोगिता एनसीआर के विभिन्न स्कूलों में तीन श्रेणी के बच्चों अर्थात् मानसिक, दृष्टिहीन तथा बधिर बच्चों के लिए आयोजित की गई । प्रतियोगिता में 13 विशेष स्कूलों से लगभग 250 बच्चों ने भाग लिया । विजेताओं को समारोह के दौरान मुख्य अतिथि, सचिव एचयूपीए द्वारा पुरस्कृत किया गया।

3. परिषद ने निर्माण विकास अनुसंधान संस्थान, रायपुर के साथ संयुक्त रूप से 23 मार्च से 22 अप्रैल, 2007 तक रायुपर, छतीसगढ़ के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से 30 कारीगरों को क्षमता निर्माण हेतु एक महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।

4. परिषद ने उत्तराखंड निर्माण केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से श्रीनगर, गढ़वाल में 12-18 अगस्त, 2007 तक निर्माण कर्मियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें कम लागत के आवास वाली प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर प्रशिक्षण दिया गया ।

5. कम लागत आवास, आपदा से निपटने की तैयारी तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की संभावनाओं की तलाश हेतु 'हायर पोलीटेकनिक' इंस्टीच्यूट आफ मनिका, मोजाम्बिक से तीन सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने बीएमटीपीसी का दौरा किया ।

6. प्रदर्शनियों/सेमिनारों/कार्यशालाओं एवं तकनीकी बैठकों में सहभागिताः

- 28 जुलाई से 1 अगस्त, 2007 तक नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा में प्रदर्शनी ।
- कोलकाता में 7 से 14 सितम्बर, 2007 को 11वीं राष्ट्रीय एक्सपो में प्रदर्शनी । एक्सपो सेन्ट्रल कोलकाता साईंस एंड टेक्नालॉजी आर्गनाईजेशन फॉर यूथ द्वारा आयोजित की गई थी ।
- 10-11 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली में इनवायरों

इन्टरनेशनल ।

- 12-14 अक्टूबर, 2007 को मुम्बई में कन्स्ट्रो इंडिया 2007 ।
- नई दिल्ली में 17-19 मई, 2007 के दौरान इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित "इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट आफ टाउन एस न्यू ग्रोथ सेन्टर" पर 13वीं वार्षिक सम्मेलन एवं राष्ट्रीय सेमिनार ।
- 18 मई, 2007 को दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा आयोजित "सुनामी जोखिम प्रबंध" पर राष्ट्रीय सम्मेलन ।
- "डेवलपमेंट आफ इंटिग्रेटिड सीटिस" पर भावी सेमिनार के लिए तकनीकी पेपरों को प्रदर्शित करने के लिए 10 अप्रैल, 2007 को हुई इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की तकनीकी समिति की बैठक ।
- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की ओर से नेशनल बाँस मिशन की राष्ट्रीय संचालन समिति ।
- 2.6.2007 को मुम्बई में "सभी के लिए वहनीय आवास" पर राष्ट्रीय सम्मेलन ।
- वलनरेबिलिटी एंड रिस्क एसेस्मेंट आफ हाउसिंग पर आईआईपीए पर भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति द्वारा आयोजित "आपदा जागरुकता एवं तैयारी" पर बैठक ।
- अपने अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों के लिए 29/6/2007 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय के निदेशक (राजभाषा) तथा उप निदेशक (राजभाषा) को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था उन्होंने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की ।
- 30 जुलाई से 3 अगस्त, 2007 के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद द्वारा आयोजित "इन्टेलक्यूयल प्रोपर्टी राइट रिलेटिड एंड डब्ल्यूटीओ" पर कार्यशाला ।
- आईआईटी रुड़की में 24 अक्टूबर, 2007 को क्वालिटी कन्ट्रोल इन कन्स्ट्रक्शन थ्रू प्रिसिशन इक्यूपमेंट - 2007 पर राष्ट्रीय कार्यशाला । इस स्थान पर एक छोटी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया ।
- कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा 17-18 अक्टूबर, 2007 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में नई सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आवास, शहरी सेक्टर का विकास पर सम्मेलन । भवन निर्माण सामग्री सेक्टर में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतिकरण भी इस सत्र में किया गया ।
- 24 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली वेस्ट टू वेल्थ थ्रू इनोवेटिव टेक्नालॉजी पर एसौचेम इन्वायरमेंट सम्मिट ।
- 7-8 नवम्बर, 2007 को नई दिल्ली में आपदा जोखिम कमी पर दूसरी एशिया मंत्री सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी।
- आईआईटीएफ, 2007 के दौरान टेक्मार्क 2007 पर प्रदर्शनी ।

7. बीएमटीपीसी अधिकारियों द्वारा सेमिनार/कार्यशालाओं में तकनीकी लेखों, व्याख्यानों तथा पेपर्स का प्रस्तुतिकरण ।

- "ग्रीन बिल्डिंग टेक्नालॉजी फार सस्टेनएबल हैबीटाट" को मार्च, 2007 तथा अप्रैल, 2007 के निर्माण एंड डिजाइन के टाइम्स जनरल में प्रकाशित किया गया ।
- "प्रिफ्रेबरिकाटिड कन्स्ट्रक्शन - दि प्रेजेन्ट स्टेट्स एंड फ्यूचर नीड्स" को मई, 2007 के बिल्डओटेक में प्रकाशित किया गया ।
- इंजीनियर्स वेलफेयर काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा 14 सितम्बर, 2007 को इंजीनियर्स दिवस समारोह के अवसर पर "फास्ट ट्रेक टेक्नालॉजी फार कन्स्ट्रक्शन आफ हाउसिंग फार अर्बन स्लम" पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण।
- आईआईटी, रुड़की में 15 मई, 2007 को आईआईटी रुड़की द्वारा इंजीनियर्स के लिए एनपीसीबीईईआरएम के अंतर्गत "भूकंप जोखिम प्रबंध" पर अल्प अवधि पाठ्यक्रम के दौरान वलनरिबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया/राज्यों पर लेक्चर ।
- 17-18 अक्टूबर, 2007 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में नई सामग्री एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आवास, शहरी क्षेत्र का विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उभरती हुई सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतिकरण ।
- 19-20 अक्टूबर, 2007 को प्रौद्योगिकी संस्थान, निरमा

यूनिवर्सिटी अहमदाबाद द्वारा आयोजित भवन प्रणाली में प्रगति पर राष्ट्रीय सेमिनार में आवास एवं मानव बसाव क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय आधार को मजबूत बनाना पर लेक्चर ।

- ऑन्ट्रेप्रेयशिप डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भोपाल में 29 दिसम्बर, 2007 को वैकल्पिक कम लागत भवन निर्माण सामग्रियों के क्षेत्र में इंटीग्रेटिड ऑन्ट्रेप्रेयशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान लेक्चर ।

16.8 जनवरी 2008 से मार्च, 2008 के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ

बीएमटीपीसी ने निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रकाश डाला है जो प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं पर है :

1. हरित पर्यावास के लिए व्यापक मार्गनिर्देशिका का विकास
2. नवीनतम भवन निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकियों पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का विकास
3. निर्माण तथा तोड़फोड़ कचरे का पुनचर्क्र के लिए प्रौद्योगिकी का विकास
4. ग्रेनाइट इंडस्ट्री वेस्ट से टाइलों के निर्माण के लिए पायलट प्लांट की स्थापना
5. प्लास्टिक कचरे की पुनर्चक्र के लिए प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण
6. कृषि अवशेष का प्रयोग करते हुए सीमेंट बॉडिड पार्टिक्ल बोर्ड के उत्पादन के लिए मध्यम स्तर का मैनुफेक्चरिंग सुविधाओं का विकास
7. नई प्रौद्योगिकियों की पहचान तथा अपनाने के लिए तकनीकी फोरम
8. असम, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में मिस्त्रियों, बढ़इयों तथा सुपरवाइजर के रूप में निर्माण करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
9. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सह उत्पादन केन्द्रों को चलाने की स्थापना की मांग (4 नं.)
10. पांच इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थायी प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना
11. बीएमटीपीसी पर कॉर्पोरेट फिल्म तैयार करना
12. 2 स्थानों में फेरीवालों के लिए एकीकृत औपचारिक बाजारों के निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में चार स्थानों पर नवीनतम, हरित तथा आपदा अवरोधी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन मकानों का निर्माण
13. मध्य प्रदेश में फ्लैट रुफिंग सोल्यूशन एंड कैपिसिटी बिल्डिंग का प्रदर्शन
14. राज्य आवासीय एजेन्सियों द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट प्रक्रिया पर सम्मेलन
15. ताल्लुक स्तर (17 राज्यों/संघशासित प्रदेशों) तक राज्य/यूटीवार वलनिरिबिलिटी एटलस आफ इंडिया को तैयार करना
16. लैंड स्लाइड हैर्जाड जोनेशन एटलस आफ इंडिया का संशोधन
17. नार्थक्षेत्र में बाँस आधारित मिश्रित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन मकानों का निर्माण
18. अरुणाचल प्रदेश में बांस मैट उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

17. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएफसी)

एनएचएफसी देश में समस्त सहकारी आवास सेक्टर का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। एनएचएफसी का प्राथमिक उद्देश्य देश में आवास सहकारियों की गतिविधियों को बढ़ावा, मार्गदर्शन और समन्वय करना है।

एनसीएचएफ की अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के दौरान मुख्य गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :

17.1 संवर्धनात्मक गतिविधियाँ

1. शीर्ष सहकारी आवास संघों (एसीएचएफ) को वैसे राज्यों में बढ़ावा देने के लिए जहां ऐसे संगठन नहीं है, एनसीएचएफ द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। दादर तथा नगर हवेली के सहकारियों ने संघशासित क्षेत्र में एसीएचएफ को आयोजित करने की पहल शुरु करने का भी अनुरोध किया था।

2. भारत सरकार ने दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के लिए एक लाख आवास इकाइयों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एसीएचएफ के लिए धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए एनसीएचएफ द्वारा फंडिग सस्थानों यथा एलआईसी, एनएचबी और हडको से संपर्क किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सहकारिताओं द्वारा किए गए विकास की मॉनिटरिंग और प्रगति की समीक्षा एनसीएचएफ द्वारा की गई और नियमित अंतरालों का डाटा को संग्रहित किया गया तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रदान किया गया।

3. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एनएसीएचएफ को दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज दर में कमी करने, वार्षिक ऋण सहायता की मात्रा को बढ़ाने, एसीएचएफ आदि की उधार सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। एलआईसी ने वर्ष 2007-08 के लिए ऋण के रूप में एसीएचएफ के लिए 129 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

4. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) से वास्तविक समस्याग्रस्त एसीएचएफ के बकाया देयताओं की एकबारगी निपटान के अनुमोदन का भी अनुरोध किया गया था।

5. राज्य सरकारों को एनसीएचएफ द्वारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल सहकारी आवास सोसायटी विधियों को अपनाने का निवेदन किया गया है। दिल्ली, गोवा, जम्मू तथा कश्मीर और मध्य प्रदेश के सहकारी सोसायटी अधिनियमों के संगठन हिस्सों को सहकारी आवास सोसायटी के लिए अलग अध्याय/विशेष प्रावधान के संदर्भ में पंजाब हाउस फेड और उड़ीसा हाउसफेड को भेजा गया था। मॉडल लॉ को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई को सुसाध्य बनाने के लिए तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी के एसीएचएफ के साथ-साथ कर्नाटक सरकार के रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव को भी भेजा गया था।

6. हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ को उनके वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए शेयर कैपिटल में अंशदान करने तथा उपरोक्त संघ को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक को सलाह देने के लिए भी हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था।

7. एनसीएचएफ के प्रबंध निदेशक को बैंकों तथा आवासीय वित्तीय निगमों द्वारा दी गई आवास वित्त की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने 18 मई, 2007 को नई

दिल्ली में हुई उपरोक्त समिति की बैठक में भाग लिया तथा आवासीय सहकारियों के वित्तीय पहलुओं पर एक विस्तृत पेपर प्रस्तुत किये ।

8 विभिन्न राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से इस संबंध में अपने बाई-लॉ या जारी आदेशों में ढाँचीय ऑडिट के लिए प्रावधानों को शामिल करने हेतु आवासीय सहकारियों को सलाह देने का अनुरोध किया गया था ।

9. एनसीएचएफ के प्रबंध निदेशक ने माननीय सहकारिता मंत्री, वित्त आयुक्त तथा सचिव सहकारिता, पंजाब सरकार तथा पंजाब स्टेट फेडरेशन आफ को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के प्रबंध निदेशक के साथ पंजाब में आवासीय सहकारिताओं को मजबूत कराने, कम आय वाले परिवारों के लिए पायलट प्रदर्शन परियोजना को शुरु करने, निर्मिति केन्द्र की स्थापना, बहुउद्देश्यीय सहकारिताओं को बनाने के बारे में बहुत सी बैठकें आयोजित कीं । वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली में 26 जुलाई, 2007 को भवन निर्माण सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) के कार्यकारी निदेशक तथा अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की ।

10. एनसीएचएफ के प्रबंध निदेशक ने भी 27 जुलाई, 2007 को हरियाणा सरकार के वित्त आयुक्त तथा सचिव सहकारी से मुलाकात की तथा हरियाणा राज्य में आवासीय सहकारिताओं को मजबूत बनाने के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया । वित्त आयुक्त ने हरियाणा राज्य में सहकारिता को सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया ।

11. "रोजगार सृजन और गरीबी उपशमन में सहकारी आवास निर्माण की भूमिका" पर एक अध्ययन रिपोर्ट सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेजी गयी कि वे उस अध्ययन की उपयोगिता के बारे में अपने विचारों से एनसीएचएफ को अवगत करायें ।

11. एनसीएचएफ सचिवालय ने आवासीय सहकारियों तथा उनके सदस्यों को रियायती दरों पर कम लागत स्वास्थ्य सफाई सुविधाओं तथा अन्य संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सुलभ अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन (SULABH) के साथ समझौता ज्ञापन पर प्रविष्टि की । 11 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये ।

13. एनसीएचएफ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने भारत सरकार, राज्य सरकारों, सहकारी संगठनों व आवास निर्माण में लगी संबंधित एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों/कांफ्रेंसों/मीटिंगों में भाग लिया ।

14. एनसीएचएफ सचिवालय ने सहकारी आवास और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अनेक निबंध, शोध पत्र विभिन्न मंचों, सम्मेलनों, पत्र-पत्रिकाओं और संस्थानों को प्रस्तुत किये हैं ।

17.2 शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध

एनसीएचएफ सहकारों के साथ-साथ शीर्ष, सहकारी आवास संघों व उनसे जुड़े प्राइमरी आवास सहकारिताओं के संचालकों, कार्मिकों व कर्मचारियों को सहकारी आवास के तकनीकी व अन्य पहलुओं यथा संगठन व प्रबंध, वित्त, सस्ती, निर्माण सामग्री व निर्माण शिल्प, कानूनी मदें, लेखा बही में हिसाब-किताब रखने, सामान्य बीमा आदि के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करता आ रहा है ।

अप्रैल से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान एनसीएचएफ ने एसीएचएफ, आवासीय सहकारियों तथा संबंधित अन्य कार्मिकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया :

(i) 24-27 अप्रैल, 2007 को मसूरी में अभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 39 प्रतिभागी शामिल थे ।

(ii) 10-13 जुलाई, 2007 को मनाली में प्रबंध विकास कार्यक्रम जिसमें 24 प्रतिभागी शामिल थे ।

(iii) पाण्डिचेरी में 18-21 सितम्बर, 2007 को प्रबंध विकास कार्यक्रम जिसमें 24 प्रतिभागी शामिल थे। कार्यक्रम का उद्घाटन पांडिचेरी के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया ।

(iv) पणजी गोवा में, 3-6 दिसम्बर, 2007 को प्रबंध विकास जिसमें 23 प्रतिभागी शामिल थे ।

एनसीएचएफ द्वारा सहकारिता, आवास निर्माण क्रियाकलापों में जुटी सभी संबंधित संस्थाओं व व्यक्तियों के हित और उपयोग के लिये शोध और अध्ययन तथा आंकड़ों का संकलन भी करता है ।

17.3 सम्मेलन/संगोष्ठियां

एनसीएचएफ शीर्ष सहकारी आवास संघों व आवास सहकारिताओं के कार्मिकों के लिये सम्मेलन/ संगोष्ठियां/विचारगोष्ठियां आदि का लगातार आयोजन करता रहता है । ये सभी आयोजन आवास सहकारिताओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने तथा उनके कार्यकलापों में सुचारूता लाने तथा उन्हें प्रगतिगामी बनाने के लिये किये जाते हैं :

(1) शीर्ष सहकारी आवास संघों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारियों का सम्मेलनः एनसीएचएफ ने पणजी गोवा में 3 दिसम्बर, 2007 को शीर्ष सहकारी आवास संघों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारियों का 26वां सम्मेलन आयोजित किया । सम्मेलन का उद्घाटन गोवा के गृह एवं सहकारी माननीय मंत्री श्री रवि एस नायक द्वारा किया गया । श्री बी एस मन्हास, उपाध्यक्ष, एनसीएचएफ तथा जे एंड के सहकारी आवास निगम के अध्यक्ष द्वारा सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसमें शीर्ष सहकारी आवास संघों तथा आवासीय सहकारियों की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया तथा उनके सामने आ रही कठिनाइयों पर विचार किया । सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर 50से अधिक प्रतिभागी उपस्थित थे ।

(2) 54वां अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताहः यह सप्ताह हर साल नवम्बर के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है । वर्ष 2007-2008 के दौरान 54वां सप्ताह 14-20 नवम्बर, 2007 को मनाया गया था । सहकारिता सप्ताह का मुख्य विषय था "पाप्लुराईसिंग को-आपरेटिव मॉडल आफ डेवलपमेंट फॉर इन्क्लूसिव ग्रोथ" ।

(3) आवास सहकारिताओं के कानूनी पक्षों पर विचारगोष्ठीः 54वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के दौरान, एनसीएचएफ ने सहकारी आवास तथा बेहतर जीवन स्तर दिवस आयोजित करने के लिए 19 नवम्बर, 2007 के नई दिल्ली में आवास सहकारिताओं के विविध पहलुओं पर विचारगोष्ठी का आयोजन किया । श्री आर एन भारद्वाज, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विषय पर लेक्चर दिया तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री यू के वोरहा ने विचारगोष्ठी की अध्यक्षता की । इसमें करीब 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(4) सूचना का अधिकार व सहकारिताओं पर राष्ट्रीय सेमिनारः 25 मई, 2007 को चंडीगढ़ में सूचना का अधिकार एवं सहकारिताओं पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया । कुमारी सैलजा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया तथा श्री एस के सिंह, संयुक्त सचिव, एचयूपीए मंत्रालय ने भाषण दिया । श्रीमती रीता सिन्हा, सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग ने प्रस्तुतिकरण किया । इस सेमिनार में भारत सरकार, राज्य सरकारों, शीर्ष आवासीय संघों राष्ट्रीय/राज्य सहकारी संगठनों तथा प्राथमिक आवासीय सहकारियों के करीब 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(5) दक्षिणी राज्यों के लिए आवासीय सहकारियों पर क्षेत्रीय कार्यशालाः तमिलनाडु सहकारी आवास संघ के सहयोग से एनसीएचएफ ने चेन्नई में 16 अक्टूबर, 2007 को दक्षिणी राज्यों के लिए आवासीय सहकारिताओं पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया । तमिलनाडु सरकार, आवास एवं शहरी विकास के सचिव, श्री आर सेलामुत्थू ने कार्यशाला का उद्घाटन किया जिसकी अध्यक्षता एनसीएचएफ के उपाध्यक्ष तथा कर्नाटक राज्य सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष श्री एस टी सोमशेखर ने की । कार्यशाला में प्रगति का पुनरीक्षण किया तथा दक्षिणी राज्यों में शीर्ष संघों तथा प्राथमिक आवासीय सहकारियों के सामने आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया । इसमें 17 प्रतिभागी उपस्थित थे ।

(6) पूर्वी राज्यों के लिए आवासीय सहकारियों पर क्षेत्रीय

कार्यशाला **:** बिहार राज्य आवासीय सहकारी संघ तथा डीएनएस रीजनल इन्स्टीच्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट के सहयोग से पटना में 2 नवम्बर , 2007 को एनसीएचएफ द्वारा पूर्वी राज्यों के लिए आवासीय सहकारियों पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । श्री रामजी दास ऋषिदेव, बिहार राज्य के माननीय सहकारी राज्य मंत्री ने कार्यशाला का उद्घाटन किया तथा एनसीएचएफ के निदेशक तथा बिहार राज्य आवासीय सहकारी संघ के अध्यक्ष, पूर्व सांसद श्री वी के मिश्रा ने इसकी अध्यक्षता की । कार्यशाला में प्रगति का पुनरीक्षण किया तथा पूर्वी राज्यों में शीर्ष संघों तथा प्राथमिक आवासीय सहकारिताओं के सामने आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया । इसमें 28 प्रतिभागी शामिल थे ।

(7) **नई सहकारी विधिक तथा आवासीय सहकारिताओं पर संगोष्ठीः** एनसीएचएफ तथा दिल्ली राज्य सहकारी संघ (डीएससीयू) तथा रोहिणी सहकारी समूह आवास समिति संघ के सहयोग से दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम (डीसीएचएफसी) ने रोहिणी, दिल्ली में 21 दिसम्बर, 2007 को नई सहकारी विधिक तथा आवासीय सहकारियों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया । दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (सहकारी) श्री वी वी भट्ट ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया तथा दिल्ली राज्य सहकारी संघ के उपाध्यक्ष श्री आर एन भारद्वाज ने अध्यक्षता की । दिल्ली सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री यू के वोरहा मुख्य अतिथि थे । इस संगोष्ठी में करीभ 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(8) हिन्दी कार्यशालाः सरकारी कार्य में राजभाषा के प्रयोग को प्रोन्नत करने के लिए 7 सितम्बर, 2007 को नई दिल्ली में एनसीएचएफ द्वारा एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला की अध्यक्षता आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के उपनिदेशक (राजभाषा) ने की ।

संगठन की उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त, एनसीएचएफ ने 15 अप्रैल, 2007 को दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में आवासीय सहकारियों के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में दिल्ली राज्य सहकारी संघ तथा रोहिणी, सहकारी समूह आवास समिति संघ के साथ भी सहयोग किया है ।

17.4 प्रकाशन

भारत की जनता विशेषतया आवास सहकारिताओं के सदस्यों को सहकारी आवास आंदोलन के उद्देश्यों, गतिविधियों और उपलब्धियों, मकान बनाने की नई शिल्प विधाओं, आवास सहकारिताओं की समस्याओं तथा आवास सहकारिताओं बाबत सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण फैसलों से लगातार अवगत कराये रखने की नीति के अनुसरण में एनसीएचएफ समय-समय पर विभिन्न प्रकाशन निकलता आ रहा है । अप्रैल-दिसम्बर, 2007 की अवधि में एनसीएचएफ द्वारा प्रकाशित प्रकाशन इस प्रकार हैं :-

(i) ***एनसीएचएफ बुलेटिनः*** एनसीएचएफ के इस मासिक प्रकाशन में प्रमुख सहकारों तथा विशेषज्ञों तथा निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्यतन विकासों तथा विधिक स्तम्भ सहित आवासीय सहकारियों से संबंधित अन्य लाभप्रद सूचना को शामिल करते हुए लेख हैं । इस बुलेटिन में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लेख शामिल हैं । अप्रैल से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान एनसीएचएफ बुलेटिन के सभी अंक प्रकाशित किए गए थे जिसमें विश्व पर्यावास दिवस पर (अक्टूबर, 2007) तथा सहकारी सप्ताह समारोहों पर (नवम्बर, 2007) के विशेष अंक भी शामिल हैं ।

(ii) ***विशेष हिन्दी "सहकारी आवास":*** नाम से छमाही विशेष हिन्दी पत्रिका सहकारी आवासीय क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित की जा रही है। रिपोर्ट अवधि के दौरान "सहकारी आवास" का एक अंक प्रकाशित किया गया था ।

(iii) ***हाउसिंग वाइसः*** इस मासिक न्यूज लेटर में सहकारी आवास के विकास व संबंधित क्षेत्रों की जानकारी होती है । अप्रैल से दिसम्बर, 2007 में हाउसिंग वाइस के सभी अंक समय पर प्रकाशित किए गए ।

(iv) ***हिन्दी में आर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउसिंग को आपरेटिव्स पर पुस्तकः*** एनसीएचएफ के प्रबंध निदशक डॉ.एम एल खुराना द्वारा लिखी इस अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हो गया है तथा मुद्रण के लिए अंतिम चरण में है, इस पुस्तक में आवास सहकारिताओं के संगठन, विभिन्न परियोजनाओं के निरूपण व कार्यान्वयन, धन जुटाना, नियम-विनियम, प्रबंध पहलुओं आदि की जानकारी दी गयी है, इसमें सहकारों और आवास सहकारिताओं के बारे में अवधारणा सुधार आवास सहकारिताओं बाबत संगठन, प्रबंध, वित्तपोषण पर व्यावहारिक जानकारी होती है। पुस्तक में अन्य देशों में आवास सहकारिताओं के कार्यकलापों पर भी प्रकाश डाला गया है ।

(v) ***वार्षिक रिपोर्ट :*** वर्ष 2006-07 के लिए एनसीएचएफ की वार्षिक रिपोर्ट तैयार हो गई है तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित की गई ।

(vi) ***कार्रवाई रिपोर्ट :*** "सूचना का अधिकार तथा सहकारिता" पर राष्ट्रीय सेमिनार की कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की गई थी ।

17.5 एनसीएचएफ कार्यालय में राजभाषा (हिन्दी) का कार्यान्वयन

राजभाषा (हिन्दी) के कार्यान्वयन के संबंध में, एनसीएचएफ ने निम्नलिखित कदम उठाए :-

(i) हिन्दी में लिखे गए सहकारी आवास से संबंधित आर्टिकल एवं संबंध न्यूज मदें एनसीएचएफ बुलेटिन में नियमित रूप से प्रकाशित किए गए । हिन्दी में न्यूज मदें भी "हाउसिंग वाइस" में प्रकाशित किये गये ।

(ii) सितम्बर, 2007 माह को एनसीएचएफ तथा इसके सदस्य संघों द्वारा हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास के रूप में मनाया गया ।

(iii) 14 सितम्बर, 2007 को हिन्दी दिवस मनाया गया ।

(iv) विशेष हिन्दी पत्रिका "सहकारी आवास" प्रकाशित की गयी ।

(v) सितम्बर, 2007 में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

(vi) "आवास सहकारिता के संगठन तथा प्रबंध" नामक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद किया गया था।

17.6 एनसीएचएफ सचिवालय का अध्ययन दौरा

संदर्भ अवधि के दौरान विदेशी शिष्टमंडल ने निम्नलिखित प्रशिक्षुओं तथा एनसीएचएफ सचिवालय का अध्ययन दौरा किया ।

(1) श्री नारद मणी पौदयाल, अध्यक्ष की अध्यक्षता में 30 अप्रैल से 2 मई, 2007 तक सहायता सहकारी समिति लि. काठमाण्डु (नेपाल) के 8 प्रतिनिधि सदस्य ने दौरा किया । एनसीएचएफ ने सहकारी निर्मिति केन्द्र की स्थापना में उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है तथा आवासीय सहकारियों को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए अन्य सहायता दी है। बीएमटीपीसी के फैकल्टी द्वारा लेक्चर दिये जाने के अतिरिक्त आस पास की आवासीय सहकारियों का अध्ययन दौरा भी किया ।

(2) श्री किजींटो ओमोलो, ट्रेनर केन्या यूनियन आफ सेविंग एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव्स (के यू एस सी सी ओ) की अध्यक्षता में केन्या सहकारी मूवमेंट से 12 सदस्यीय प्रतिनिधि दल ने 30 जुलाई, 2007 को दौरा दिया ।

(3) सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर से सहकारी प्रबंध में डिप्लोमा के 10 प्रशिक्षण दल ने अपने अध्ययन भ्रमण के भाग के रूप मे 11 सितम्बर, 2007 का दौरा किया।

(4) डॉ. वी वी पटेल इन्स्टीच्यूट आफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पुणे से सहकारी प्रबंध में डिप्लोमा के 8 प्रशिक्षु दल ने अपने अध्ययन भ्रमण के भाग के रूप में 18 सितम्बर, 2007 को दौरा किया ।

(5) नेशनल सेन्टर फॉर को-ऑपरेटिव एजुकेशन, नई दिल्ली से को-ऑपरेटिव एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रशिक्षु दल ने 12 अक्टूबर, 2007 को दौरा किया ।

(6) नेशनल को-ऑपरेटिव कॉन्सिल आफ पोलेंड (एनसीसीपी) से उच्च स्तरीय 12 प्रतिनिधि ने 23 अक्टूबर, 2007

को दौरा किया । प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता श्री एलफ्रेड डोमागलस्की, मंडल अध्यक्ष, एनसीसीपी द्वारा की गई । प्रतिनिधि के अन्य सदस्यों में एनसीसीपी के कार्यालय अधिकारी/सदस्य, राष्ट्रीय आडिटिंग यूनियन आफ वर्कर्स को-ऑपरेटिव्स एंड नेशनल ऑडिटिंग यूनियन आफ हाउसिंग को-ऑपरेटिव के सदस्य थे ।

एनसीएचएफ की गतिविधियों तथा उपलब्धियों तथा देश में आवासीय सहकारियों के कार्यों के बारे में उपरोक्त प्रशिक्षार्थियों/ विदेशी शिष्टमंडल को बताया । उन्हें सभी के लिए सहकारी आवास नामक वीडियो फिल्म दिखाई गई तथा उनको समुचित साहित्य भी प्रदान किया गया ।

उपरोक्त अध्ययन भ्रमण के अतिरिक्त सुश्री डायने डायकॉन, निदेशक, बिल्डिंग एंड सोशल हाउसिंग फाउन्डेशन आफ यूनाइटिड किंगडम, एक स्वतंत्र संगठन ने भी सहयोगी रिसर्च एंड नॉलेज ट्रांसफर के माध्यम से आवास में वहनीय विकास को प्रोन्नत करने तथा नवीनता लाने के लिए एनसीएचएफ सचिवालय तथा दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम के नैगमिक कार्यालय का आवासीय सहकारियों के कार्यों का अध्ययन करने के लिए 20 अगस्त, 2007 को दौरा किया । एनसीएचएफ ने 19 अगस्त, 2007 को दिल्ली में कुछ सहकारी समूह आवासीय समितियों का दौरा करने के लिए उनकी व्यवस्था भी की ।

17.7 स्लमवासियों के लिए बहुउद्देशीय सहकारिताएं

एनएसएचएफ ने स्लमवासियों को उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहु-उद्देश्य सहकारी समितियां आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय संवाद की पहल की है । इस प्रक्रिया में, “शहरी निर्धनों के लिए सहकारी आवास-स्लम सुधार एवं गरीबी उपशमन के लिए कार्यनीति” पर संकल्पना तैयार किया गया जिसे इस अनुरोध के साथ राज्य सरकारों को परिचालित किया गया कि इस पत्र में दिए गए सुझाव के अनुसार स्लमवासियों और शहरी गरीबों के लिए बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियां बनाने में मदद दी जाए तथा इन समितियों के गठन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी व समन्वय समिति गठित की जाए ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने एनसीएचएफ के चेयरमैन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग तथा समन्वय समिति का गठन किया है । एनसीएचएफ के प्रबंध निदेशक उक्त समिति के अध्यक्ष भी है । दिल्ली सरकार ने स्लमवासियों के लिए चार अलग-अलग समूह आवास समितियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है ।

संदर्भाधीन अवधि के दौरान, संकल्पना पत्र बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों को बनाने में सहायता देने के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था । एनसीएचएफ के प्रबंध निदेशक शहरी निर्धन के लिए बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों को बनाने से संबंधित मामले पर विचार विमर्श करने के लिए माननीय सहकारिता मंत्री के साथ-साथ पंजाब सरकार के सचिव (सहकारी) से मुलाकात की ।

17.8 विविध

1. सहकारी आवास पर व्याख्यान/वार्ता के संबंध में सहकारी संस्थाओं को एनसीएचएफ सचिवालय द्वारा संकाय सहायता उपलब्ध कराई गई ।
2. एनसीएचएफ ने विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में एक किट बांटी गई जिसमें एनसीएचएफ बुलेटिन विशेषांक की एक प्रति सभी के लिए आवास - भारत में सहकारी आवास फिर एक वीसीडी तथा सहकारी आवास पर दस्ती पुस्तिका (हैंड आउट) रखी गई ।
3. श्री बी एस मन्हास, उपाध्यक्ष, एनसीएचएफ तथा प्रबंध निदेशक डा.एम एल खुराना ने 1-3 अप्रैल, 2007 को काठमाण्डू, नेपाल मे लोगों की सामाजिक आर्थिक विकास की नींव के लिए सहकारिताओं पर संगोष्ठी में भाग लिया । यह हिमालयन किंगडम में सहकारी मूवमेंट की स्वर्ण जयंती समारोहों के दौरान नेपाल के राष्ट्रीय

सहकारी संघ द्वारा आयोजित किया गया था । एनसीएचएफ के प्रबंध निदेशक ने सहकारी आवास पर पेपर वितरित किये तथा नेपाल में आवासीय सहकारियों को मजबूत बनाने पर प्रस्तुतिकरण भी दिया ।

17.9 भावी कार्यक्रम

जनवरी से मार्च, 2008 तक की अवधि हेतु महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार है :

(1) एसीएचएफ तथा आवासीय सहकारियों के कार्मिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा उत्तरी राज्यों के लिए आवासीय सहकारिता पर क्षेत्रीय कार्यशाला ।

(2) एनसीएचएफ बुलेटिन व हाउसिंग वाइस दोनों के मासिक प्रकाशनों का नियमित प्रकाशन जारी रखा जायेगा । सहकारी आवास हिन्दी पत्रिका का अगला संस्करण प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) आवासीय सहकारियों के संगठन तथा प्रबंधन पर पुस्तक को हिन्दी में प्रकाशित किया जायेगा।

(4) आवासीय सहकारियों पर वीडियो फिल्म बनाई जायेगी।

(5) आवासीय सहकारियों के प्रभावी प्रबंध के लिए मार्गनिर्देशिकाओं, हिन्दी - अंग्रेजी शब्दावली तथा एक हैंड बुक निकाली जायेगी ।

(6) आवासीय सहकारिताओं में उत्कृष्ठ प्रक्रिया पर पुस्तिका तथा सहकारियों के माध्यम से किराया आवास के स्कोप पर अध्ययन की रिपोर्ट पर ड्राफ्ट बनाया जायेगा।

18. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ)

18.1 संगठन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान निर्माण करने के लिए किया गया था । ये संगठन यों तो 17 साल पुराना है, लेकिन मकान निर्माण का काम 13 साल से (यानी 1994 से) कर रहा है ।

18.2 लक्ष्य और उद्देश्य

“संघ अन्तर्नियमावली” के अनुसार जिसके लिये यह सोसाइटी गठित की गई है, कि लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार है :

क) “बिना लाभ-हानि” आधार पर केन्द्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके जीवनसंगी/संगिन समाज सेवा-रत कर्मचारियों तथा कृतकर्मचारियों की पत्नी/पति के लिये, अन्य के अलावा आवास निर्माण को प्रोत्साहन देकर तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवास निर्माण के लिये हर संभव सहायता देकर समाज कल्याण योजनाएं चलाना ; तथा

ख) उपर्युक्त सभी या किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के अनुरूप या उसमें सहायक सभी प्रकार की व्यवस्था करना ।

18.3 परियोजनाएं

संगठन ने अब तक देश के विभिन्न भागों में 10,594 फ्लैट बनाए हैं । संगठन के पास इस समय लखनऊ (130), चेन्नै (फेज II-572), हैदराबाद (फेज-III) (380 फ्लैटों), मोहाली (फेज I) (586), भुवनेश्वर (फेज I) (256), पुणे (फेज II) (148), मेरठ (फेज I) (90), जयपुर (फेज II) (572) तथा गुड़गांव (फेज III) (900) में चालू आवास परियोजनाएं हैं तथा 3634 रिहायशी एकक फ्लैट निर्माण/नियोजन के विभिन्न स्तरों पर हैं । संगठन की अब तक 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसमें शामिल हैं । चेन्नई (फेज I), (98), कोलकाता (फेज I) (576) सेक्टर 51, नौएडा (फेज I एवं II) (1200), खारघर, नवी मुम्बई, (1230) गुड़गांव सेक्टर 56 (फेज I व II (1940), चंडीगढ़ (305), बंगलौर (फेज-I) (603), हैदराबाद (फेज-I) (344), कोच्चि (43), पुणे (फेज-I) (159), नौएडा सेक्टर 82 (फेज III व IV), (2276), अहमदाबाद (310), जयपुर (184), हैदराबाद (फेज-II) (178) तथा पंचकुला (फेज-II) (240) ।

परियोजनाएं प्रगति पर

विवरण	लखनऊ	चेन्नई (फेज-II)	हैदराबाद (फेज-III)	गुड़गाव (फेज-III)	पुणे (फेज-II)	मोहाली (फेज-II)	भुवनेश्वर	मेरठ (फेज-I)	जयपुर (फेज-I)
पूर्णता की संभावित तारीख	अप्रैल,08	दिस.09	दिस.09	—	दिस.08	दिस.09	दिस.09	मार्च,10	मार्च,10
वास्तविक प्रगति(%)	80	5	10	—	70	5	—	—	—
वित्तीय प्रगति (%)	75	40	40	20	65	30	20	20	3

परिशिष्ट

परिशिष्ट -I

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

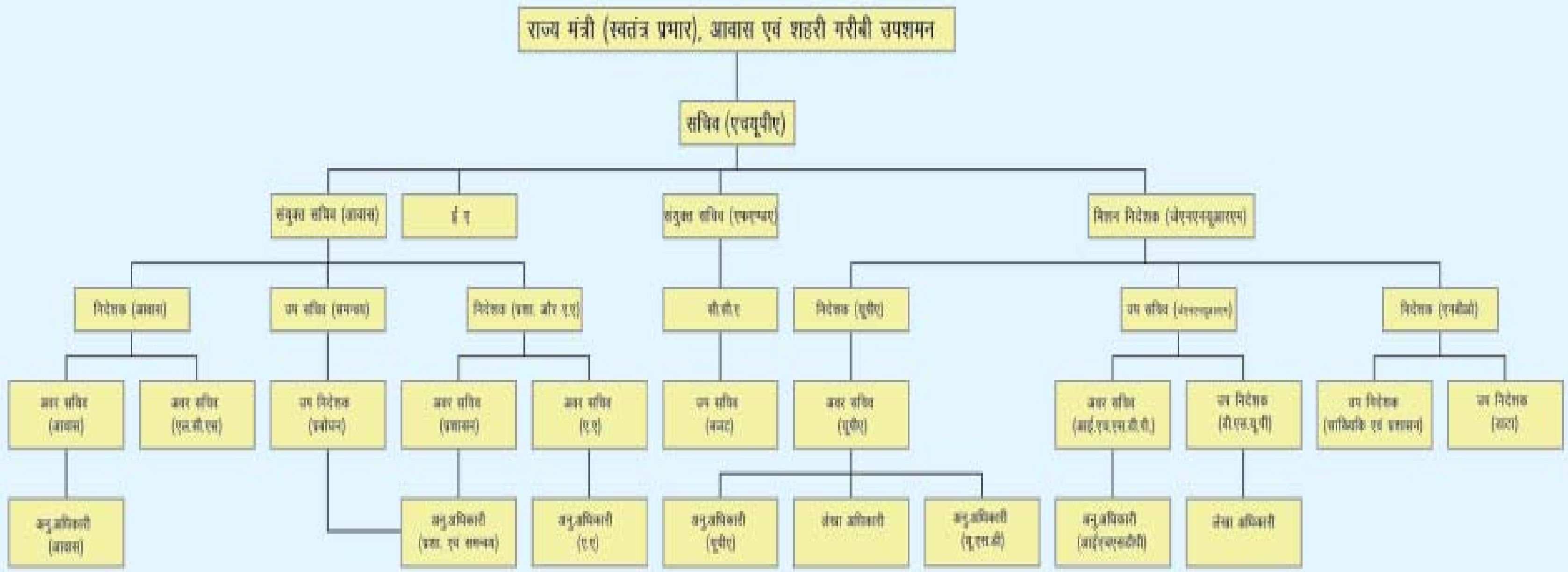

1. एचयूपीए - आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 2. जेएनएनयूआरएम - जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन 3. एनबीओ - नेशनल बिल्डिंग आर्गनाईजेशन 4. बीएसयूपी - शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं 5. आईएचएसडीपी - इन्टीग्रेटिड आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम 6. एफए- वित्त सलाहकार 7. एच - आवास 8. सी सी ए - मुख्य लेखा नियंत्रक 9. डी एस - उप सचिव 10. यू पी ए - शहरी गरीबी उपशमन 11. एडमिन - प्रशासन 12. आई एल सी एस - समेकित कम लागत सफाई 13. एस एस - सामाजिक सेवा

परिशिष्ट -II

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के लिए निर्धारित विषय

1. आवास नीति तथा कार्यक्रम बनाना (ग्रामीण आवास को छोड़कर जो कि ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है) । आयोजना योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, आवास से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना तथा उसका प्रसार करना, भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकियाँ, निर्माण लागत को कम करने के सामान्य उपाय करना तथा राष्ट्रीय आवास नीति की नोडल जिम्मेदारी ।

2. आवास तथा मानव बसाव के क्षेत्र में मानव बसाव तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग सहित मानव बसाव ।

3. स्लम क्लियरेंस योजनाओं तथा झुग्गी और झोपड़ी हटाने संबंधी योजनाओं सहित शहरी विकास, आवास और मानव बसाव के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा तकनीकी सहायता ।

4. राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ ।

5. समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रमों सहित शहरी रोजगार तथा शहरी गरीबी उपशमन से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।

6. शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मामलों के अलावा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) से संबंधित सभी मामले ।

परिशिष्ट -III

सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकाय

सम्बद्ध कार्यालय

1. राष्ट्रीय भवन संगठन (एन बी ओ)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
2. हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच पी एल)

स्वायत्त निकाय

1. भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी)
2. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ)
3. राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ)

परिशिष्ट -IV

31.12.2007 को स्टाफ स्थिति का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	ग्रुप-क राजपत्रित	ग्रुप-ख राजपत्रित	ग्रुप-ख गैर-राजपत्रित	ग्रुप-ग	ग्रुप-घ	वर्क चार्ज्ड	कुल स्टाफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क.	सचिवालय (संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित)							
1	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	17	13	18	21	09	-	78
2	एन बी ओ	06	04	04	07	15	-	36
ख.	सरकारी उपक्रम							
1	हडको	516	-	53	360	144	-	1073
2	एचपीएल*	12	-	11	226	44	52	345
ग.	स्वायत्तशासी निकाय							
1	बीएमटीपीसी	20	04	01	11	09	-	45
2	सीजीईडब्ल्यूएचओ	08	-	03	21	06	-	38
3	एनसीएचएफ	02	-	05	02	04	01	14

* चूंकि एचपीएल एक सरकारी उपक्रम है अतः ग्रुप क एवं ख के पद राजपत्रित नहीं माने जाते ।

परिशिष्ट -V

सरकारी उपक्रमों 2007 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार की स्थिति

ग्रुप	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	भरी हुई रिक्तियों की संख्या	अनारक्षित रिक्तियों के प्रति भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
क			
ख			
ग	8*		
घ	3*		

* रिटर्न में दिखाए गए अनुसार बैकलॉग

परिशिष्ट -VI

(अध्याय प्रशासन एवं संगठन पैरा XI के अनुसार)

सरकारी उपक्रमों (अर्थात हडको तथा एचपीएल) में 1 जनवरी, 2008 को सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण

ग्रुप/श्रेणी	स्थायी/अस्थायी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रुप क	स्थायी						
	i) निम्नतम श्रेणी I के अलावा	516	65	12.60%	20	3.88%	
	ii) श्रेणी I के निम्नतम						
	कुल	516	65	12.60%	20	3.88%	
	अस्थायी						
	i) निम्नतम श्रेणी I के अलावा						
	ii) श्रेणी I के निम्नतम						
	कुल						
ग्रुप - ख	स्थायी :	53	19	35.85%	2	3.77%	
(श्रेणी-II)	अस्थायी :						
ग्रुप - ग	स्थायी :	360	62	17.22%	24	6.67%	
(श्रेणी-III)	अस्थायी :						
ग्रुप - घ	स्थायी :	144	44	30.56%	18	12.50%	
(श्रेणी-IV)	अस्थायी :						
(स्वीपर को छोड़कर)							
ग्रुप - घ	स्थायी :						
(श्रेणी-IV)	अस्थायी :						
(स्वीपर)							

टिप्पणी: (1) यह विवरण में व्यक्तियों से संबंधित है न कि पदों से ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी उस विभाग में शामिल हैं न कि स्थायी कार्यालय में ।

(3) एक श्रेणी में ऐसे स्थायी व्यक्ति जो कि उच्च श्रेणी में ऑफीशियेट कर रहे हैं या अस्थायी नियुक्ति पर हैं, संबंधित उच्च श्रेणी की सेवा श्रेणी से संबंधित आंकड़ों में दिखाए गए हैं, इसमें शामिल हैं ।

परिशिष्ट -VII

(अध्याय प्रशासन एवं संगठन पैरा XI के अनुसार)

2007 के दौरान सरकारी कंपनी अर्थात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या

						अनुसूचित जाति						अनुसूचित जनजाति			
पदों की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या		आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त अनु.जाति के उम्मीद्वारों की संख्या	पिछले वर्ष से आगे ले जाई गई अनु. जाति की रिक्तियों की संख्या	तीसरे वर्ष/ आगे ले जाई गई अनु. जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की संख्या	तीन वर्ष तक आगे ले जाए जाने के बाद समाप्त आरक्षण की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों की संख्या	पिछले वर्ष से आगे ले जाई गई अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की संख्या	तीसरे वर्ष/ आगे ले जाई गई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की संख्या	तीन वर्ष तक आगे ले जाए जाने के बाद समाप्त आरक्षण की संख्या	टिप्पणी
	अधिसूचित	भरी गई	कॉलम 2 में से	कॉलम 3 में से					कॉलम 2 में से	कॉलम 3 में से					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद)															
श्रेणी I के निम्नतम वर्ग के अलावा	1	1													
श्रेणी I का निम्नतम वर्ग	10	10	1	1	1										
वर्ग II															
वर्ग III		2		1	1										
वर्ग IV (स्वीपर सहित)															
वर्ग IV (स्वीपर)															
(पदोन्नति द्वारा भरे गए पद)															
श्रेणी I के निम्नतम वर्ग के अलावा		78		3	3						5				
श्रेणी I का निम्नतम वर्ग		9		5	5										
वर्ग II															
वर्ग III		80		13	13						6				
वर्ग IV (स्वीपर सहित)															
वर्ग IV (स्वीपर)		3		1	1						2				

* 2 नियुक्तियाँ प्रतिनियुक्ति पर हैं

टिप्पणियाँ - एचपीएच में सीधी भर्ती पर मई, 1993 से तथा पदोन्नति पर सन् 2000 से रोक है । अतः एचपीएल के संबंध में सूचना "शून्य" समझी जाए ।

परिशिष्ट -VII

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागानुसार विवरण

क्रम सं.	कार्यालय / विभाग	निरीक्षण रिपोर्ट	ऑडिट टिप्पणी/पैरा (सं.)
1.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	5	53
2.	राष्ट्रीय भवन संगठन (एनबीओ)	2	14
	कुल	**7**	**67**